लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र / Fourth Session]

Preservation
Parliament Library

[खंड 16 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XVI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 49, बुधवार, 24 अप्रैल, 1968/4 वैशाख, 1890 (शक)
No. 49, Wednesday, April 24, 1968/Vaisakha 4, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1409. पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों की स्थिति के बारे में उच्चाधिकारियों के दल का प्रतिवेदन	Report of the Team of High Level Officials on the situation in Eastern Frontier Areas ..	1363—1370
1411. राष्ट्रीय छात्र सेना दल	National Cadet Corps ..	1371—1373
1412. नागालैंड सशस्त्र पुलिस	Nagaland Armed Police ..	1373—1375
1413. मनाली-लेह सड़क	Manali-Leh Road ..	1375—1376
1415. औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production ..	1376—1377
1416. सीमा क्षेत्रों में नेपाली बैंकों द्वारा धन का लेन देन	Monetary transactions of Nepalese Banks with border areas ..	1377
1417. आसाम-पाक सीमा पर पाकिस्तान द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा	Illegal Occupation of Land by Pakistan on the Assam Pak. Border ..	1377—1378
अ० सू० प्र० संख्या		
S. N. Q. No.		
24. कोंकण तट पर यात्री किराया	Passenger Fares on Konkan Coast ..	1378—1383
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1407. आदिम जातीय विकास कार्य-क्रम सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Tribal Development Programme ..	1383

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1408. दक्षिण यमन में डाक्टरों को भेजना	Sending of Doctors to South Yemen ..	1383—1384
1410. नागालैंड के लिये पृथक राज्यपाल की नियुक्ति	Appointment of Separate Governor for Nagaland ..	1384
1414. नागाओं के साथ बातचीत	Talks with Nagas ..	1385
1418. सशस्त्र सेनाओं को दालों की सप्लाई के लिए टैण्डर	Tenders for Supply of Pulses to Armed Forces ..	1385
1419. तिब्बत में चीनी सेना का जमाव	Chinese Build up in Tibet ..	1385—1386
1420. भारत में सी० आई० ए० की राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां	Anti-National Activities of CIA in India ..	1386
1421. गुरुद्वारा ननकाना साहिब को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा	International Status for Gurdwara Nankana Saheb ..	1386—1387
1422. नारकोंडम द्वीप के बारे में समाचारपत्रों में छपे समाचार	Newspaper Reports about Narkondam Island ..	1387
1423. विदेशी समाचार एजेंन्सियां	Foreign News Agencies ..	1387—1388
1424. एस्सेक्स फार्म (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा सशस्त्र सेनाओं को टिनों में बन्द मांस की सप्लाई	Supply of Tinned Meat to Armed Forces by Essex Farms (Pvt.) Ltd. ..	1388
1425. चीन तथा पाकिस्तान के प्रचार का मुकाबला करने के लिए वृत्त-चित्र	Documentary Films to counteract Chinese and Pakistani Propaganda ..	1388—1389
1426. आकाशवाणी केन्द्र, जोधपुर	AIR Station, Jodhpur ..	1389
1427. बंगाल रेजीमेंट	Bengal Regiment ..	1389—1390
1428. रेडियो से हिन्दी समाचारों का प्रसारण	Broadcast of Hindi News Bulletins ..	1390
1429. मलयेशिया सरकार का वर्क परमिट समाप्त करने का निर्णय	Decision of Malaysian Government to Terminate Work Permits ..	1390—1391
1430. सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा टैंक रोधक बांध का निर्माण	Construction of Anti-Tank Bandh by Pakistan in Sialkot Sector ..	1391

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
1431. महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां	Appointment to Key Posts	..	1391
1432. एच० एफ० 24 विमान के निर्माण के लिये भारत-संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग	Indo-UAR Collaboration for Manufacturing H. F. 24	..	1392
1433. राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	..	1392
1434. जम्मू-श्रीनगर राजपथ	Jammu-Srinagar Highway	..	1393
1435. विद्रोही नागाओं द्वारा पुर्तगाल से हथियारों की खरीद	Purchase of Arms by Rebel Nagas from Portugal	..	1393
1436. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण	Production of Aircrafts at HAL.	..	1393—1394
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
8334. एलप्पी (केरल) के निकट उच्च शक्ति वाला ट्रांसमिटर	High Power Transmitter near Alleppey, Kerala	..	1394
8335. राजनयिक पासपोर्ट	Diplomatic Passports	..	1394—1395
8337. सैनिक भूमि नियमावली	Military Lands Manual	..	1395
8338. छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति का हस्तान्तरण	Transfer of Property in Cantonment Areas	..	1395—1396
8339. फिल्म सलाहकार समिति	Film Advisory Committee	..	1396
8340. कच्छ के मामले में महा न्यायवादी श्री सी० के० दफतरी द्वारा लिये गये भत्ते	Allowances drawn by Shri C.K. Daphtary, Attorney General in Kutch Case	..	1397
8341. उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of U. P.	..	1397
8342. श्रीनगर हवाई अड्डा	Srinagar Airport	..	1397—1398
8344. छिपे नागाओं के साथ मुठभेड़	Clash with Underground Nagas	..	1398
8345. पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों का शिष्टमंडल	Delegation from Indian Enclaves in Pakistan	..	1398
8346. पाक स्ट्रेट के कुछ द्वीप समूहों पर नियंत्रण	Control over certain Islands of Pak Strait	..	1399

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8347. विद्रोही मिजो	Mizo Hostiles ..	1399—1400
8348. छिपे नागाओं तथा शान्ति पर्यवेक्षकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representatives of Government, Naga Underground and Peace Observers ..	1400
8349. मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	ARC Report on the Reorganisation of Cabinet ..	1400—1401
8350. स्वैज नहर का बन्द रहना	Closure of Suez Canal ..	1401
8351. संसद् सदस्यों के गैर-सरकारी शिष्ट मण्डल की पूर्वी अफ्रीका की यात्रा	Visit of M. P's Unofficial Delegation to East Africa ..	1401—1402
8352. सैनिक इन्जीनियरी सेवा कर्मचारी संघ, इलाहाबाद	M. E. S. Workers' Union Allahabad ..	1402—1403
8353. मुन्नार चाय बागान (केरल) में आन्दोलन के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध	Protest lodged by British Government against agitation in Munnar Tea Estates (Kerala) ..	1403
8354. प्रतिरक्षा धातु विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला	Defence Metallurgical Research Laboratory ..	1403—1404
8355. वियतनाम के प्रकाशन	Vietnamese Publication	1404
8356. महार रेजिमेंट	Mahar Regiment ..	1404
8357. इन्फैन्टरी डिवीजनों का नाम रखा जाना	Naming of Infantry Divisions ..	1404—1405
8358. सेना के डिवीजन	Army Divisions ..	1405
8359. सेना के विभिन्न डिवीजनों में हरिजनों की भर्ती	Recruitment of Harijans to various Divisions of the Army ..	1405—1406
8360. संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाले भारतीय	Indians working in UNO ..	1406—1407
8361. भारतीय सेना में नामशूद्र जाति के लोगों की भरती किया जाना	Recruitment of Namasudra Community in Indian Army ..	1407
8362. खान अब्दुल गफ्फार खां को सहायता	Help to Khan Abdul Ghaffar Khan ..	1407—1408
8363. भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध	Indo-Pak relations ..	1408

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8364.	वायु सेना के मुख्यालय के एक कर्मचारी से गुप्त कागजात बरामद होना	Recovery of secret Documents from an Employee of Air Headquarters ..	1408—1409
8365.	सैनिक कर्मचारियों की भूमि के छीने जाने के बारे में शिकायतें	Complaints against depossession of land of Military Personnel ..	1409
8366.	लद्दाखी जवानों के परिवारों को सहायता	Help to the Families of Ladakhi Jawans ..	1409
8367.	प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में तकनीशियनों तथा वैज्ञानिकों के पद	Posts of Technicians and Scientists in Defence Laboratories ..	1410
8368.	टेलीविजन कार्यक्रम	T. V. Programmes ..	1410—1411
8369.	प्रतिरक्षा डेयरी फार्म	Defence Dairy Farms ..	1411
8370.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में राडार का विकास	Development of Radars in B. E. L.	1411
8371.	टेलीविजन सैटों का उपहार	T. V. Sets as Gifts ..	1411—1412
8373.	मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशन	Radio Stations in Madhya Pradesh	1412
8374.	मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा बस्ती	Defence Colony in Madhya Pradesh ..	1412
8375.	मध्य प्रदेश में कमजोर ट्रांसमीटर	Weak Transmitters in Madhya Pradesh ..	1413
8376.	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik School in M. P.	1413
8377.	खमारिया आयुध कारखाने में विस्फोट	Explosion in Ordnance Factory Khamaria	1413
8378.	फिल्म डिवीजन बम्बई में अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में नियम	Rules for recruitment of officers in Films Division, Bombay ..	1414
8379.	सड़कों तथा पुलों की मरम्मत	Repair of roads and bridges ..	1415
8380.	पाकिस्तान रेडियो से प्रचार	Propaganda by Pakistan Radio	1415
8381.	महेश योगी के आश्रम में सी० आई० ए० के अधिकारी का आगमन	CIA Officials' visit to Mahesh Yogi's Ashram ..	1415—1416
8382.	गन एण्ड शैल फैक्टरी	Gun and Shell Factory ..	1416

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8383.	अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से भारत के प्रतिनिधि को वापिस बुलाया जाना	Racall of India's representatives from ICC ..	1416--1417
8384.	शेख अब्दुल्ला के लिये पारपत्र	Passport for Sheikh Abdullah ..	1417
8385.	परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने की सन्धि	Nuclear Non-proliferation Treaty ..	1417
8386.	ब्रिटिश इन्डियन ओशन नामक राज्य क्षेत्र	British Indian Ocean Territory ..	1417—1418
8387.	मारीशास में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission, Mauritius	1418
8388.	आकाशवाणी से गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रसारण	Republic Day Programme Broadcasts from AIR ..	1418—1419
8389.	इमर्जेंसी कमीशन-प्राप्त सैनिक अधिकारी	Emergency Commissioned Officers ..	1419
8390.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड में हड़ताल	Strike in BEL. HAL. and Bharat Earth Movers Ltd. ..	1420
8391.	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Ceasefire Violation committed by Pakistan ..	1420—1421
8392.	'दि पार्टी' नामक फिल्म का सेंसर	Censor of Film 'The Party' ..	1421
8393.	भारत और श्रीलंका के बीच जलप्रांगण (टेरिटोरियल वाटर्स) की सीमा	Limit of Territorial Waters between India and Ceylon	1421
8394.	टेलीविजन के कार्यक्रम	T. V. Programmes ..	1422
8395.	ट्राम्बे अणु केन्द्र के अनुभागों का स्थानान्तरण	Shifting of Sections of Trombay Atomic Centre ..	1422—1423
8396.	कच्चाटीबू द्वीप में पेट्रोल के निक्षेप	Petroleum Deposits in Kachchativu Island ..	1423
8397.	टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये लाइसेंस	Licences for Manufacturing Television Sets ..	1423

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

8398. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर में ठेकेदार	Contractros in HAL, Bangalore ..	1423—1424
8399. भारतीय वायु सेना में असैनिक कर्मचारी	Civilian Employees in IAF ..	1424
8400. डा० मार्टिन लूथर किंग की अन्त्येष्टि	Funeral of Dr. Martin Luthur King ..	1424—1425
8401. भारत-बर्मा सीमा वार्ता	India-Burma Boundary Talks ..	1425
8402. श्री फिजो की इंगलैंड में भारतीय उच्चायुक्त से वार्ता	Mr. Phizo's talks with Indian High Commissioner in U. K. ..	1425
8403. नागाओं के द्वारा भारत-बर्मा सीमा के पार जाने के लिये परमिट व्यवस्था	Permit system for Travel by Nagas across India-Burma Border ..	1425—1426
8404. भारत-बर्मा सीमा	Indo-Burma Border ..	1426
8405. सीमावर्ती क्षेत्र के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitters for Border Areas ..	1426—1427
8406. आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण	Regional Broadcast from AIR Delhi ..	1427—1428
8407. यूरोप के देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध	Diplomatic Relations with countries in Europe ..	1428
8408. हेम्बर्ग की डीएन्स्ट औस ड्यूशलैंड संस्था	Dienst Aus Deutschland of Hamburg ..	1428—1429
8409. त्रिवेन्द्रम स्थित थुम्बा राकेट छोड़ने के केन्द्र के कर्मचारी	Staff at Thumba Rocket Launching Centre, Trivandrum ..	1429
8410. उलन बटोर में भारतीय दूतावास खोलना	Opening of Indian Embassy at Ulan Bator ..	1429—1430
8411. वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत	Indian Ambassador in Washington ..	1430
8412. अन्तरिक्ष विज्ञान परीक्षण	Space Science Experiment ..	1430—1431
8413. विदेश स्थित भारतीय दूतावास	Indian Missions Abroad ..	1431—1432
8414. वायु सेना मुख्यालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Air Headquarters ..	1432

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
8415. विश्व मामलों सम्बन्धी भारतीय परिषद् को अनुदान	Grants to Indian Council of World Affairs ..	1432—1433
8416. प्रसारण और सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष	Chairman of the Committee on Broadcasting and Information Media ..	1433
8417. फिल्म उद्योग में काला धन	Black Money in Film Industry ..	1433—1434
8418. 12 बोर-डबल बेरल ब्रीच लोडिंग स्पोर्टिंग गन	12-Bore Double Barrel Breech Loading Sporting gun ..	1434
8419. नीदर लैंड में भारतीय दूतावास द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह	Independence Day Celebrations by Indian Embassy in Netherlands ..	1434—1435
8420. भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों को विदेश भत्ता	Foreign Allowance of Personnel of Indian Missions ..	1435
8421. विदेश स्थित भारतीय दूतावासों का निरीक्षण	Inspection of Indian Missions Abroad ..	1435—1436
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति के सभापति पद से प्रोफेसर थैकर का त्यागपत्र	Resignation of Professor Thacker from Chairmanship of Industrial Licensing Policy Committee ..	1436—1442
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna ..	1136
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ..	1436—1441
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member ..	1442
(श्री कामेश्वर सिंह)	(Shri Kameshwar Singh)	
सभा पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table ..	1443
हरिजनों सम्बन्धी घटनाओं के बारे में	Re. Incidents relating to Harijans ..	1443
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
उन्तीसवां प्रतिवेदन	Twentyninth Report ..	1443

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings—	
चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	1444
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
अट्ठारहवां प्रतिवेदन	Eighteenth Report	1444
अनुदानों की मांगें, 1968-69	Demands for Grants, 1968-69 ..	1444—1509
निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय	Ministry of Works, Housing and Supply ..	1444—1500
श्री जे० मोहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam ..	1445—1447
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ..	1447—1448
श्री रा० स्व० विद्यार्थी	Shri R. S. Vidyarthi ..	1448—1449
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma ..	1449—1450
श्री कमलनाथन	Shri Kamalnathan ..	1484—1485
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri ..	1485—1486
श्री शशिभूषण वाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai ..	1486—1487
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	1487
श्री सोनावने	Shri Sonavane ..	1488
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar ..	1488—1490
श्री कृष्ण मुरार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji ..	1490—1491
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	1492
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh ..	1493—1494
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao ..	1494—1500
अणुशक्ति विभाग	Department of Atomic Energy ..	1500—1509
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari ..	1501
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	1502
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes ..	1502—1503
श्री मनुभाई पटेल	Shri Manubhai Patel	1503
श्री चक्रपाणि	Shri C. K. Chakrapani ..	1503—1504
डा० सरोजिनी महिषी	Dr. Sarojini Mahishi ..	1504—1505
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani ..	1505
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	1505—1506

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	1506
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 1506—1509
तेल के मूल्य निर्धारित करने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Pricing of Oil	.. 1509—1512
श्री धीरेश्वर कलिता	Shri Dhireswar Kalita	.. 1509—1511
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah	.. 1511—1512

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 अप्रैल, 1968/4 वैशाख, 1890 (शक)
Wednesday, April 24, 1968/Vaisakha 4, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पूर्वी सीमान्त क्षेत्रों की स्थिति के बारे में उच्चाधिकारियों के दल का प्रतिवेदन

+

*1409. **श्री हेम बरुआ :**
श्री स्वैल :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उच्चाधिकारियों के उस दल के प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं जिसने पूर्वी सीमान्त की स्थिति पर, जो अत्यन्त विस्फोटक है, विचार करने के उद्देश्य से आसाम, नागालैण्ड और मनीपुर का हाल में दौरा किया था ; और

(ख) उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री ने 1 अप्रैल, 1968 को इस सभा में जो वक्तव्य दिया था मुझे उससे अधिक कुछ नहीं कहना है। माननीय सदस्य इससे आश्वास्त रहें कि आसाम, नागालैंड तथा मणिपुर की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान लगातार लगा हुआ है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों का दौरा करने वाले उच्चाधिकारियों के इस दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विद्रोही नागा तथाकथित युद्ध-विराम का लाभ उठाकर अपने शक्ति बढ़ा रहे हैं, शस्त्रास्त्रों का आयात कर रहे हैं और नागालैंड में समानान्तर सरकार की स्थापना कर रहे हैं ? यदि सरकारी अधिकारियों के इस दल ने ये तथ्य बताये हैं तो सरकार ने नागालैंड में शान्ति स्थायी बनाने के लिये जो कि युद्ध-विराम के बाद वहां स्थापित हो सकी है, क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ? जैसा कि इन उच्चाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया है शिकायत यह है कि भारत सरकार ने नागा विद्रोहियों पर काबू पाने के लिये इस शान्ति काल का लाभ उठाने के लिए कुछ नहीं किया है जबकि नागा विद्रोही इस शान्ति काल का लाभ उठाकर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस क्षेत्र का दौरा करने वाले विशेषज्ञों के दल ने जो सिफारिशें दीं उन्हें मैं प्रकट करने में असमर्थ हूं । पर यह सच नहीं है कि नागालैंड में हम शान्ति और स्थिरता के इच्छुक नहीं हैं । नागालैंड सरकार वहां के मामलों के विषय में कार्यवाही करने में पूरी तरह सक्षम है और जितनी सहायता हम दे सकते हैं उन्हें दे रहे हैं । हम नागालैंड में शान्तिमय और स्थायी वातावरण स्थापित करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : यद्यपि मेरा प्रश्न साफ है पर उसका उत्तर नहीं दिया गया है । भारत सरकार के उच्चाधिकारियों के जिस दल ने इन क्षेत्रों का दौरा किया उसने बताया था कि नागा विद्रोहियों ने शान्तिकाल का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाई है जबकि न तो भारत सरकार और न ही नागालैंड की सरकार ने नागा विद्रोहियों पर काबू पाने और शान्ति को स्थायी बनाने की दिशा में कुछ किया है । ऐसा उल्लेख इस रिपोर्ट में है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वह यह स्वीकार करते हैं कि प्रतिवेदन में यह लिखा गया है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हम इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते । यह सच है कि इस मामले पर पहले यहां चर्चा हो चुकी है और जैसा कि मैं पहले भी कई मौकों पर इस सभा में बता चुकी हूं कि नागा विद्रोहियों में एक दल उग्रवादियों का है जिसे बाहर से कुछ शस्त्रास्त्र मिले हैं । वास्तव में यह चिन्ता का विषय है पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इन विद्रोहियों ने नागालैंड में इस प्रकार अपना प्रभाव बढ़ा लिया है । उपलब्ध समाचार-पत्रों की खबरों में भी कुछ डिवीजनों का उल्लेख है जो प्रभावशाली हो रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि (क) क्या यह सच है कि चीन ने जो नागा तथा मिजो विद्रोहियों की द्रोहात्मक गतिविधियों में अब सहायता पहुंचा रहा है, जाली भारतीय नोट भारी संख्या में छापे और बांटे हैं ; (ख) क्या यह सच है कि नागा संघ सेना के उप मुख्य सेनापति ने अपने अनुयायियों को एक गुप्त परिपत्र भेजा है जिसमें उनसे कहा गया है कि वे जून

के मध्य से पहले आन्दोलन न छेड़े क्योंकि वे चीन और पाकिस्तान से लिये हुए शस्त्रास्त्रों से लैस होकर जून के मध्य के बाद भारत सरकार पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे; और (ग) क्या यह सच है कि मिजो राष्ट्रीय फ्रन्ट ने एक संकल्प पास करके चीनी सेना को आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में तैनात रहने की इजाजत दे दी है ताकि वे वे लोग भारत सरकार के विरुद्ध उनके विद्रोह में सहायता पहुंचा सकें ? यदि सभी बातें सच हैं तो इनके सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस विद्रोह को आरम्भिक अवस्था में ही कुचल देने के लिये क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमें जाली करेन्सी नोटों के बारे में कोई समाचार नहीं मिला है। पर जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं विद्रोही नागाओं का एक ग्रुप ऐसा है जो शस्त्रास्त्र ले रहा है। हमें उनसे चीन के साथ सम्बन्धों की भी जानकारी है जिसके प्रति हम चिन्तित हैं। हम यही कर सकते हैं कि एक ओर तो नागालैंड सरकार को अधिक अधिकार देकर शक्तिशाली बनायें और दूसरी ओर अपनी सुरक्षा सेना को मजबूत बनायें। इस बारे में कदम उठाये जा रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि सदस्य महोदय इसका ब्योरा नहीं पूछेंगे।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने मेरे प्रश्न के केवल भाग (क) का उत्तर तो दिया पर भाग (ख) और (ग) का नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने अनुपूरक प्रश्नों के लिये 10 मिनट ले लिये हैं। श्री स्वैल।

श्री स्वैल : भारत के पूर्वोत्तर भागों का उच्च अधिकारियों ने जो दौरा किया है उसके बारे में सरकार ने पूरी बात नहीं बताई है। पहली बात तो यह है कि यह दौरा बड़े नाटकीय ढंग से किया गया क्योंकि उस समय संसद् का सत्र चल रहा था। दूसरे, जनरल ने विन के भारत आने और प्रधान मन्त्री से उनकी बातचीत होने के बाद यह दौरा किया गया। इसके शीघ्र बाद नागालैंड की स्थिति के बारे में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संवाददाता ने जो निम्नलिखित समाचार दिया है क्या सरकार उसके बारे में बतायेगी कि क्या वह सच है या नहीं :

"नागा विद्रोहियों का दूसरा दल बिना किसी कठिनाई के चीन की तरफ चला गया। ट्रकों के दल उत्तरी बर्मा में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चीन के साथ उनकी खुली सांठ-गांठ और नागालैंड में विद्रोह की स्थिति पर उत्तरी बर्मा के निकटवर्ती क्षेत्र में तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों को देखते हुए विचार किया जाना चाहिये।

फिर से युद्ध ठन जाने पर भारत बर्मा सीमा के निकट चीन की सीधी सहायता पहुंचेगी, जिसे रोकना असम्भव हो जायेगा क्योंकि इस क्षेत्र में घने जंगल और पहाड़ियां हैं।"

"भूमिगत नागाओं को 1964 में लागू हुए युद्ध-विराम के फलस्वरूप शान्ति की 4 वर्ष की अवधि में अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका मिल गया है। इन विद्रोहियों की सिविल और सैनिक

व्यवस्था नागालैंड की सरकार की व्यवस्था से अधिक प्रभावी और विस्तृत है और नागालैंड सरकार का नियन्त्रण कोहिमा, मोकोकचुंग तथा दीमापुर कस्बों तक सीमित है।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि नागालैंड की स्थिति इस संवाददाता के कथनानुसार क्या गम्भीर है और क्या भारत सरकार ने नागालैंड तथा बर्मा सीमावर्ती स्थिति के बारे में जनरल ने विन से बातचीत चलाई थी और क्या उनके साथ हुई चर्चा के परिणामस्वरूप ही अधिकारियों का यह दल वहां भेजा गया था ताकि यह पता लग सके कि बर्मा सरकार के साथ मिलकर नागालैंड में क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने जनरल ने विन के साथ हुई बातचीत के बारे में पीछे एक बार वक्तव्य दिया था। पर बातचीत का ब्योरा बताना मुझे संभव नहीं है। हमने पारस्परिक हित की बातों पर चर्चा की थी। पिछली बार मैंने सभा को जो आश्वासन दिया था मैं उसे फिर दोहराती हूं कि जनरल ने विन की भारत यात्रा का तीन अधिकारियों के इस दौरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। संसद् का सत्र इतना लम्बा है कि उसकी वजह से सरकारी कार्य स्थगित नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्य ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' से एक लम्बा लेख पढ़कर सुनाया है। इस बारे में आप मुझसे क्या कहलाना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम क्योंकि यह तो उस लेखक का अपना मूल्यांकन है जो हमारे मूल्यांकन से मेल नहीं खाता। पर इस बात से हमने इन्कार नहीं किया है कि विद्रोहियों का दल चीन गया। मैंने ; प्रतिरक्षा मंत्री ने और अन्य मंत्रियों ने इसके बारे में और बरामद शस्त्रास्त्रों बारे में कई बार अधिक विस्तृत जानकारी दी है।

Shri Prem Chand Verma : I want to know the particulars of members of the team of high officials visited that place and the recommendations made by the team. If it is not proper to disclose its recommendations, I would like to know the concrete steps taken in Assam, Nagaland, Nefa and Manipur after that team returned from there and the arrangements made along the border areas with a view to stop the activities of Naga and Mizo hostiles.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस मामले पर मैंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने इन अधिकारियों के नाम के अलावा पूरी जानकारी दी थी। इस दल में गृह-कार्य और वैदेशिक कार्य मन्त्रालयों के सचिव और प्रतिरक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे।

Shri Ram Gopal Shalwale : Commenting on the extension of period of suspension of operations agreement with Government of India, Naga leader has stated that they have not given any assurance to Government of India that they would not receive any arms from China or Pakistan during the period of suspension of operations. I want to know the policy as recommended by the study team of officials in its report for adopting in regard to Rani Gidalo who was actively opposing the foreign interference. What are the details of the recent talks held with Rani Gidalo and the Prime Minister. Foreign Missionaries and Pakistani agent have their hands in the increased incidents of insurgence in Assam, Nagaland,

Manipur along east frontier region. What are the observations made by this study team in their report in regard to these incidents ? Is it a fact that all the teachers of Government Schools in Nagaland are Christians and they assist Naga hostiles in instigating students against Government of India ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इस अध्ययन दल की सिफारिशों का ब्योरा बताना उपयुक्त नहीं होगा।

The demands put by Rani Gidalo have appeared in all newspapers. There are several groups among Nagas like Aao but the gronp of Rani Gidalo is an important group. She wants to keep all these Nagas in one district. These demands are of administrative nature. We replied to them that it is impossible to meet these demands till there prevails chaotic situation in Nagaland and Manipur.

Shri Y. S. Kushwah : Is it a fact that recently a meeting was held in which Governor and Naga hostiles were present and Naga hostiles had walked out of the meeting on Governor's Statement that Nagaland was and would remain a part of India. Is it also a fact that Naga hostiles had declared that Nagaland would be free from India after 18th January and they would continue to receive arms from China and Pakistan ? Will the entrusion if made by China or Pakistan into India after such collusion with Naga hostile leaders, be considered as an attack on India and adequate defensive arrangements be made ?

Shrimati Indira Gandhi : When the Governor was making his statement, nobody had left the meeting. It was only after his speech that a group had left the meeting but the said group excepting their leader had come back after mutual discussions. It was decided there that the suspension of operations agreement should be adhered to fully. We think that these provisions also apply to the import of arms.

Shri Y. S. Kushwah : The Hon. Prime Minister has not given fully reply to my question. I have also asked that whether any intrusion if made by China or Pakistan into Nagaland would be considered as an attack.

Shrimati Indira Gandhi : This is a hypothetical question. If any such thing happens, we would take action in that regard.

Shri Shiv Kumar Shastri : In the recent meeting Nagas have denied that they have given any undertaking not to import arms from China and Pakistan, while Government have stated that they have given such an undertaking. May I know the factual position in this connection ?

Shrimati Indira Gandhi : I have told about the persons who had come to Dimapur.

श्री रंगा : हमें एक दुर्गम प्रदेश में 4—5 लाख नागाओं और 2—3 लाख मिजो लोगों का मुकाबला करना पड़ रहा है। हमारी प्रतिरक्षा सेनाएं उनका बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही हैं, पर हम यह आश्वासन चाहते हैं कि इस सभा में तथा अन्य स्थानों पर इन लोगों का उल्लेख करके उन्हें प्रोत्साहित तो नहीं कर रहे हैं। सरकार प्रेस तथा इस सभा के विभिन्न दलों के व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त करने और उन्हें सभी सम्भव जानकारी उपलब्ध करने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ? क्या सरकार यह दृढ़ आश्वा-

सन देगी कि स्थिति चाहे कितनी ही संकटमय हो जाये पर उसे नियन्त्रण में रखने के लिए कारगर कदम उठाये जाते रहेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सदस्य महोदय के रुख से पूरी तरह सहमत हूं। मेरे विचार से इनके बारे में निरन्तर उल्लेख करने से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल सकता, पर हमें उनके बारे में हो रहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रचार को रोकना चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करूंगी यदि विरोधी दलों के सदस्यों और हमारे दल के वरिष्ठ सदस्यों के बीच इस मामले पर विचार किया जाये। इस मामले में प्रेस से अगल से बातचीत की गई है। मैंने विरोधी दलों के सदस्यों से बातचीत की थी और यदि आगे भी ऐसी बैठकें हों तो उनका मैं स्वागत करूंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या सरकार का ध्यान 'इन्डियन एक्सप्रेस' दिनांक 22 अप्रैल, में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर गया है कि छिपे नागाओं के नेता ने शान्ति प्रेक्षक दल के नेता के वक्तव्य को एकदम गलत, झूठा और शरारतपूर्ण कहा है ? वक्तव्य में कहा गया है :

"युद्ध-विराम समझौते में कहा गया है कि हम युद्ध-विराम की अवधि के दौरान शस्त्रों का आयात नहीं करेंगे। समझौते में ऐसा कोई खण्ड नहीं है कि 'फैडरल सरकार' विदेशों से सहायता की मांग नहीं करेगी।"

क्या ऐसा कोई खंड है जो उन्हें विदेशों से शस्त्र आयात करने को रोकता है और यदि है तो लोग उसका उल्लंघन कैसे कर रहे हैं और यदि ऐसा कोई खण्ड नहीं है तो क्या सरकार ऐसा खंड बनायेगी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक मेरी जानकारी है समझौते में ऐसा कोई खंड नहीं है और जैसा मैंने पहले बताया था कुछ थोड़े से लोग युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon'ble Minister just now said that the situation is being brought under control slowly and steadily. The situation there is very dangerous. Besides that, Chinese and Pakistani soldiers visit those places to impart training. I have come to know that some Pakistani and Chinese planes had landed in Nagaland in the month of March. It is a very serious matter and Government should conduct an enquiry in this regard.

Shrimati Indira Gandhi : We have received no report about it.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह इसका पता लगवायेंगी।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): यह बिल्कुल गलत है कि किसी भी देश का कोई जहाज या हैलीकाप्टर उस क्षेत्र में उतरा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : He wants to hide the facts. I request that an impartial enquiry into this matter may be conducted. I have been told by the persons who have seen it.

अध्यक्ष महोदय : यदि वहां पर जहाज उतरे हैं तो यह सभी के लिए बड़ी खतरनाक बात है। यदि श्री गुप्त के पास कोई ऐसी जानकारी है तो स्वाभाविक है कि मंत्रालय इसकी जांच करेगा और देखेगा कि ऐसी गम्भीर घटना भविष्य में न हो।

Shri A. B. Vajpayee : If the Government say that they would enquire into this matter, then it is all right. But without ascertaining the facts if it is said that it is incorrect then it is not a good thing.

अध्यक्ष महोदय : जो जानकारी मंत्री महोदय के पास आज है उसके आधार पर उन्होंने ऐसा कहा है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसकी जांच नहीं करायेंगे। प्रधान मंत्री ने कहा है कि मुझे सूचना दीजिए और मैं इसकी जांच कराऊंगी। तो यह बात अन्तिम है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नागालैंड में विभिन्न स्थानों पर सेना मौजूद है। जहां कहीं भी हैलीकाप्टर या कोई और जहाज उतर सकता है, वहां हमारा नियन्त्रण है। यह बड़ी गम्भीर बात है कि वे कहते हैं कि हमारे वायु-क्षेत्र का उल्लंघन किया गया है और हमारी वायु सेना को इसका पता नहीं है। यह बड़ा गम्भीर आरोप है और मैं इसका खण्डन करता हूं। यदि माननीय सदस्य को ऐसी कोई जानकारी मिली थी तो उन्हें सबसे पहले यह बात मुझे बतानी चाहिए थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे बेकार वातावरण को तनावपूर्ण बना रहे हैं। ऐसी बात का विरोध करना मेरा कर्त्तव्य है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I have come to know of it through a military personnel. I would like to know whether the Hon'ble Minister has any information to this effect or he is hiding the facts deliberately so that people may not come to know of his weakness ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का कहना यह है कि यह एक गम्भीर मामला है और वे चाहते हैं कि माननीय सदस्य उन्हें इसके बारे में पहले बता देते। यदि इस बात में कुछ प्रतिशत सच्चाई भी है तो भी इस मामले को सभा में नहीं कहना चाहिए था बल्कि मंत्री महोदय चाहते थे कि उन्हें इसके बारे में पहले बता दिया जाता ताकि वे इसकी जांच कर सकते······ (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : वे विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो यह सरकार के लिए ही नहीं सभी के लिए बड़ी गम्भीर बात है।

Shri K. N. Tiwary : Replying to this question, the Hon'ble Prime Minister said that if those people would have any connection with China and Pakistan, we would consider this matter and also about their violating the cease-fire agreement. But even after this cease-fire agreement, those persons have come back after receiving training from China. It is a fact that these persons have now become so experienced as to impart training to their own men in this regard and the people of some other parts of the country are joining them and they are also receiving training from them and whether the note-book that had been seized also revealed that those persons were sufficiently trained in the matter of manufacture of bombs.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा मेरे और प्रतिरक्षा मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विरोध करना चाहूंगी । यह कहना गलत है कि हम ऐसी बातों के बारे में जानकारी रखते हैं और फिर भी हम कोई कार्यवाही नहीं करते ......**(व्यवधान)**. । मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि यदि उन्हें कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हो जिसका राष्ट्रीय हित से सम्बन्ध हो तो उन्हें सम्बन्धित मंत्री के पास या मेरे पास आकर हमें इसके बारे में बताना चाहिए ताकि हम उसकी जांच कर सकें।

Shri Kanwar Lal Gupta : Allegations are true.

Shri A. B. Vajpayee : I do not agree that the Members cannot say anything that comes to their notice on the floor of the House.

श्री शिव नारायण : प्रधान मंत्री को सूचित करना उनका पहला कर्तव्य था । वे सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि आपका अधिकार ही नहीं है । प्रत्येक सदस्य को सभा में कहने का अधिकार है । उनका कहना है कि यह एक गम्भीर मामला है, यह किसी दल का कोई दूसरा मामला नहीं है । उनका कहना केवल यह है कि क्या आप लोग उन्हें सूचित नहीं कर सकते ताकि वे इसकी जांच कर सकें और आपको जानकारी दे सकें और यदि कोई जबरदस्त गलती है तो स्थिति को संभाल सकें ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री तथा उनके साथी दोनों ने ही यह कहा कि हमें इस मामले को इस सभा में उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये था । आपने कहा कि यह मामला गम्भीर है, इसलिये हमें इसके बारे में प्रधान मंत्री को लिखना चाहिये था । मैं नहीं जानता कि किस प्रक्रिया के अन्तर्गत हमें लिखना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आखिर हम सब राष्ट्र का हित चाहते हैं ।

श्री नाथ पाई : क्या इसका यह अर्थ है कि हमें यहां केवल छोटे-छोटे मामले ही उठाने हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्य इन मामलों को यहां उठा सकते हैं ।

श्री नाथ पाई : हम प्रधान मंत्री को लिखने से इन्कार करते हैं । राष्ट्रहित के प्रत्येक मामले को हम यहां पर ही उठायेंगे ।

श्री रा० ढो० भण्डारे : यदि किसी सदस्य की जानकारी में कोई बात आती है, तो क्या यह उनका कर्तव्य नहीं है कि वह उसे माननीय मंत्रियों को बतायें ?......

National Cadet Corps

*1411. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to declare the training of National Cadet Corps in Colleges and Universities as optional ; and

(b) whether in deciding so, the utility of National Cadet Corps as a third line of defence, in veiw of the danger from China and Pakistan, was taken into consideration ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) तथा (ख). कालिज के छात्रों को तीन विकल्पों में से अर्थात् रक्षा मंत्रालय के अधीन एन० सी० सी० या शिक्षा मंत्रालय के अधीन नेशनल सर्विस कोर या नेशनल स्पोर्ट्स आर्गनाइजेशन में शामिल होने का चयन देना प्रस्तावित है, कि जिनके विस्तार तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी आशा है कि इस प्रस्ताव के अन्तर्गत चयन करने वालों की संख्या रक्षा दृष्टिकोण से पर्याप्त होगी।

Shri Raghuvir Singh Shastri : At present the National Cadet Corps Training is being given in about 2500 Colleges and 5,000 Schools and you are going to make it optional. May I know whether the National Cadet Corps Training will continue in these institutions and whether the civil employees working there will be given alternative jobs ?

श्री मं० रं० कृष्ण : कुछ समय तक राष्ट्रीय छात्र सेना दल सभी कालिजों में अनिवार्य था। अब लड़कों को तीन योजनाओं में से एक को चुनने का विकल्प देने के लिये, शिक्षा मंत्रालय दो अन्य योजनाएं चालू करना चाहता था। जहां तक पहले से काम करने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे वहीं पर रहेंगे क्योंकि दो और योजनाएं आ गई हैं और इन योजनाओं के लिये हमें अधिकारियों की आवश्यकता है। राष्ट्रीय छात्र सेना दल की संख्या में कमी इसलिये की गई है कि लड़कों को प्रतिरक्षा सम्बन्धी गहन प्रशिक्षण दिया जा सके और वे प्रतिरक्षा के लिए अधिक उपयोगी बन सकें।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether steps will be taken to eradicate corruption from this Department and to minimise the expenditure ?

श्री मं० रं० कृष्ण : जहां तक इस पर खर्च का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों को बड़ा प्रभावशाली प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो भी व्यय किया जाता है वह केन्द्र तथा राज्य सरकारों की हिदायतों पर किया जाता है। कालिजों के प्रिंसिपलों का भी इससे काफी सम्बन्ध है। इन संस्थानों में गोलमाल के बहुत कम अवसर हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या अन्य योजनाओं के साथ राष्ट्रीय छात्र सेना दल की कोई निम्नतम प्रतिशतता निर्धारित की जायेगी ? क्या अन्य दो योजनाओं की क्रियान्विति तक राष्ट्रीय छात्र सेना दल को पूरे जोर शोर के साथ जारी रखा जायगा ?

श्री मं० रं० कृष्ण : कालिज के विद्यार्थियों को तीन में से एक योजना को चुनना होगा। उस हद तक यह अनिवार्य है। अतः यह कालिज के सभी विद्यार्थियों पर लागू होगी।

Shri Rabi Ray: May I know whether the decision to make N. C. C. an optional subject has been taken keeping in view the threat of aggression posed by Pakistan and China and whether Government propose to introduce conscription?

श्री मं० रं० कृष्ण : राष्ट्रीय छात्र सेना के लड़कों से युद्ध लड़ने की आशा नहीं की जाती है। शांति तथा आपत्काल में देश की सेवा करने के लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

Shri Rabi Ray: What about conscription?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मामले पर विचार किया गया है और हम इसे चालू करना आवश्यक नहीं समझते।

श्री मनु भाई पटेल : राष्ट्रीय सेना छात्र दल को किन विशेष कारणों से ऐच्छिक विषय बनाया जा रहा है।

श्री मं० रं० कृष्ण : अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय सेना छात्र दल को ऐच्छिक विषय बना दिया जाये। इसे केवल इस हद तक ऐच्छिक बनाया गया है कि एक विद्यार्थी को राष्ट्रीय सेना छात्र दल, राष्ट्रीय सेना और खेल-कूद तीन योजनाओं में से एक को चुनना होता है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : अधिकांश उन्नत देशों में सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य है। अनुशासन और स्वास्थ्य की दृष्टि से विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है। क्या इसको एक ऐच्छिक विषय बनाना अवनति की दिशा में एक कदम नहीं है।

श्री मं० रं० कृष्ण : जो विद्यार्थी इससे लाभ उठाना चाहते हैं, हम उन्हें इससे इन्कार नहीं करते। किन्तु इसके साथ हम उन्हें दूसरी योजनाएं चुनने का विकल्प देते हैं।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तिब्बत में चीनी सेना की 16 डिवीजनें हैं और 1965 से पाकिस्तानी सेना दुगनी कर दी गई है, सरकार राष्ट्रीय सेना छात्र दल को ऐच्छिक बनाना क्यों वांछनीय समझती है? यदि शिक्षा मंत्रालय की कोई सिफारिश है कि कोई अन्य खेलकूद योजना भी होनी चाहिये, तो पहले वर्ष के दौरान सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेना छात्र दल का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से क्यों नहीं दिया जाता है? फिर, यदि आवश्यक हो, तो अन्य दो योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

श्री मं० रं० कृष्ण : इन सब बातों पर विभिन्न समितियों द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया कि इसे ऐच्छिक विषय बनाया जाये।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : माननीय मंत्री ने कहा कि छात्रों को अधिक कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से इसे ऐच्छिक बनाया गया है। क्या इसका यह अर्थ है कि वे अधिक संख्या में छात्रों को प्रशिक्षण नहीं दे सकते हैं?

श्री मं० रं० कृष्ण : ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष 7 से 8 लाख विद्यार्थी थे। प्रशिक्षण देने वालों की कमी नहीं है, हम उन्हें अच्छे तरीके से प्रशिक्षण देना चाहते हैं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या सरकार दल का आधुनिकीकरण करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम अन्तिम दो वर्षों में वरिष्ठ श्रेणियों को उन्नत सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि आपत्काल में वे देश की सुरक्षा के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकें ?

श्री मं० रं० कृष्ण : वास्तव में चुने हुए तथा प्रशिक्षित विद्यार्थियों को सैनिक यूनिटों में रखा जाता है जहां पर उन्हें नियमित सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the amount spent on N. C. C. during the last five years, the number of military officers deputed to various colleges and whether it is a fact that you are taking this decision in the woke of the Madras agitation ?

श्री मं० रं० कृष्ण : मद्रास आन्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में भी लगभग 90 प्रतिशत छात्र यह प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। पिछले दो वर्षों में हमने इस पर लगभग 16 करोड़ रु० प्रतिवर्ष व्यय किया है और इस वर्ष भी हम लगभग उतनी ही राशि व्यय करेंगे।

Nagaland Armed Police

+
*1412. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri B. N. Shastri :
Shri R. R. Singh Deo :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for which the Central Government are not acceding to the request of the Nagaland Government for augmenting their Police strength in the State and not giving the assistance asked for by the latter ; and

(b) the details in respect of the assistance asked for ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं कि नागालैंड सरकार के अनुरोध पर किसी प्रकार कम ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके उसकी सुरक्षा-संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करने का प्रबंध किया गया है; सदन को विवरण बताए जाने की प्रत्याशा नहीं करनी चाहिए।

Shri Maharaj Singh Bharati : Is it a fact that the Nagaland Government have requested you to post at such number of officers there as would be able to raise a number of new batallions there since the police there is not able to deal with the Nagas ?

Shri Surendra Pal Singh : It is a fact that the Nagaland Government have asked us to give them the armed police and we are posting the armed police there.

Shri Maharaj Singh Bharati : The hostile Nagas have thousands of trained persons who kidnap boys and give them training. May I know the steps taken by Government to check these activities, the extent to which their demand has been fulfilled and the arrangements made for their training in Nagaland itself ?

Shri Surendra Pal Singh : It is very difficult to tell as to what their demand was. We can only say that we are trying to fulfil their demand. Apart from police our Security forces are also helping them.

Shri O. P. Tyagi : Is it a fact that the Nagaland Police burnt some 200 houses within the border of Assam ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । वहां पर सीमा के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Do Government propose to give training to the civil population of Nagaland to enable them to deal with the hostile Nagas effectively ?

Shri Surendra Pal Singh : The Security forces are mobilised there to assist the police in insurmountable situations.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथाकथित युद्ध-विराम करार के कारण नागालैंड से भारतीय सेना को हटा लिया गया है और उसकी आड़ में सारे नागालैंड में बदअमनी फैल रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर नागा विद्रोहियों की सरकार बन गई है, क्या यह सच है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री अपने ही पुलिस बल को बढ़ाना चाहते हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नागालैंड सरकार जितनी संख्या में भी सिपाही मांगेगी हम देंगे । जहां तक अन्य सरकार का सम्बन्ध है, सभा अच्छी तरह जानती है कि विद्रोहियों एक तथाकथित सरकार है । यह कहना सही नहीं है कि उसकी शक्ति बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा सेनाओं को वहां से हटाया नहीं जा रहा है । बदअमनी के किसी भी मामले पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि तथाकथित युद्ध-विराम करार के कारण नागालैंड में आन्तरिक अव्यवस्था है और इसको दबाने के लिये वह स्थानीय पुलिस दल की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं । इस मामले में सरकार ने क्या किया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने कहा कि वे जो भी मांगेंगे हम देने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : इसमें सन्देह नहीं कि यद्यपि सशस्त्र सुरक्षा सेना को समाप्त नहीं किया गया है, फिर भी इसकी उपयोगिता सीमित है । क्या यह हमारे हित में नहीं है कि सीमा सुरक्षा पुलिस को इन सभी राज्यों में मजबूत किया जाना चाहिये और उन्हें वही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये जो सैनिकों को अधिक ऊंचाई पर युद्ध करने के लिये दिया जाता है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सीमा सुरक्षा बल विद्यमान है और उन्हें कहीं भी भेजने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

Manali-Leh Road

*1413. **Shri Kushok Bakula :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether the construction of the Manali-Leh road has been started ;

(b) if so, since when ; and

(c) the time by which the construction of this road is likely to be completed ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) सड़क का निर्माण दोनों ओर से हो रहा है । हिमाचल प्रदेश से काम सितम्बर 1964 में शुरू हुआ था, और लद्दाख की तरफ से जून, 1965 में ।

(ग) आशा है कि खुले मौसम योग्य एक सड़क दिसम्बर 1969 तक तैयार हो जायेगी ।

Shri Kushok Bakula : May I know the steps taken for the expeditious completion of the Manali-LehRoad in view of the danger posed by China and Pakistan from that side and whether Government propose to build a road to connect Janskar with that road and if so the amount allocated for the same and when the work is likely to be started ?

श्री मं० रं० कृष्ण : इस सड़क के लिये हमने 20 करोड़ रु० रखा है और काम तेजी से किया जा रहा है बावजूद इसके कि इस कार्य में काफी कठिनाइयां हैं । यह सड़क 276 मील लम्बी है ।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने दूसरी सड़क के बारे में पूछा है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : यह जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है । यह सड़क 276 मील लम्बी है ।

Shri Kushok Bakula : I have asked about the road which links Janskar Tehsil near Leh-Manali Road.

श्री मं० रं० कृष्ण : कम से कम वह उन स्थानों के नाम तो बतायें जिनको यह सड़क मिलायेगी, फिर मैं कुछ जानकारी दे सकूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : The Hon. Member has given the names of Leh and Manali.

श्री बलराज मधोक : क्या लेह से मनाली को मिलाने वाली सड़क के लिये निश्चित किया गया मार्ग उस क्षेत्र के पास से गुजरता है जो इस समय चीन के कब्जे में है और लद्दाख के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया है कि इस सड़क के मार्ग में परिवर्तन किया जाये ताकि यह उस क्षेत्र के निकट से गुजरे जो वास्तव में चीन का नहीं है अपितु जिस पर अब चीन का कब्जा हो

गया है ? दूसरे, क्या सड़क मनाली के सिरे से लाहोल में केलांग तक पूरी कर ली गई है और क्या इस पर मोटर चल सकती है ?

श्री मं० रं० कृष्ण : सितम्बर, 1964 में मनाली के सिरे से निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। फरवरी, 1968 में 178 मील लम्बी सड़क पूरी कर ली गई थी। शेष सड़क 1969 तक पूरी करनी होगी।

श्री बलराज मधोक : प्रश्न यह है कि मनाली से कीलोंग तक वाली सड़क पर मोटर गाडियां चल सकती हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : इन सभी सड़कों पर अच्छे मौसम में मोटरें चल सकती हैं। (**व्यवधान**) अच्छे मौसम का अर्थ है सड़क मोटरगाड़ी के योग्य है।

औद्योगिक उत्पादन

*1415. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा की करेंगी कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन के वर्तमान अधिकृत सूचकांक के, जो 1956 को आधार मान कर बनाया गया है, स्थान पर 1960 को आधार मान कर नया सूचकांक तैयार करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपमंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) सूचकांक में सम्मिलित विषयों के सीमा-क्षेत्र में सुधार के लिये संशोधन किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं के उत्पादन के स्तर में पर्याप्त प्रगति सूचित करने के लिये अपेक्षाकृत अधिक विषय-व्याप्ति के साथ आधार वर्ष को एक अभिनव अवधि में परिवर्तित करने की संभावना है।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस समय विभिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न आधार वर्ष हैं और बिक्री संख्या में बड़ा अन्तर है। क्या ऐसी नीति है कि परिस्थितियों के पर्याप्त रूप से बदलने पर सूचकांक अपने आप ही बदल जाये और क्या सभी आर्थिक सूचकांकों को समान स्तर तक लाने की भी नीति है ?

डा० सरोजनी महिषी : केन्द्रीय तकनीकी परिषद ने सलाह दी कि आधार वर्ष यथा-संभव हाल का होना चाहिये इसका अर्थ है कि सारे सूचकांक आजकल के होने चाहिये और इसके अनुसार प्रयत्न किये जा रहे हैं। आधार वर्ष 1946 से आरम्भ किया गया था और उस समय इसमें 35 वस्तुएं थीं। जब इसे 1951 रखा गया तो इसमें 85 वस्तुएं थीं। 1956 में इसमें 85 वस्तुएं थीं और बाद में 1960 में इसमें 320 वस्तुएं होंगी। अतः आधार वर्ष औद्योगिक प्रगति के अनुसार बदलता रहता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सूचकांकों के लिये एक सामूहिक वर्ष रखने की नीति है।

डा० सरोजनी महिषी : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं और सरकार का इरादा सूचकांकों को एक ही वर्ष के अन्तर्गत लाने का है।

Monetary Transactions of Nepalese Banks with Border Areas

*1416. **Shri Bal Raj Madhok :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nepalese Banks have discontinued their monetary transactions with the border areas ;

(b) whether it is also a fact that business at Raxaul and Virganj has been adversely affected as a result thereof ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) नेपाल में बैंकों के काम का नियमन करना पूरी तरह नेपाल सरकार का काम है। भारत सरकार ने जो पूछताछ की है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती कि नेपाली बैंकों ने भारत से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों के रुपए-पैसे का लेन-देन बन्द कर दिया है।

(ख) रक्सौल बिहार में है और बीरगंज नेपाल में। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि रक्सौल शहर में कारोबार पर कोई बुरा असर पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन और नेपाल सरकार के इस आग्रह के बाद कि नेपाल में केवल नेपाली रुपए को कानूनी मुद्रा माना जाएगा, उस क्षेत्र में भारतीय रुपए की चोरबाजारी आरम्भ हो गई है और नेपाल के माध्यम से चीन भारतीय मुद्रा को इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा है और उसे विध्वंसात्मक प्रयोजनों के लिए इस देश में प्रयोग करता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जहां तक हमारी जानकारी है, यह सच है कि नेपाल में भारतीय मुद्रा कानूनी मुद्रा नहीं है किन्तु नेपाल में भारतीय मुद्रा के आयात तथा निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक चीन द्वारा नेपाल में भारतीय मुद्रा इकट्ठे करने का सम्बन्ध है मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, किन्तु मैं इसकी जांच करूंगा।

Illegal Occupation of Land by Pakistan on the Assam-Pak. Border

+

*1417. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has illegally occupied about 740 bighas of land in the Lathitilla-Dumabari area on the Assam-Pakistan border ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to get the said occupation vacated ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Under a Military Working Boundary Agreement signed on 8th February 1966, Pakistan has under her temporary control, an area of about 748 bighas of land in Lathitilla-Dumabari which she had illegally occupied in 1962.

(b) The solution to the problem lies in the early joint demarcation of the boundary in this area and the exchange of adversely held territories. The Government of India have asked the Government of Pakistan to discuss this issue at any level acceptable to Pakistan. Their reply is awaited. In the meantime, the attention of the Hon. Members is invited to the statement made by the Minister of External Affairs in the Lok Sabha on the 13th July, 1967.

Shri Ram Avtar Sharma : Under the Agreement mentioned by the Hon. Minister the Central Surveyors General held meetings at Dacca and New Delhi. In veiw of the fact that Pakistan has not signed the decisions arrived at those meetings what steps do our Government propose to take in the matter ?

Shri B. R. Bhagat : As I already stated the border is to be demarcated in Consultation with the Government of Pakistan and we are urging them to expedite this matter.

Shri Prakash Vir Shastri : The question what is your reaction at Pakistan's not signing the decisions arrived at.

Shri B. R. Bhagat : It is an old thing. I am talking of what took place after the agreement was signed.

It is true that Pakistan did not sign the decisions arrived at the talks held. It was a wrong thing.

Shri Ram Avtar Sharma : They refused to sign and you patiently endured it. After that you had an **ad hoc** agreement which you termed as temporary agreement and said that firing should not be resorted to there. But, even after that firing is going on there and they are grabbing our territory. In your statement you have said that you cannot do any thing in the matter. What do you mean by that ?

Shri B. R. Bhagat : It is not true that we are not doing any thing. We have already declared that their possession is illegal. Under the temporary agreement the teams of both the countries will go and do the demarcation work. That is the only way to solve this problem peacefully. The Hon. Member is aware of the other methods, but we hope to do this peacefully.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

कोंकण तट पर यात्री किराया
+

अ० सू० प्र० संख्या 24. श्री नाथ पाई :
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण तट पर यात्री किराये के मामले में सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या मत व्यक्त किया है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-1015/68]**

श्री नाथ पाई : महाराष्ट्र सरकार का उत्तर कब प्राप्त हुआ था ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : लगभग 4 या 5 दिन पहले।

श्री नाथ पाई : वक्तव्य के अनुसार यात्री भाड़े में 7 प्रतिशत की वृद्धि के लिये अपनी सहमति प्रकट की है जैसा कि कोंकन भाड़ा समिति ने सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवेदन बहुत पहले प्राप्त हो गया था। किन्तु महाराष्ट्र सरकार जान-बूझकर भारत सरकार के पास अपना निर्णय भेजने में विलम्ब करना चाहती थी क्योंकि बम्बई में नगर निगम के चुनाव होने वाले थे। भाड़ा बढ़ाने की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिये गये परन्तुकों के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या भारत सरकार ने इन परन्तुकों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो क्या भारत सरकार आवश्यक राज-सहायता उपलब्ध करायेगी क्योंकि अधिक भाड़े का भार जनता के लिये सहन करना कठिन है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र सरकार पर जो आरोप लगाये हैं मैं उनका सख्ती से खण्डन करता हूं। हमने महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवेदन 18 या 19 दिसम्बर को भेजा था। हम उनको याद दिलाते रहे और उन्होंने हमें बताया कि प्रतिवेदन उनके विचाराधीन था। जहां तक भारत सरकार द्वारा परन्तुकों के स्वीकार किये जाने का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र सरकार ने पांच प्रश्न उठाये हैं। पहले दूसरे के सम्बन्ध में नौवहन के महानिदेशक ने जांच आरम्भ कर दी है। जांच में प्रश्न तीन और चार को भी शामिल करने के लिये हमने उन्हें लिखा है। इनमें अगले तीन वर्षों में भाड़े में पुनरीक्षण करने की बात है।

पांचवें के सम्बन्ध में जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को आपातकालीन आधार पर मिट्टी निकालने के लिये सहमत हो जाना चाहिये मैंने कहा है :

"छोटे पत्तनों के संधारण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके साथ ही भारत सरकार तकनीकी सहायता देने के लिये हमेशा ही तैयार है।"

इस समय हमारे पास कोई ड्रैजर उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र सरकार अपना ड्रैजर खरीदना चाहती थी। हमने 100.65 लाख रु० की लागत पर जिसमें 20 लाख रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है, 500 टन की क्षमता का एक ड्रैजर खरीदने की स्वीकृति दे दी है। इस बीच यदि कोई ड्रैजर उपलब्ध हुआ, तो भारत सरकार उसे महाराष्ट्र सरकार को दे देगी।

श्री नाथपाई : मैंने कहा कि वे लोग गरीबी और पिछड़ेपन के कारण अधिक भाड़ा देने की स्थिति में नहीं हैं। क्या भारत सरकार आवश्यक राज सहायता उपलब्ध करायेगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक भारत सरकार की वर्तमान नीति का सम्बन्ध है तटीय जहाजरानी के यात्री भाड़ों में राज सहायता देने का कोई इरादा नहीं है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : इन पंचशील परन्तुकों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार माल भाड़ा दरों में 7 प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश स्वीकार करने का सुझाव दिया है। चूंकि चौगुले ने केवल मुनाफे की दृष्टि से अपनी समय सारिणी में परिवर्तन किया है, तो क्या इससे कोंकन भाड़ा जांच समिति का आधार ही समाप्त नहीं हो जाता है ? चूंकि पहले भी चौगुल कर्मचारियों ने नौवहन के महानिदेशक को लिखे बिना ही एकपक्षीय रूप से समय सारिणी में परिवर्तन किया है, क्या सरकार भाड़ा दरों में प्रस्तावित वृद्धि की नई जांच करने का आदेश देगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, महानिदेशक न केवल भविष्य के सम्बन्ध में ही अपितु वर्तमान घटनाओं के सम्बन्ध में भी जांच कर रहे हैं क्योंकि डबोही के लोगों से समय सारिणी में परिवर्तन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पहले उन्हें प्रति सप्ताह 6 'काल' प्राप्त हो रही थीं और उनकी संख्या घटकर 3 हो जायेगी। अन्य पत्तनों के सम्बन्ध में कुछ लाभ हुए हैं। उन्हीं लोगों ने उन्हें, मुझे और महाराष्ट्र सरकार को शिकायतें भेजी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन शिकायतों को नौवहन के महानिदेशक के पास भेजा है। वह अब सारे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं क्योंकि लाइसेंस के अन्तर्गत यह संभव है कि महानिदेशक चौगुल शिपिंग कम्पनी से पहली समय सारिणी अपनाने के लिये कहें। अतः दूसरी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

यह सच है कि जब उन्होंने 1963 में तीन जहाजों के लिए आवेदन-पत्र भेजा था तो उन्होंने कहा था कि वे कोंकण तट यात्री किराया नहीं बढ़ायेंगे। उस समय डाबोही के लिए उनकी ओर से ऐसी कोई सेवा नहीं थी। उस समय यह कार्य सिंधिया की एक सहायक कम्पनी—बम्बई जहाज नौपरिवहन कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा था। वर्ष 1966 में सिंधिया अपने दो जहाजों—रोहिदास तथा एक अन्य और जहाज—के परिचालन को बन्द करना चाहता था क्योंकि उनके विचार से वे हानिकर थीं, तब इस सेवा कार्य को करने के लिए इन जहाजों को खरीदने के लिए मेसर्स चौगुलेस को मनाया गया। उस समय उन्होंने कहा था कि इस सेवा को चलाने का कार्य उनके लिए बहुत खर्चीला अथवा महंगा है क्योंकि उस समय कीमतें बहुत ऊंची थीं। वे किराये में काफी बढ़ोत्तरी करना चाहते थे। तब कम्पनी के द्वारा प्रतिवेदन करने पर इस समिति ने सात प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या नौपरिवहन महानिदेशक पिछले घोटाले अथवा गुलगपाड़े की जांच करायेंगे जिसे कि लाइसेंस का उल्लंघन कहा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया चुका है।

श्री नारायण दांडेकर : मैं जानना चाहता हूं क्या किराये में सात प्रतिशत वृद्धि का निर्णय अन्तिम है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : निश्चय रूप से मैंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है।

श्री दत्तात्रय कुण्टे : क्या यह सच नहीं है कि बी० आई० एस० एन० कम्पनी जिसने बकाया करना छोड़ दिया था, किराये के ऐसे दर की मांग की थी और भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार ने उसका विरोध किया तथा अब उन्होंने चोगुलेस के अनुकूल रवैया अपनाते हुए उन्हें यह दर दिया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : विभिन्न नौवहन कम्पनियों के बीच महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरीयता दिये जाने के बारे में मैं नहीं जानता।

श्री दत्तात्रय कुण्टे : मैंने भारत सरकार को भी शामिल किया था।

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम वरीयता नहीं देते।

श्री सोनावने : मैं जानना चाहता हूं क्या दरों में यह वृद्धि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार की गयी थी और यदि हाँ, तो क्या इस वृद्धि के साथ कुछ शर्तें भी लगायी गई थीं ? यदि कुछ शर्तें लगायी गईं थीं तो मैं जानना चाहता हूं क्या वे शर्तें पूरी की जा रहीं हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने सोचा था कि यह बात मैंने स्पष्ट कर दी है। किराया निश्चित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार का है। कानून के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है केवल वांछनीयता के आधार पर हमने इस मामले को महाराष्ट्र सरकार को निर्दिष्ट किया था। उन्होंने कुछ परन्तुक लगाये जिनकी यहां सभा में चर्चा हो चुकी है। मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि उनमें से दो परन्तुकों के बारे में नौवहन महानिदेशक विचार कर रहे हैं तथा दो और उनके पास विचार के लिये भेज दिये गये हैं और पांचवें के बारे में स्वयं महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लेना है।

Shri Shinkre : The ships serving at the coast of konkan serve many lacs of passengers. Among them the number of Goanese passengers is more than two and a half lacs. The Panji port of Goa is the terminus of konkan coast service. Most of the passengers of the cabins of the serving ships and passengers of the first class belong to Goa. A major part of the income of the steamship company is received from the Goanese passengers. Therefore by raising fares the migrant will be more affected. Therefore, I would like to know from the Hon. Minister whether the Central Government have also discussed this matter of passenger-fares with the Government of Goa as they have discussed this with the Government of Maharashtra, if so, what are the views of the Government of Goa in this respect and what is the reaction of the Central Government and if no such exchange of views have taken place so far then whether the Central Government will take steps to exchange views on this matter with the Government of Goa ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्रीमन् मुझे इसके उत्तर में कुछ नहीं कहना है ।

श्री तिरूमल राव : श्री नाथ पाई ने सुझाव दिया कि आसन्न चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन को अनिर्णीत छोड़ दिया जाये । मंत्री महोदय ने बताया कि प्रतिवेदन को दिसम्बर 1967 में प्रस्तुत किया गया था और चुनाव तो फरवरी 1967 में समाप्त हो गये थे ।

श्री नाथ पाई : मैंने नगर निर्वाचन की ओर निर्देश किया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सारी बात को गड़बड़ में डाल रहे हैं ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : श्रीमन् इस प्रश्न के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछते समय एक नौवहन कम्पनी, मेसर्स चौगुलेश का नाम कई बार आया । इस सम्बन्ध में कुछ सन्देह मालूम पड़ता है कि एक दूसरी कम्पनी ने यात्री-किराये में जितनी वृद्धि का प्रस्ताव किया था और उसकी दरों को बढ़ाने की मांग की थी तो उसे मना कर दिया गया था और चौगुलेश कम्पनी ने यात्री-किराये में उतनी ही वृद्धि के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार की नहीं, भारत सरकार की किसी प्रकार सहमति प्राप्त कर ली, मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि चौगुलेश मूलतः गोआ की एक कम्पनी थी जो पुर्तगाल सरकार के अन्तर्गत रजिस्टर्ड थी और वे पुर्तगाल के अन्तर्गत ही खुशी से व्यापार कर रहे थे । अब गोआ स्वतंत्र हो गया है और उसका भारत में विलयीकरण हो गया है । इन लोगों को जो कि पुर्तगालियों के अन्तर्गत अच्छा लाभ कमा रहे थे अब भी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या मंत्री महोदय इस सारे मामले पर गौर करेंगे और इसकी जांच करवायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री लोबो प्रभु : श्रीमन् मुझ पर इसका कुप्रभाव पड़ता है क्योंकि मैं कोंकण हूं और मैंने इन जहाजों से यात्रा की है । मैं परिवहन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या वे किसी दिन इन जहाजों में यात्रा करना पसन्द करेंगे जिससे उनको पता लग जाय कि इनमें यात्रियों की क्या हालत होती है, उनको किस प्रकार का भोजन दिया जाता है क्योंकि जब तक वे परिवहन मंत्री हैं उनका कुछ उत्तरदायित्व है, न केवल भाड़ा और किराया लेने का बल्कि सेवा की सुविधाओं आदि को उपलब्ध कराने का भी ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं अपने माननीय मित्र के साथ ऐसी यात्रा करने में बड़ा खुश होऊंगा ।

श्री सेक्वीरा : मेरे साथी श्री शिकरे द्वारा पूछे गये प्रश्न—कि क्या गोआ सरकार का परामर्श लिया गया—का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया । मुझे दुःख है कि ऐसा नहीं किया गया । उत्तर के अनुसार महाराष्ट्र सरकार कुछ शर्तों के साथ किराये में सात प्रतिशत वृद्धि के सम्बन्ध में सहमत हो गयी । भाग (ग) के अनुसार, भारत सरकार ने सात प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश को पहले ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब यह नौवहन महानिदेशक को अन्य सारी शर्तों की जांच करने के लिए कह रही है । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र

सरकार द्वारा जिन शर्तों की सिफारिश की गयी है उन पर पहले निर्णय किये बिना सरकार ने किराये में वृद्धि की बात को स्वीकार करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों की ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत सरकार के किराये को निश्चित करने के अधिकार पर महाराष्ट्र सरकार को वीटो प्राप्त नहीं है। लेकिन हमने उनसे परामर्श किया और सारे उल्लिखित उपबन्धों के विषय में कार्यवाही कर रहे हैं। वे हमें बताने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आदिम जातीय विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन दल का प्रतिवेदन

*1407. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री अब्राहम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) आदिम जातीय विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित अध्ययन दल के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रतिवेदन कब प्राप्त होगा ;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन देने के लिए कोई समय सीमा रखी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) लक्कदीव और नेफा को छोड़कर अध्ययन दल ने सभी आदिम जातीय क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रारूप प्रतिवेदन तैयार कर लिये गये हैं।

(ख) और (ग). दल की अवधि 30 जून, 1968 तक मंजूर की गई है और आशा है उस समय तक प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण यमन में डाक्टरों को भेजना

*1408 **श्री दीवीकन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत दक्षिण यमन के नये जनवादी गणराज्य में कुछ डाक्टर भेजने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उस देश को भारत में निर्मित औषधियां बेचने का भी है ; और

(घ) यमन की सरकार को वहां पर एक चिकित्सा प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के लिए किस प्रकार की सहायता देने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) छह ।

(ग) इस बारे में कोई अन्तर-सरकारी विचार-विनिमय नहीं हुआ है । बहरहाल, भारतीय औषधियों को वाणिज्यिक आधार पर विदेशों में भेजने को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नागालैंड के लिए पृथक राज्यपाल की नियुक्ति

*1410. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड सरकार नागालैण्ड के लिए पृथक राज्यपाल की नियुक्ति और नागालैण्ड तथा भारत सरकार के बीच हुए 16-सूत्री समझौते को पूर्णरूपेण क्रियान्वित किये जाने की मांग कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) 16-सूत्री समझौते को अभी तक कितना क्रियान्वित नहीं किया गया ?

वैदशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). नागालैण्ड की सरकार ने नागालैण्ड के लिए अलग राज्यपाल नियुक्त करने की मांग की है । इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

राज्य सरकार ने 16-सूत्री करार का विशेष रूप से कोई जिक्र नहीं किया है । जैसा कि सदस्यगण जानते ही हैं, भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से 26 जुलाई, 1960 को नागा पीपुल्स कन्वेंशन के प्रधान स्वर्गीय डा० इम्कोंगलिबा आओ के नेतृत्व में 15 नागा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था । इस प्रतिनिधिमंडल ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री के सामने एक 16-सूत्री ज्ञापन रखा था । इसमें जो प्रस्ताव थे उनकी अच्छी तरह जांच की गई थी और नागाओं को उनके आंतरिक मामलों में अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करने की सरकार की नीति के अनुरूप, भारत संघ में एक अलग राज्य के रूप में नागा हिल्स तुएनसांग क्षेत्र स्थापित करने की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई । इस करार का तत्वांश संविधान में सन्निहित कर दिया गया था । देखिए संविधान (तेहरवां संशोधन) अधिनियम, 1962, जोकि संसद् द्वारा 1962 में पास किया गया था ।

नागाओं के साथ बातचीत

*1414. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री स्काटो स्बू और श्री कुघाटी सुखाई के नेतृत्व में छिपे नागाओं का एक दल नागा समस्या का राजनीतिक हल ढूंढने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ पुनः बातचीत करने के पक्ष में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Tenders for Supply of Pulses to Armed Forces

*1418. **Shri Hardayal Davgun:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the rates of pulses quoted in the tenders which were accepted for supply to the Armed Forces for 1967-68 and the parties by whom those tenders were given ;

(b) whether it is a fact that those rates were higher than the market rates and that tenders were invited from a limited number of parties ; and

(c) the reasons for which pulses were not purchased through the Food Corporation of India ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). A statement giving the required information is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT 1016/68]**

तिब्बत में चीनी सेना का जमाव

*1419. **श्री अंबचेजियान :** **श्री शिव चंद्र झा :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री सीताराम केसरी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि चीन ने हाल में ही तिब्बत में 16 डिवीजन सेना लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तिब्बत में सेना का भारी जमाव इस बात की कोई सूचना है कि निकट भविष्य में भारत पर नया हमला होने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने बड़ी शक्तियों का ध्यान इस नवीन घटना की ओर दिलाया है ; और

(घ) उसकी चुनौती का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). चीनी अभी तक हमारी उत्तरी सीमाओं के पार भारी शक्ति में विद्यमान हैं। गत दिनों में इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। अपनी सुरक्षा को उस द्वारा होने वाले संकट का अपनी संक्रियात्मक योजनाओं में ध्यान रखा जाता है, और जैसे आवश्यक नजर आए समय-समय पर, उसे मित्र देशों के ध्यान में भी लाया जाता है।

Anti-National Activities of C. I. A. in India

*1420. **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Ranjit Singh:
Shri Kanwar Lal Gupta:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have sent any protest letter to the Government of U. S. A. during the last two years against the anti-national activities of C. I. A. in India;

(b) if so, the reply given by the Government of U. S. A. thereto; and

(c) Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): (a) No formal protest has been lodged with the U. S. Government. The report submitted by the Intelligence Bureau in regard to the use of foreign money in the last General Elections and for other purposes is under consideration. Government are vigilant in regard to any subversive and espionage activities by foreign agencies and appropriate action to counteract such activities is taken, as and when necessary.

(b) and (c). Do not arise.

गुरुद्वारा ननकाना साहिब को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा

*1421. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि 'इन्टरनेशनल सिख ब्रदरहुड' नामक संस्था पश्चिम पाकिस्तान में गुरुद्वारा ननकाना साहिब को 'वैटिकन सिटी' जैसा अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिये जाने के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ बात कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार ननकाना साहिब को यह दर्जा देने को तैयार है बशर्ते भारत में एक स्वतंत्र सिखिस्तान बनाया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संत फतह सिंह द्वारा इस आधार पर कुछ अस्थायी प्रस्ताव सरकार को पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). अखबारों की खबरों के अतिरिक्त सरकार को और कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Newspaper Reports About Narcondam Island

*1422. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appearing in the "Hindustan Times," dated the 30th March, 1968 that the Newspaper reports ih regard to Narcondam are baseless as per inquiry conducted by Government and neither the Burmese officers had ever visited that place nor they had erected any pillars or stones there;

(b) whether the said news was communicated to the "Hindustan Times" by some Government spokesmen ;

(c) whether Government's attention has been drawn to the reports regarding Narcondam appearing in the "Hindustan Standard" published from Calcutta on 25th March, 1968 and 28th March, 1968;

(d) if so, whether the said reports are also baseless;

(e) whether Government will punish such persons as are responsible for giving such reports to the Press and also the Newspapers which published them ;

(f) if the reports referred to in part (c) above are correct, whether Government will punish the spokesman responsible for giving the said reports to the "Hindustan Times" and the Publishers of the "Hindustan Times"; and

(g) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir. Government have seen the news-item.

(b) No, Sir.

(c) and (d). Government have seen the news-item. As already indicated in Parliament there are no pillars on the Island indicating any possession other than Indian.

(e) Government do not consider any such action necessary.

(f) and (g). Do not arise.

विदेशी समाचार एजेंसियां

*1423. **श्री स० चं० सामन्त : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं के हमारे समाचार-पत्रों को मुफ्त सामग्री उपलब्ध कराने वाले कुछ विदेशी न्यूज एण्ड फीचर सिंडीकेटों की वित्त व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली के बारे में सरकार ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं । तथापि यूनिवर्सल प्रेस सर्विस के नाम से कार्य कर रही एक भारतीय समाचार सेवा, जो पश्चिम जर्मनी की एक गैर-सरकारी प्रचार एजेंसी की सामग्री वितरित करती है, के अस्तित्व के बारे में सरकार को पता लगा है । इसके बारे में आगे जांच की जा रही है ।

एस्सेक्स फार्म (प्राईवेट) लिमिटेड द्वारा सशस्त्र सेनाओं को टिनों में बन्द मांस की सप्लाई

*1424. **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री प० गोपालन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित एस्सेक्स फार्म (प्राइवेट) लिमिटेड सशस्त्र सेनाओं को टिनों में बन्द मांस सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गत वर्ष सैनिक अधिकारियों ने टिनों में बन्द मांस बड़ी मात्रा में वापस लौटा दिया था, क्योंकि वह घटिया किस्म का था;

(ग) यदि हां, तो कितना मांस वापस लौटाया गया;

(घ) क्या यह भी सच है कि एस्सेक्स फार्म को पुनः टिन बन्द मांस सप्लाई करने के लिए क्र्यादेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 1967 वर्ष के दौरान सर्वश्री एस्सेक्स फार्म्ज (पी०) लिमिटेड द्वारा टेण्डर किये गये 609 टनों में से 7.157 टन अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि वह ए० एस० सी० के ब्योरे के अनुरूप न था, जबकि 17,367 टन मूल्य में कमी करने की शर्त पर स्वीकार किया गया था ।

(घ) जी हां । जून से सितम्बर 1968 की अवधि के दौरान वितरणों के लिए, 5 मार्च, 1968 को फर्म को 200 टन टीनों में बन्द मांस के लिए एक आर्डर दिया गया है ।

(ङ) प्रतियोगी टेण्डर के आधार पर, आर्डर चीफ डायरेक्टर पर्चेज डिपार्टमेंट आफ फूड द्वारा भेजे जाते हैं । इस मामले में केवल सर्वश्री एस्सेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड टेण्डर इन्क्वायरी के प्रति अनुक्रियाशील हुए ।

Documentary Films to Counteract Chinese and Pakistan Propaganda

*1425. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the names of the documentary films produced by Government to counteract the

venomous propaganda against India by China and Pakistan;

(b) whether some of these films were sent abroad;

(c) whether the number of films produced and sent abroad by Pakistan for propaganda against India is with in the knowledge of Government; and

(d) if so, the names of the countries in which such films were shown?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) A list of the films having a bearing on the subject is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-1017/68]**

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

A. I. R. Station, Jodhpur

*1426. **Shri Onkar Lal Bohra:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in the setting up of the proposed station of All India Radio at Jodhpur;

(b) the measures being adopted to make the programmes broadcast from the All India Radio Stations in Rajasthan adequately effective as compared to those broadcast by the Pakistan Radio, keeping in view the fact that Rajasthan is a border State; and

(c) the expenditure incurred on All India Radio programmes in Rajasthan on their activities on propaganda and expansion during the last three years and also the amount likely to be spent in this connection during the forthcoming year?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) A low power broadcasting centre is already in operation at Jodhpur. It is also proposed to set up a high power transmitter with adequate studio facilities at this centre. There has been no delay in the execution of this scheme which is expected to be completed in the latter half of 1969.

(b) Apart from the general programmes being broadcast from the Jaipur, Ajmer, Udaipur and Bikaner Stations of All India Radio in Rajasthan, a special 30 minute programme consisting of a news bulletin, a commentary on a topical item and the music, is broadcast daily from All India Radio, Jaipur for the border areas of the State.

(c) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-1018/68]**

बंगाल रेजीमेंट

*1427. **श्री समर गुह:** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन बंगाल आर्मी के सैनिक अग्रणी देशभक्त थे जिन्होंने 1857 में 'स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम' आरम्भ किया था;

(ख) क्या प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने 'बंगाल रेजीमेंट' को इसी कारण समाप्त कर दिया था, क्योंकि उसके सैनिकों ने देशभक्ति के कार्य किये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगाल आर्मी तथा 'बंगाल रेजीमेंट' की देश-भक्ति पूर्ण परम्परा के सम्मान में एक बंगाल रेजीमेंट बनाने का है, क्योंकि इसकी बार-बार मांग की जाती रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बंगाल रेजीमेंट के नाम की एक भी रेजीमेंट नहीं थी। 1903 से पहले कई रेजीमेंट थीं कि जिनके नाम के आगे बंगाल लगा था। उस वर्ष के बाद उनके नाम में परिवर्तन किया गया था, उनमें कईयों के पुनः नाम रखे गये थे पहले, दूसरे, चौथे, आठवें और नौवें बंगाल, लासर्ज, तीसरी बंगाल केवलरी 12 बंगाल पाथनियर्ज, पांचवी बंगाल (लाईट) इन्फेन्ट्री इत्यादि। ऐसा दर्शाने को कोई अभिलेख नहीं है कि उनके सैनिकों के देशभक्ति के कार्यावश उनमें कोई भी प्रथम विश्वयुद्ध के बीच तोड़ दी गई थी।

(ग) जी नहीं।

Broadcast of Hindi News Bulletins

*1428. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of the Radio stations in the country from which news-bulletins are not broadcast in Hindi and whether Government propose to introduce Hindi news bulletins there ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : Every Station of A. I. R. broadcasts/relays one or more Hindi news bulletins originated centrally in its Home Service. In view of this, the latter part of the question does not arise.

In reply to Unstarred Question No. 4546 in the Lok Sabha on 20-3-68, it was stated that news was not broadcast in Hindi from Radio Srinagar, but on checking the position it is now found that Hindi bulletins are broadcast from Srinagar Station. To this extent, the reply given to the Unstarred Question referred to above stands amended. The mistake is regretted.

मलयेशिया सरकार का 'वर्क परमिट' समाप्त करने का निर्णय

*1429. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया सरकार ने सिंगापुर के नागरिकों अथवा संघ (फेडरेशन) में रहने वाले पहचान-पत्र धारियों के 'वर्क परमिट' समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) भारतीय नागरिकों के संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने इस आशय की कुछ खबरें देखी हैं।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों पर असर नहीं हुआ और इसलिए इस मामले में हमारी ओर से कार्रवाई किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा टैंक-रोधक बांध का निर्माण

*1430. **श्री न० कु० सोंधी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान ने सियालकोट सेक्टर में उनके द्वारा बनाई गई एक नई नहर के साथ-साथ हाल में 'टैंक-रोधक बांध' नामक एक 11 मील लम्बी दीवार बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इस बात का ज्ञान है कि स्यालकोट क्षेत्र में एक बांध तथा खाई का निर्माण किया जा रहा है कि जो एक टैंक विरोधी प्रतिरोध का काम दे सकता है । जैसे कि 6 मार्च, 1968 को सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर में बताया गया है, सरकार अपनी सीमाओं के उस पार पाकिस्तान की सैनिक गतिविधि पर सतर्कता से नजर रखे है । देश को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पग संक्रियात्मक योजनाओं के अंश के तौर पर उठाए जाते हैं ।

महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति

*1431. **श्री क० लकप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को प्रधान मंत्री के सचिवालय से कोई निर्देश दिए गए थे कि 'सभी महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट पद केवल गुणों के आधार पर भरे जाने चाहिये', और सभी पद, जिन पर काम करने वाले सेवा निवृत्त होने वाले हैं, विज्ञापित किये जाने चाहिये और उन पदों पर काम कर रहे व्यक्ति की सेवा निवृत्ति से काफी समय पहले उस पद के लिए नया व्यक्ति चुना जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में यह निर्देश लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). एक पत्र, जिसमें यह दोहराया गया था कि उच्चतम स्तर की नियुक्तियों के लिए गुण ही एकमात्र कसौटी होना चाहिए और अधिवर्ष अधिकारियों की सेवा में वृद्धि या उनकी पुनःनियुक्ति के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाए और रिक्त स्थानों का समय पर अनुमान लगाया जाए, अप्रैल, 1967 में मंत्रिमंडल सचिवालय से मिला था, प्रधान मंत्री सचिवालय से नहीं । इन अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Indo-U. A. R. Collaboration for Manufacturing H. F. 24

*1432. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the date when the contract for manufacturing the engines of H. F. 24 aeroplanes was given to the United Arab Republic and when it was cancelled due to their failure to manufacture these engines;

(b) whether any enquiry was made of the types of aeroplanes and engines manufactured in the United Arab Republic to assess their skill, experience, technical know-how and capacity to manufacture engines as per our requirements;

(c) the name of the agency which conducted the enquiry; and

(d) the amonut spent so far on this scheme and the results achieved therefrom?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Misra): (a) to (d). An agreement was signed in 1964 in which India and U. A. R. agreed to discuss arrangements for H.F.-24 airframe and the E-300 engine. A team of technical experts from HAL was deputed to UAR and they reported favourably on the possibility of the E-300 engine being a suitable power plant for the H.F.-24 airframe, but its adoption for the H.F.-24 aircraft was subject to successful completion of the development of the engine and its satisfactory performance in flight. An H.F.-24 airframe was supplied to U.A.R. in April 1965 to enable the assessment of the performance of the E-300 engine in flight. These trials are still in progress.

No contract with U.A.R. for the supply of engines has been signed.

In addition to the loan of an H.F.-24 airframe, a number of technical personnel were deputed to U.A.R. to assist in the flight trials. The expenditure on it is being worked out.

राष्ट्रीय रक्षा कोष

*1433. **श्री रा० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा कोष की कार्यकारी समिति ने सेनाओं के लिए लड़ाकू विमानों के स्क्वैड्रन और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए 17.75 करोड़ रुपये का उपयोग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी विदेशी पार्टी से हाल में इन वस्तुओं की खरीद के बारे में बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू-श्रीनगर राजपथ

*1434. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 182 मील लम्बा जम्मू-श्रीनगर राजपथ शीत ऋतु में प्रतिवर्ष बर्फ से रुक जाता है ;

(ख) क्या इस राजपथ पर अधिक बर्फ गिरने के कारण गाड़ियों का यातायात बन्द हो जाता है तथा सड़क का पता चलना भी कठिन हो जाता है और फिसलना सरल हो जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार शीत ऋतु में इस राजपथ को नियमित रूप से साफ रखने के बारे में कोई स्थाई प्रबन्ध करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। इस राजमार्ग के कुछ अंश सर्दियों के मौसम में भारी हिमपात से ग्रस्त रहते हैं।

(ख) जब हिमपात निरन्तर और भारी होता है सीधे यातायात रुक जाता है, परन्तु अभी तक सड़क की स्थिति के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा।

(ग) जी हां। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

Purchase of Arms by Rebel Nagas from Portugal

*1435. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rebel Nagas have taken steps to purchase large quantity of arms from Portugal ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). While Government of India keep a careful watch on the contacts of the Naga Underground with foreign powers, they have no information about alleged contacts with Portugal. Naturally, Government of India regard the supply of arms and ammunition to the Naga Underground by any foreign country as a hostile act directed towards India.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्माण

*1436. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा क्रयादेश प्राप्त किए बिना ही विभिन्न प्रकार के विमानों का निर्माण किया जाता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा बिना क्रयादेश प्राप्त किए गतवर्ष कितने तथा किस प्रकार के विमान बनाए गए तथा कितने विमान इस समय बनाए जा रहे हैं ; और

(ग) पहिले ही बनाए जा चुके कितने विमानों के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्रयादेशों के अभाव के कारण विमान जमा न हों तथा इससे पूंजी निष्क्रिय न पड़ी रहे, क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

एलप्पि, केरल, के निकट उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर

8334. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल राज्य में एलप्पि के निकट एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने के प्रस्ताव को रद्द कर रही है ; और

(ख) क्या केरल के मुख्य मन्त्री ने हाल में ही उन्हें लिखा है कि एलप्पि में शीघ्र एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने के लिए कार्यवाही की जाए और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं। तथापि, केरल के मुख्य मंत्री ने एक पत्र के उत्तर में जिसमें उनसे एलप्पि में एक ट्रांसमीटर लगाने के लिए उचित कीमत पर स्थान अधिग्रहण करने के मामले में सहायता करने के लिए कहा गया था, दिनांक 5 फरवरी, 1968 को एक पत्र अवश्य भेजा था जिसमें बताया गया था कि स्थितियों को देखते हुए कार्रवाई हमारी ओर से होनी चाहिए।

राजनयिक पासपोर्ट

8335. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रियों, राजदूतों तथा विदेश सेवा के अन्य सदस्यों की पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों को राजनयिक पासपोर्ट दिए जाते हैं तथा देश में तथा विदेशों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उनके सामान की जांच नहीं की जाती है ; और

(ख) दिसम्बर, 1967 के अन्त में भारत में सभी वर्गों के, पुरुष तथा महिलायें, कुल कितने व्यक्तियों के पास राजनयिक पासपोर्ट थे ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पासपोर्ट नियम 1967 के अनुसार, सरकार के मंत्री, राजदूत और भारतीय विदेश सेवा के दूसरे राजनयिक सदस्यों की पत्नियों, बेटे और बेटियां अपने पति/अभिभावक के विदेश निवास की अवधि के लिए और भारत लौटने के लिए राजनयिक पासपोर्ट के अधिकारी होते हैं।

भारतीय राजनयिक पासपोर्ट वालों पर भी भारत में सीमा-शुल्क सम्बन्धी जांच के नियम लागू होते हैं। विदेशों में राजनयिक पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों के निजी सामान पर उन देशों के नियम तथा 1961 में राजनयिक सम्बन्ध विषयक वियना अभिसमय के नियम लागू होते हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सैनिक भूमि नियमावली

8337. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक भूमि तथा छावनी सेवा के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए "सैनिक भूमि नियमावली" पाठ्य-पुस्तक के रूप में निर्धारित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उम्मीदवारों के प्रयोग के लिए इस नियमावली की बिक्री करने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छावनी क्षेत्रों में सम्पत्ति का हस्तांतरण

8338. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 11 तथा 18 दिसम्बर, 1967 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 3693 तथा 4764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त आदेश की शर्त संख्या 6 में यह व्यवस्था थी कि इस मंजूरी की शर्तों के अधीन भूमि का हस्तांतरी भी मंजूरी की शर्तों का पालन करेगा।

(ख) क्या सरकार का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर दिलाया गया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले जमीन दी गई थी उसमें उक्त आदेश के खण्ड एक के अन्तर्गत जमीन के लिए आवेदन-पत्र दिया था और वह खण्ड 5 के अन्तर्गत विधिवत रजिस्टर किया गया था ; और

(ग) क्या उनका ध्यान छावनी (आवास-स्थान) अधिनियम 1962 की प्रस्तावना की ओर दिलाया गया है तथा क्या 1836 के आदेश संख्या 179 के स्थान पर दूसरा आदेश जारी कर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1836 के जनरल आर्डर 179 की शर्त संख्या 6 में निर्धारित है कि उक्त आदेश में दी गई शर्तों

के अरिरिक्त कोई भूमि प्रदान न की जाए, कि जिन शर्तों को, प्रत्येक उस व्यक्ति को मानना होगा कि जिसे भूमि प्रदान की जाय या उसे प्रदान की गई भूमि बाद में जिसे अन्तरित की जाए।

(ख) जी नहीं। तदपि, उक्त आदेश के अन्तर्गत प्रदान की गई सभी भूमिएं उसके उपबन्धों के अनुसार प्रदान की गई मानी गई हैं।

(ग) जी हां। जबकि भूमि अनुदान अब जनरल आर्डर संख्या 179 दिनांक 12 सितम्बर 1936 की शर्तों के अनुसार नहीं किए जाते, उसके अन्तर्गत पहले से किए गए अनुदान उसकी शर्तों के अनुसार नियमित किए जाते हैं।

फिल्म सलाहकार समिति

8339. **श्री न० कु० सांघी :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के चलचित्र संघ के साथ हुए समझौते की अवहेलना करके केन्द्रीय तथा प्रादेशिक रा फिल्म सलाहकार समितियों का इसलिए पुनर्गठन किया गया है कि उनके परामर्श से रा फिल्मों का वितरण हो तथा समितियों में सदस्यों का नाम निर्देशन उनके परामर्श से हो ;

(ख) सदस्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में भारत के चलचित्र संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई औपचारिक समझौता हुआ हो। किसी सूरत में भी, फेडरेशन द्वारा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड को अस्वीकार करने से नामंजूर करना ही सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिये उत्तरदायी है। इन्डियन डाकूमेन्ट्री प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन और दक्षिण भारत की फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रतिनिधियों, जो अब तक तदर्थ आधार पर निमन्त्रित प्रतिनिधियों के रूप में बैठकों में भाग लेते रहे हैं, के बिना सलाहकार समितियां वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। अतएव उनको पुनर्गठित केन्द्रीय रा फिल्म सलाहकार समिति में शामिल किया गया। फिल्म फेडरेशन आफ इन्डिया के परामर्श की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं था।

(ख) प्रोड्यूसरों को एसोसियनों, जिनके सदस्य रा फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, को समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया के प्रधान के साथ इस मामले पर बातचीत हुई और उनको सरकार की राय बता दी गई।

कच्छ के मामले में महा-न्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी द्वारा लिये गये भत्ते

8340. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महा-न्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी ने, जिन्होंने बताया जाता है कि कच्छ न्यायाधिकरण के समक्ष भारतीय मामले का समन्वय किया था, दैनिक भत्ता और विदेश भत्ता दोनों लिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो किस एफ० आर० अथवा एस० आर० के अन्तर्गत ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) भारत के अटार्नी जनरल, श्री सी० के० दफ्तरी ने कच्छ ट्रिबुनल से सम्बद्ध काम के सिलसिले में जेनेवा में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान मुनासिब दर पर सिर्फ दैनिक भत्ता ही लिया था विदेश भत्ता नहीं। उन्हें दैनिक शुल्क भी दिया गया था।

(ख) इस तरह के मामलों में आधारभूत नियम और पूरक नियम लागू नहीं होते। दैनिक भत्ते (नकद भत्ता और निवास-स्थान प्रभार) भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियम 1961 की व्यवस्थाओं के अनुसार और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए विशेष आदेशों के अनुसार स्वीकार किये गये थे।

Development of Backward Areas of U. P.

8341. **Shri Molahu Prasad**: Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have constituted Hilly Areas Development Council to develop backward areas of Uttar Pradesh;

(b) the particular conditions existing in hilly areas examined so far by the Council and the action taken for their development ;

(c) the total amount spent so far since the inception of the Council and the items on which the amount was spent; and

(d) the undertakings proposed to be set up during the Fourth Five Year Plan and the proposed cost of each of them?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) The Government of Uttar Pradesh have constituted a Hill Development Board.

(b) and (c). The Board has not completed examination of special problems of the hill areas so far, except for making certain recommendations for the improvement of roads in that area which are still under examination by the Government of Uttar Pradesh.

(d) The programmes of development for the Fourth Plan have still to be drawn up.

Srinagar Airport

8342. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state whether arrangements have been made by Government for the all weather landing of planes at Srinagar Airport coming from other parts of India?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): Steps for making Srinagar Airport an all weather airport by improving the landing and navigational aids are being expedited.

छिपे नागाओं के साथ मुठभेड़

8344. **श्री वेदव्रत बरुआ :**

श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मेदाखोमा गांव के निकट 17 तथा 18 मार्च को सुरक्षा दल तथा छिपे नागाओं के बीच गोलीबारी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). 17 और 18 मार्च, 1968 को मेदाखोमा गांव के पास छिपे नागाओं और सुरक्षा सेनाओं के बीच मुठभेड़ की किसी वारदात की सरकार को जानकारी नहीं है। लेकिन 16 मार्च, 1968 को सामान्य गश्त पर तैनात हमारे सुरक्षा सैनिकों ने 60 सशस्त्र उपद्रवियों को देखा था जो माटीखू गांव (जिला कोहिमा) में छिपे हुए थे । चूंकि इस गांव के आसपास 1,000 गज के भीतर हथियारों से लैस उपद्रवी नागाओं के आवागमन से कार्रवाई बंदी करार का उल्लंघन होता है, इसलिए गोलीबारी हुई और परिणामस्वरूप हमारी सुरक्षा सेना ने 9 छिपे सशस्त्र नागा पकड़ लिए तथा कुछ हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया। किसी भी ओर कोई हताहत नहीं हुआ।

पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों का शिष्ट मण्डल

8345. **श्री स्वैल :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों के व्यक्तियों का एक शिष्ट-मण्डल हाल में दिल्ली आया तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रियों से मिला था ;

(ख) क्या शिष्टमण्डल ने कोई विशिष्ट प्रस्ताव पेश किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन बस्तियों के लोगों को राहत देने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

पाक स्टेट के कुछ द्वीप समूहों पर नियंत्रण

8346. **श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक स्टेट के कुटुकल टीवू, मुयाल टीवू, मनुआली टीवू, आपास टीवू, पल्लीवासल टीवू, मुल्ली टीवू और वलाई टीवू नामक द्वीपसमूह, जो किसी समय रामनाथपुरम दरबार का एक भाग थे, अब भी भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो यह नियन्त्रण किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इन पर कौन नियन्त्रण कर रहा है ; और

(घ) क्या कच्चा टीवू द्वीप के अलावा जिस पर लंका ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, पाक स्टेट में कहां द्वीपसमूहों के स्वामित्व के बारे में लंका के साथ कोई विवाद है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). ये द्वीप समूह रामनाड के राजा की जागीर के हिस्से हैं जिसे मद्रास सरकार ने 1949 में जमीदारी उन्मूलन के बाद ले लिया था। एक कच्चाटीवू को छोड़कर इन द्वीप समूहों के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं है। कच्चाटीवू पर श्रीलंका ने "जबरदस्ती कब्जा" नहीं किया है। जैसा कि संसद् में पहले भी सवालों के जवाब में बताया जा चुका है, कच्चाटीवू के सवाल पर भारत और श्रीलंका के वरिष्ठ अधिकारियों में जल्दी ही विचार-विमर्श होने वाला है।

विद्रोही मिजो

8347. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान स्थित मैमी और क्वाचालांग से विद्रोही मिजो अपनी कार्यवाहियां चला रहे हैं और भारत में मिजो पहाड़ियों के गांवों से जबरदस्ती धन वसूल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान स्थित अड्डों से मिजो लोगों की गतिविधियां रोकने और वहां पर उनका प्रशिक्षण बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ हाल ही में बातचीत की है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान न केवल विद्रोही मिजो और नागाओं को प्रशिक्षण और साज-सामान की सुविधाएं ही दे रहा है बल्कि पूर्वी सीमान्त प्रदेश में भी खासी तथा अन्य आदिम जातियों के लोगों को ऐसी ही सुविधायें दे रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान के चटगांव जिले के शिविरों के मीजो उपद्रवियों ने, जहां कि म्यानी और कसलौंग स्थित हैं, त्रिपुरा में बंदूक दिखाकर दुकानें लूट ली थीं। पाकिस्तान सरकार हथियार और गोला-बारूद तथा कई शिविरों में छापामार लड़ाई की ट्रेनिंग की व्यवस्था करके, जोकि इसी उद्देश्य के लिये पूर्व पाकिस्तान में स्थापित किये गये हैं, मिजो और नागा उपद्रवियों की जो सहायता कर रही हैं, उसके बारे में सरकार को जानकारी है।

पूर्व पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा उपद्रवी तत्वों को सहायता दिये जाने के बारे में पाकिस्तान सरकार से कई बार विरोध प्रकट किया जा चुका है। पाकिस्तान सरकार को बताया गया है कि उनका यह व्यवहार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के एकदम प्रतिकूल है और ताशकंद घोषणा का उल्लंघन है जिसके अनुसार दोनों देश इस बात के लिए बंधे हैं कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह इन उपद्रवियों को इस तरह की कोई सहायता नहीं दे रही है।

Meeting of Representatives of Government, Naga Underground and Peace Observers

8348. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Prem Chand Verma:
Shri Chengalraya Naidu:
Shri B. N. Shastri:
Shri R. R. Singh Deo:
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri D. N. Deb:
Shri Godilingana Gowd:
Shri S. K. Tapuriah:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether a Tripartite meeting of the representatives of the Central Government, underground Naga rebels and Nagaland Peace Observers' Team was held during this month;

(b) if so, subjects discussed thereat; and

(c) the outcome thereof?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (c). Meeting scheduled for 20th April at Dimapur was to discuss the following subjects:

(i) to honour the terms of Agreement on Suspension of Operations;

(ii) to review the outstanding violations of Agreement on Suspension of Operations;

(iii) to devise measures for speedy implementation of the recommendations of Peace Observers' Group.

(iv) Strengthening of Peace Observers' Group. Government of India have not yet received details of its outcome.

A. R. C. Report on the Reorganisation of Cabinet

8349. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government have received the report of the Administrative Reforms

Commission about the reorganisation of the Central Cabinet ;

(b) if so, their main recommendations ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

स्वेज नहर का बन्द रहना

8350. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 तक स्वेज नहर कुल कितनी अवधि के लिये बन्द रही ;

(ख) उपरोक्त अवधि में हमें अपने आयात अथवा निर्यात पर जो अधिक भाड़ा देना पड़ा उसके कारण कुल कितनी हानि हुई अथवा अतिरिक्त खर्च करना पड़ा ; और

(ग) सरकार की आशा के अनुसार स्वेज नहर की सामान्य नौवहन के लिये कब तक खोले जाने की संभावना है और उन तिथि को ध्यान में रखते हुये इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) स्वेज नहर 6 जून, 1967 को बन्द कर दी गई थी और अब भी बन्द ही है।

(ख) नुकसान का अनुमान लगाना तो सम्भव नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत को पश्चिम से आने वाले माल पर अधिक किराया देने की वजह से हर महीने करीब सवा दो करोड़ रुपये का अधिक खर्च भुगतना पड़ रहा है। चूँकि निर्यात के किराये के आंकड़े नहीं रखे जाते इसलिये हमारे निर्यात पर हुये अतिरिक्त खर्च का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) पश्चिम एशिया का संकट शुरू होने के दिन से ही भारत ने दूसरे देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र में और अन्यत्र एक ऐसे स्वीकार्य समाधान खोजने में सहायता करने की बराबर बड़ी कोशिश की है कि जिससे इस क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आ जाए। सामान्य नौवहन के लिये स्वेज नहर के खुलने की तभी आशा है जबकि पश्चिम एशिया का संकट निबट जाये और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता आ जाये।

संसत्सदस्यों के गैर-सरकारी शिष्ट-मंडल की पूर्वी अफ्रीका की यात्रा

8351. **श्री मधु लिमये :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् सदस्यों का एक गैर-सरकारी शिष्टमंडल, अपने साथ आवश्यक विदेशी मुद्रा लिये बिना/अथवा संस्थाओं द्वारा उनका व्यय किये जाने का उचित प्रस्ताव किये बिना, हाल में पूर्वी अफ्रीका गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त संसद्सदस्यों के पास वापिस लौटने का किराया भी नहीं था ;

(ग) यदि हां, तो इन दौरों की मंजूरी किसने दी थी। "पी०" फार्म किसने दिये थे ;

(घ) इन संसद् सदस्यों के नाम क्या-क्या थे ; और

(ङ) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क). चार संसद्-सदस्यों का एक दल जनवरी, 1968 में पूर्व अफ्रीका के कुछ देशों के दौरे पर गया था। प्रत्येक को पांच-पांच सौ रुपए के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई थी।

(ख) और (ग). ये सदस्य स्वयं अपनी ओर से इस यात्रा पर गए थे, सरकार की ओर से नहीं। उन्होंने रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा परमिट के आधार पर स्वयं ही यात्रा आदि का प्रबंध किया था।

(घ) श्री नरेन्द्र सिंह महीडा

सरदार संतोख सिंह

श्री प्रसन्न वदन मेहता

श्री सी० एम० केदारिया

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

M. E. S. Workers' Union Allahabad

8352. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the Uttar Pradesh M.E.S. Workers' Union, Allahabad ;

(b) if so, the main demands made therein ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) Yes, Sir ; a hand-bill containing the demands of the Union was sent by the Hon'ble Member along with a letter dated 6-3-68.

(b) The main demands are as follows :—

(i) Accommodation be provided for all M. E. S. employees at Allahabad, Manauri, Bamrauli and Chakeri ; failing this, Cycle Allowance and Project Allowance be given.

(ii) revival of the permanent negotiating machinery ;

(iii) Stoppage of filling up of 33⅓% of non-Gazetted posts in M. E. S. byMilitarised cadre and stoppage of direct entry to certain subordinate posts in the M. E. S.

(iv) Issue of liveries to Stores Chowkidars and Sweepers and removal of disparity in service conditions between Stores Chowkidars and Office Chowkidars.

(v) No upper age limit should be prescribed for reclassification of departmental porsonnel.

(vi) Constitution of a Wage Board for defence civilians.

(c) The demands are under examination.

मन्नार चाय बागान, केरल में आन्दोलन के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा विरोध

8353. **श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्नार चाय बागान, केरल में आन्दोलन के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने मौखिक/लिखित रूप से कोई विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ब्रिटिश विरोध का उत्तर देने से पहले केरल सरकार से परामर्श किया गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). ब्रिटिश हाई कमीशन ने मौखिक रूप से विदेश मंत्रालय को बताया था कि मद्रास-स्थित उनका उप हाई कमिश्नर मुन्नार चाय बागान की स्थिति के बारे में मुख्य मंत्री से बातचीत करने के लिए केरल जा रहे हैं । राज्य सरकार ने केन्द्र को सूचित किया कि उप हाई कमिश्नर ने मुख्य मंत्री से कहा कि बागान में मजदूरों की स्थिति की वजह से ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण ब्रिटिश कर्मचारियों के जान और माल को खतरा पैदा हो गया और उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी हिफाजत की व्यवस्था करनी चाहिए । मुख्य मंत्री ने उप हाई कमिश्नर को आश्वासन दिलाया कि बागान क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

प्रतिरक्षा धातु विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला

8354. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री गणेश घोष :**
श्री वि० कु० मोडक : श्री भगवान दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा धातु विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला को ईशापुर (पश्चिमी बंगाल) से हैदराबाद ले जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं: और

(ग) इस प्रयोगशाला के स्थानान्तरण से कुल कितने कर्मचारियों पर कुप्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). लेबारेटरी का अधिकतर अंश हैदराबाद को इच्छापुर से सितम्बर, 1963 से जून, 1964 के बीच अन्तरित किया गया था, और केवल एक छोटा सा कक्ष इच्छापुर में पीछे रह गया है। इस कक्ष को फिलहाल हैदराबाद अंतरित करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Vietnamese Publication

8355. **Shri Bhogendra Jha**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4107 on the 18th March, 1968 and state:

(a) whether all the 28 books are in favour of Vietnam Freedom Struggle and against the American aggression;

(b) whether the ban on the entry of the said books by Custom authorities is in consonance with the independent foreign policy of India and her policy of restoration of peace in Vietnam;

(c) if not, whether Government propose to withdraw the restriction imposed on the entry of the said books; and

(d) if not, the reasons therefore?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) to (d). This matter is being looked into. As already indicated entry is generally disallowed only in respect of publications which fall within the purview of general prohibitory orders.

Mahar Regiment

8356. **Shri Sashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the non-Mahars of Northern India and Southern India can join Mahar Regiment and Sikh Light Division; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) and (b). Scheduled Castes from Northern India other than Mahars can join the Mahar Regiment and, if they belong to Mazhabi and Ramdasia Sikh communities, the Sikh Light Infantry also. Scheduled Castes from Southern India cannot join either of these as they are given representation in other Regiments.

Naming of Infantry Divisions

8357. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the details of the scheme for naming the new infantry division on a national basis;

(b) the names of the regiments of 'Chamars' and 'Adivasis' formed during the British regime and whether any of them was named 'Gayatri Regiment';

(c) whether Government are aware that the Britishers had disbanded such 'caste' regiments and if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that some people including Chief Ministers and Members of Parliament have recommended the formation of 'Ahir' Regiment now ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Infantry Divisions are identified only by numbers, not by any names.

(b) Chamars were enrolled mainly in the Indian Pioneer Corps, the Royal Indian Service Corps (Animal Transport and Machanical Transport) and in small numbers in the Indian Armoured Corps, the Royal Indian Artillery, the Royal Bombay Sappers and Miners, the Kumaon Regiment, the Dogra Regiment etc. Adivasis were not entertained in the Indian Army before the last World War. They were enrolled during the last World War in Bihar Regiment, Indian Pioneer Corps and in small numbers in the Royal Bombay Sappers and Miners. No Regiment of the Indian Army was named as 'Gayatri Regiment'.

(c) The Britishers disbanded such 'caste' Regiments during the years 1883-88, as in the opinion held by them at that time, such a step would improve the fighting efficiency of the Army.

(d) Yes, Sir.

(e) This request is not likely to be acceptable.

Army Divisions

8358. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of divisions in the Army named after castes like Rajput, Jat, Dagra and Gorkha and their division-wise strength prior to the Independence ; and

(b) the number of divisions raised yearly thereafter ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) None

(b) Does not arise.

Recruitment of Harijans to Various Divisions of the Army

8359. **Shri Shashibhushan Bajpai :** Will the Minister of **Defenee** be pleased to state :

(a) the names of the divisions of the army to which able-bodied Harijans of Madhya Pradesh, Delhi, Haryana and Rajasthan are eligible for recruitment ; and

(b) the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Harijans (Scheduled Castes) are eligible for recruitment to the units of the Army as under :

(i) **Madhya Pradesh :**

Mahar Regiment, Brigade of the Guards and Parachute Regiment.

(ii) **Delhi and Haryana :**

Punjab Regiment, Brigade ef the Guards and Parachute Regiment.

(iii) **Rajasthan :**

Brigade of the Guards.

Also they are eligible for recruitment in mixed or 'all class' Regiments, such as Regiment of Artillery, Corps of Engineers, Corps of Signals, Army Medical Corps, Army Ordnance Corps, Army Supply Corps etc.

संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करने वाले भारतीय

8360. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों के राष्ट्रजनों की तुलना में संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी न किसी रूप में काम करने वाले भारतीयों की संख्या कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने भारतीय काम कर रहे हैं तथा उनके पदनाम तथा वेतन क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं, दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा भारत का प्रतिनिधित्व संतोषजनक है ।

(ग) ताजातम सूचना के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में निम्नलिखित वर्गों में 131 भारतीय राष्ट्रिक काम कर रहे हैं :

(1) अवर सचिव सामान्य	1
(2) डी-2	3
(3) डी-1	6
(4) पी-5	18
(5) पी-4	24
(6) पी-3	7
(7) पी-2	7
(8) पी-1	—
(9) सामान्य सेवा और दूसरे स्तर	65
कुल	131

विभिन्न वर्गों के वेतन नीचे लिखे अनुसार हैं :

	(अमरीकी डालरों में)
(1) अवर सचिव सामान्य	30,000
(2) डी–2	25,000
(3) डी–1	22,300
(4) पी–5	19,500
(5) पी–4	15,900
(6) पी–3	12,850
(7) पी–2 पी–1	9,640

भारतीय सेना में नामशूद्र समुदाय का भरती किया जाना

8361. **श्री समर गुह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार भारतीय सेना में बंगाल के परम्परागत लड़ाकू नामशूद्र समुदाय को भरती करने तथा इस प्रयोजन के लिये बंगाल में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए विशेष प्रयत्न करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : सेना में भर्ती बिना जाति, विश्वास, सम्प्रदाय, धर्म या प्रदेश का विचार किए सभी श्रेणियों के लिए खुली है, अगर वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शिक्षा मानदण्डों के अनुरूप हों और निर्धारित आयु सीमाओं के अन्दर हों। बंगाल का नामशूद्र सम्प्रदाय अपने आप को भर्ती के लिए प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। पश्चिमी बंगाल में पहले से एक सैनिक स्कूल है। केवल किसी सम्प्रदाय या सम्प्रदायों के लिए सैनिक स्कूल नहीं खोले जाएंगे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ को सहायता

8362. **श्री समर गुह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभाजन के समय समस्त राष्ट्र की ओर से महात्मा गांधी ने सीमांत गांधी (खान अब्दुल गफ्फार खां) को वचन दिया था कि विभाजन के बाद नये शासन में उनको यदि राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए तो सभी प्रकार की सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि सरकार पख्तूनों के मामले को तैयार हो तो क्या सीमांत गांधी ने बार-बार तथा हाल में ही भारत आने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार के पास ऐसे किसी वचन का कोई सरकारी रिकार्ड नहीं है। बहरहाल, पख्तूनों के बारे में सरकार के विचार सर्वविदित हैं और सदन में बार-बार बताए जा चुके हैं। पख्तूनों की न्यायोचित मांग के प्रति सरकार को पूरी सहानुभूति है और संवैधानिक रूप से जो भी संभव होगा, उनकी मदद करेगी।

(ख) और (ग). खान अब्दुल्ल गफ्फार खां को जनवरी, 1965 में भारत आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने संकेत दिया है कि वे किसी उपयुक्त अवसर पर आएंगे।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

8363. **श्री समर गुह :**
श्री सीताराम केसरी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री ने हाल में पाकिस्तान के साथ शांति, मित्रता तथा समझौते करने के बारे में जो बिचार व्यक्त किये हैं, उनकी पाकिस्तान में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है ;

(ख) क्या पाकिस्तान के सरकारी नेताओं तथा पाकिस्तान रेडियो ने भारत की इस पेशकश में उत्तर में अपना भारत विरोधी प्रचार और तेज कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) मार्च में ए० पी० पी० के संवाददाता के साथ प्रधान मंत्री की भेंट का पाकिस्तान में प्रचार तो व्यापक हुआ लेकिन उसकी प्रतिक्रिया सीमित रही।

(ख) भारत विरोधी प्रचार तो बढ़ा नहीं परन्तु दुर्भाग्य से इस देश के प्रति पाकिस्तान की नीति का यह अंग बना रहा।

(ग) भारत सरकार ने बहुत बार दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने की आवश्यकता और इसमें ऐसे प्रचार से पैदा होने वाली अड़चन की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया है।

Recovery of Secret Documents from an Employee of Air Headquarters

8364. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain secret documents had been recovered from the possession of a Lady Typist working in the Safdarjang Air Headquarters by the Gate-keeper in February, 1968;

(b) if so, whether Government have conducted an enquiry into this matter ; and

(c) the details thereof and the action taken thereon ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Complaints Against Depossession of Land of Military Personnel

8365. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the State-wise number of the military personnel, who have addressed their complaints to Government regarding their land and other property having been taken possession of by other persons during the last five years ; and

(b) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna): (a) No separate record of such complaints is maintained and it is not possible to collect the number of such complaints received during the last five years.

(b) Such complaints when received are either passed on for disposal by the concerned authorities in the Army Headquarters or lower formations or examined and considered in consultation with the State Governments concerned.

Help to the Families of Ladakhi Jawans

8366. **Shri Kushok Bakula**: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that families of the jawans of other States of the country who laid down their lives in 1947 and 1962 while defending the country in J and K have been given land and other financial help by the Central Government and States concerned ; and

(b) if so, the reasons for which the State Government of Jammu and Kashmir have not given any land or other financial help to the families of those Ladakhi jawans who laid down their lives for the defence of their country in 1947 and in 1962 and a number of whom were honoured with military awards also in recognition of the valour displayed by them ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) After the Chinese aggression of 1962, several State Governments, including J and K, announced various concessions for families of service personnel killed in action such as ex-gratia grants for immediate relief, preference for land allotment and educational concessions for children, which varied from State to State. As regards the Central Government besides pensionary benefits, immediate financial relief and scholarships to children of such personnel studying in Military, Sainik and Lawrence schools have been given after the Chinese aggression.

(b) The question does not arise as the J and K Government order of 19-1-63 specifically stated that the concessions would be applicable, inter-alia, to the personnel of Ladakh Scouts.

Posts of Technicians and Scientists in Defence Laboratories

8367. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the posts of technicians and scientists in the Defence laboratories could not be filled up and many posts are lying vacant even now;

(b) if so, whether persons having requisite qualification are not available in the country or whether there is any defect in the procedure of recruitment;

(c) the number of technicians and scientists who have resigned their posts in his Ministry during the last three years ; and

(d) whether Government have tried to ascertain the reasons behind the resignations by such qualified persons and, if so, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). Only about 5 per cent of the total number of technical and scientific posts remained unfilled as on 1-1-1968. The majority of the unfilled posts were created in the previous year. Some of the vacant posts are earmarked for promotees and have not been filled as there is a dearth of candidates with the required length of service. A number of posts have also been kept reserved for apprentices till the latter complete their training and are considered for regular appointment. No difficulties are at present experienced in obtaining suitable candidates by direct recruitment.

(c)

Scientists	Technicians
44	2

(d) Compared to the total strength, resignations of about 15 per year is not large. Usual reasons given by the individuals are pursuit of higher sudies, domestic difficulties or ill-health.

TV Programmes

8368. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of hours, per day, for which programmes can be televised according to the present capacity of each of the Television Station and the number of hours for which the programmes are being televised ; and

(b) the details of profit or loss, year-wise, in respect of television programmes particularly during the last one year ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) There is only one Television Centre in India at present, namely, the one in Delhi. The Centre gives out programmes for an average of about 21 hours a week, utilising its optimum capacity on the basis of existing facilities.

(b) The actual expenditure during 1966-67 amounted to Rs. 25,96,239 while during 1967-68 it is likely to be Rs. 28,83,100. In view of the limited number of TV sets, the licence fee from these sets is expected to be of the order of about Rs. 2 lakhs a year only. The Television Centre provides an important public service-education, information and entertainment

through its programmes and the benefits derived out of it should not be judged in terms of money.

Defence Dairy Farms

8369. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Military dairy farms last year and the total quantity of milk produced therein ;

(b) whether it is a fact that the cost of milk produced by these dairy farms is higher than the market rate ; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) Audited figures of expenditure for 1967-68 are not yet available During the year 1966-67, the total expenditure incurred on the production of milk was Rs. 154.18 lakhs and the total quantity of milk produced was 139.28 lakh litres.

(b) No, Sir. Taking into account the higher butter fat content of Military Farm produced milk as compared to the purchased milk during 1966-67, the Farm-produced cow milk was cheaper while the Farm-produced buffalo milk was produced at practically the same rate as the purchased milk. During 1967-68, it is expected that both the cow and buffalo Farm-produced milk will be cheaper than the purchased milk.

(c) Does not arise.

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड में राडार का विकास

8370. **श्री क० लकप्पा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलोर ने प्रतिरक्षा कार्य के लिये एक राडार तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये डिजाइन के राडार का और अधिक विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रति रक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). यह सूचना देना लोकहित में नहीं होगा ।

टेलीविजन सेटों का उपहार

8371. **श्री वीवीकन** : **श्री सुन्नावेलु** :
श्री मयावन : **श्री कमलनाथन** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में विभिन्न देशों से कितने टेलीविजन सेट उपहार में मिले हैं; और

(ख) भारत सरकार ने यह सेट किन-किन व्यक्तियों अथवा संगठनों को मुफ्त दिये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 251 ।

(ख) किसी व्यक्ति या संगठन को कोई सेट मुफ्त नहीं दिया गया । ये सेट स्कूलों और टेली-क्लबों आदि में लगाए गए हैं । ये सेट आकाशवाणी की सम्पति ही है ।

Radio Stations in Madhya Pradesh

8373. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of new radio stations started in Madhya Pradesh during the past six years, the expenditure incurred thereon and the annual recurring expenditure and income thereof ; and

(b) the number of artistes and other employees employed by the radio stations in Madhya Pradesh and the amount being paid to them annually in the form of salary or emoluments ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The following Radio Stations were started in Madhya Pradesh during the past six years.

Raipur—Auxiliary Centre—2-10-63
Gwalior—Auxiliary Centre—15-8-64
Jabalpur—Auxiliary Centre—8-11-64

Information regarding the expenditure incurred thereon, annual recurring expenditure and income thereof, is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Defence Colony in Madhya Pradesh

8374. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to construct a defence colony in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the place selected therefor and time by which it would be constructed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). No definite Scheme for the construction of a Defence colony in Madhya Pradesh has been formulated. However, according to a proposal considered some years ago, about 60 places were selected as suitable for the establishment of Sainik Co-operative House Building Colonies all over the country. These included three places in Madhya Pradesh, viz., Indore, Jabalpur and Mhow. The intention is that, subject to satisfactory response and the formation of Sainik Co-operative House Building Societies, develop land should be secured through the State Governments concerned for allotment of plots on a no-profit-no-loss basis to serving and ex-service personnel either individually, or as members of these co-operative societies, after which it will be the responsibility of the allottees to construct their houses. No such societies have been formed in Madhya Pradesh so far.

Weak Transmitters in Madhya Pradesh

8375. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that transmitters in Madhya Pradesh are weak ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the transmitters of high power will be installed there ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir. Madhya Pradesh has, at present, four medium power medium wave, one medium power short wave and three low power medium wave transmitters.

(b) The coverage in the State, which is inadequate, is proposed to be further extended by installing two more medium power medium wave transmitters under the Fourth Plan. The actual date of their installation depends on the availability of resources and the requisite foreign exchange.

Sainik School in M. P.

8376. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any concrete steps to bring about an improvement in the administration of the Sainik School in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). There is only one Sainik School in Madhya Pradesh situated at Rewa. There are no complaints regarding the administration of the School. The question of taking special steps to improve the administration does not, therefore, arise.

Explosion in Ordnance Factory, Khamaria

8377. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three defence employees were seriously injured as a result of explosion in the Ordnance Factory, Khamaria in Madhya Pradesh on the 22nd March, 1968 ;

(b) whether Government have inquired into the causes of the said explosion ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). An accident occurred in Ordnance Factory, Khamaria on the 22nd March, 1968 which resulted in serious injuries to one person and minor injuries to two others. It occurred when the individuals were engaged on an operation in connection with the manufacture of a certain explosive. A Board of Inquiry was appointed to go into the causes of the accident and to suggest remedial measures. The findings of the Board of Inquiry are awaited.

फिल्म डिवीचन, बम्बई में अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में नियम

8378. **श्री क० लकप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के बम्बई स्थित फिल्म डिवीजन के प्रशासनिक अधिकारी, न्यूजरील अधिकारियों, निर्माण प्रबन्धक, स्टोर अधिकारी और संगीत निर्देशक के पदों के लिये विद्यमान भर्ती नियम क्या हैं ;

(ख) क्या इन पदों के पदधारी शीघ्र ही सेवानिवृति पाने वाले हैं और उनके सेवा-निवृत होने से पूर्व ही इन पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन पदों का कोई पदधारी पहले ही सेवानिवृत हो चुका है ;

(घ) यदि हां, तो कब और इस पद को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि वह पद विद्यमान नियमों के अनुसार नहीं भरा गया है तो, इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-1019/68]

(ख) स्टोर अधिकारी के पद के पदधारी जनवरी, 1968 में सेवानिवृति होने वाले हैं । भर्ती नियमानुसार, उनके उत्तराधिकारी को समय पर नियुक्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

निर्माण प्रबन्धक के पद के पदधारी 2 फरवरी, 1967 को 58 वर्ष के हो गए थे । उनकी सेवावधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई थी जिसे उनके उत्तराधिकारी की नियुक्त तक और बढ़ा दिया गया है । संघ लोक सेवा आयोग ने उत्तराधिकारी के चयन के लिए पदको पहले ही विज्ञापित कर दिया है ।

(ग) से (ङ). न्यूजरील अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के पदों के पदधारी क्रमशः 14-12-67 और 27-12-67 को सेवा से निवृत हो गए थे । प्रशासनिक अधिकारी का पद अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर भर दिया गया है । इस पद के भर्ती नियमों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधन किया जा रहा है ताकि इसे फिल्म विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पदोन्नत पद बनाया जा सके । ज्योंही संशोधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, उन के अनुसार, पद को नियमित आधार पर, भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे । न्यूजरील अधिकारी के पद के मामले में किसी नई भर्ती की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले ही चुना गया उम्मीदवार इस पद को भरने के लिए उपलब्ध था ।

Repair of Roads and Bridges

8379. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have repaired roads, passes and bridges destroyed during the conflict with Pakistan in 1965 ; and

(b) if so, the number of places with details of the repairs carried out by the Defence Department along with the expenditure incurred thereon ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b). No roads, passes and bridges on the charge of the Defence Ministry were destroyed during the conflict with Pakistan.

However, a few bridges were slightly damaged and the same were repaired. It would not be in public interest to disclose the details thereof.

Propaganda by Pakistan Radio

8380. **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri J. B. Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sharda Nand :
Shri Shri Chand Goyal :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Radio has made a most virulent and exaggerated propaganda about the riots which took place in Allahabad, Calcutta and other places ;

(b) if so, the action taken by Government in counteracting that propaganda ;

(c) whether it is also a fact that the news about the disturbances in Allahabad was broadcast by Pakistan Radio before A. I. R. broadcast ;

(d) if so, how it has happened ; and

(e) whether it is also a fact that the news about the disturbances in Allahabad was communicated to Pakistan through some secret transmitter ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Highly exaggerated accounts were given by Pakistan Radio and Press of the incidents that took place recently in Allahabad, Calcutta and some other places. The Government of India have taken adequate steps to counteract Pakistani propaganda in foreign countries.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) No, Sir.

C. I. A. Officials' Visit to Mahesh Yogi's Ashram

8381. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Major General Palit of the Indian Army went to see Mr. Russel D. Brains, a key official of C. I. A., who is attending Maharishi Mahesh Yogi's Ashram ;

(b) if so, the purpose of Major General Palit's visit to the Ashram and the details of talks held by Mr. Brains with him ; and

(c) whether Indian security is not jeopardised by such conduct on the part of Senior Army Officials ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) Major General D. K. Palit, Commandant, Indian Military Academy, made a private visit to the Ashram when he met Mr. Russel D. Briens, representative of Continental Press, Washington, who was undergoing a course at the Ashram and whom the General had met earlier in February, 1967, when Mr. Briens visited the IMA on a conducted trip. The General merely exchanged a few words with Mr. Briens and did not have any talks or discussions with him.

(c) Does not arise.

Gun and Shell Factory

8382. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that serious riots occurred in the Gun and Shell Factory, Cossipore (Calcutta) on the 21st May, 1966, 9th/10th May, 1967 and 4th March, 1968 ;

(b) whether any enquiry was made in regard to these riots; and

(c) if so, the result of the enquiry and the names of the persons penalised in this connection ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) : (a) There were certain incidents in the Gun & Shell Factory, Cossipore on the said dates which caused disturbances in the factory.

(b) Departmental enquiries were made.

(c) The Board of Enquiry held to investigate the incidents on 21.5.66 had recommended that the land adjoining the factory should be taken over by the Government. The matter has been taken up with the State Government. The Board of Inquiry held to investigate the disturbances in May, 1967 had recommended the transfer of certain officers. These officers have since been changed. Taking an overall view of these disturbances, the question of further action to be taken in the matter is being pursued.

Recall of India's Representative from I. C. C.

8383. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Canada is recalling its representatives on the International Control Commission (Vietnam) ;

(b) whether it is also a fact that Government of India have under consideration a scheme for recalling some of her representatives on the International Control Commission ;

(c) if so, the number of persons being recalled ; and

(d) the number of Indian official working in the International Control Commission ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Due to reasons of economy the I. C. C. decided to effect some temporary reductions in the strength of the three Delegations as well as of the International Secretariat. The reductions now contemplated affect 107 home-based personnel of the three countries.

(d) 203 Indians are at present working with ICSC Vietnam in the Indian Delegation and the International Secretariat.

Passport for Sheikh Abdullah

8384. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has applied for an international passport for visiting foreign countries ;

(b) if so, the countries for visiting which he has applied for the Passport and the date by which the Passport is likely to be issued to him ;

(c) whether it is a fact that Sheikh Abdullah has mentioned himself as a citizen of Jammu and Kashmir ; and

(d) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Does not arise.

परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी सन्धि

8385. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अप्रैल, 1968 के प्रथम सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र महासभा की होने वाली बैठक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों की राजधानियों में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी सन्धि के बारे में भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए क्या सक्रिय कूटनीतिक कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : संसार की राजधानियों में से कोई सक्रिय राजनयिक कार्रवाई करना सरकार अवाश्यक नहीं समझती । हमारी नीति महासभा के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी जैसा कि हमारे प्रतिनिधि ने 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति की बैठक में किया था ।

British Indian Ocean Territory

8386. **Shri R. S. Vidyarthi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the British Government have set up a Naval Base, named British Indian Ocean Territory, by taking some of the Mauritius Islands, which

would take the shape of a floating fort in the three thousand miles long Indian Ocean ; and

(b) if so, the steps that Government proposed to take to end the British influence in the Indian Ocean?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The British Indian Ocean Territory (BIOT) was constituted in 1967 by British by acquiring four island groups in the Chagos Archipelago including Diego Gareia from Mauritius and Aldabra, Farquhar and Desroches from Seychelles.

2. The Government of India expressed its concern to the British Government at the reported proposal to set up military bases in the BIOT. The British Government informed us that they did not intend to use the BIOT for military bases, but only for a staging post to provide communication facilities with the Far East.

3. However in November, 1967 the British Government announced that they had decided to drop their plans for Aldabra as a post-devaluation measure.

4. Government have taken note of all this; and the situation is kept under constant review.

Indian High Commission, Mauritius

8387. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Cultural Attache in the Indian High Commission, Mauritius.

(b) if so, whether Government propose to appoint a Cultural Attache in Mauritius; and

(c) if so, when?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Government propose to appoint shortly an Information Attache at Mauritius, who will also look after cultural work.

Republic Day Programme Broadcasting from A. I. R.

8388. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of programmes connected with the Republic Day broadcast from the All India Radio this year ;

(b) the number of programmes, out of them, in Hindi and English respectively ;

(c) the reasons for not broadcasting in Hindi the programme like 'Beating the Retreat'; and

(d) whether it is proposed to broadcast all the programmes of national importance in Hindi as well in future ; and if so, by when?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Special Newsreel on "Beating the Retreat" is usually broadcast in English. Band music items included in this programme are mostly based on Western music. The existing transmitter facilities are not adequate for having simultaneous programme in two languages with all-India coverage.

(d) A large number of programmes of national importance are broadcast in Hindi even now. The question of having more and more of such programmes in Hindi is under consideration. Shortage of transmitter facilities makes it difficult at present to have simultaneous programmes in two languages with all-India coverage.

इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारी

8389. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थल सेना में इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में भर्ती किए गए व्यक्तियों को सेवामुक्त किया जा रहा है जबकि नौसेना तथा वायु सेना में भर्ती किए गए इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवा मुक्त नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं०रं० कृष्ण) : (क) आपाती कमीशन प्रदान करने का सिद्धान्त केवल सेना में पुरस्थापित किया गया था, न कि वायु सेना और नौसेना में। इसलिए वायु सेना और नौसेना से आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की विमुक्ति का प्रश्न नहीं उठता। फैसला किया गया है कि सेना के उन ई० सी० ओज० को अगर निरीक्षण के पश्चात वह योग्य पाए जाएं, प्राप्य रिक्त स्थानों की सीमा तक स्थायी कमीशन दी जाए अगर वह उपयुक्त हों और स्थायी कमीशन के लिए विचारे जाने के लिए राजी हों।

(ख) उन आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की 1967 के पश्चात 1970 तक एक प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार विमुक्ति के निम्न कारण हैं, जो स्थायी कमीशन की प्राप्ति के लिए ग्रेड नहीं बना पाते :

(1) उस समय सेना की आवश्यकता पूरी करने के लिए नर्म किए गए चयन स्तरों के आधार पर आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को ऐसी कमीशन दी गई थी।

(2) इन अफसरों में से कुछ उच्चतर आयु या निम्न चिकित्सा श्रेणी के कारण स्थायी कमीशन के लिए अर्ह नहीं हैं।

(3) इन सभी अफसरों को स्थायी कमीशन का प्रदान करना न केवल सेना की क्षमता को ही प्रभावित करेगा, बल्कि अफसरी काडर के सेना ढांचे में असंतुलन भी पैदा कर देगा।

(4) इनमें कुछ, चाहे अर्ह थे, स्थायी कमीशन के लिए प्रार्थना करने के लिए राजी नहीं थे।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड में हड़ताल

8390. **श्री क० लकप्पा :**
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री दामानी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री राजाराम :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ;

(ग) विवाद को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उत्पादन में कितनी हानि हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं । हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बंगलौर डिवीजन, और भारत अर्थमूवर्ज के रेल कोच डिवीजन में 25 मार्च से 3 अप्रैल, 1968 तक हथियार रख देने की हड़ताल हुई थी, जब प्रबन्धों को तालाबन्दी की घोषणा करना पड़ी । बातचीत के फलस्वरूप, समझौता हो गया था और इन यूनिटों ने 15 अप्रैल, 1968 से काम करना शुरू कर दिया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) लगभग 100 लाख रुपये ।

Ceasefire Violations Committed by Pakistan

8391. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Jammu and Kashmir stated recently in the State Legislative Assembly that Pakistan has committed 22 violations of ceasefire line after the Tashkent Agreement was signed;

(b) whether Government's attention has been drawn to the fact that 6 persons were killed and 4 persons were wounded and 6 others abducted in the aforesaid border violations and India had to sustain some other losses also as a result thereof; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action taken by Government to check these incidents and the reaction of the Pakistan Government thereto?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). Government's attention has been drawn to the reported statement of the Chief Minister of J and K. It is true that cease fire violations committed by Pakistan have sometimes resulted in casualties and damage on our

side of the Cease-Fire Line. Apart from the lodging of cease-fire violation complaints with U. N. Military Observers and protest notes with Pakistan, suitable action to effectively guard the Cease-Fire Line and foil Pakistani intrusions continues to be taken. Recourse is also had to discussions for reduction of tension along the Cease-Fire Line through meetings of Sector Commanders and the Army Chiefs of the two countries, which are periodically held in terms of the Tashkent Agreement.

"दि पार्टी" नामक फिल्म का सेंसर

8392. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकन पीटर सैलर्स फिल्म "दि पार्टी" को भारत के सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ;

(ग) क्या यह सच है कि फिल्म में 'अशोक चक्र' बहुत बार दिखाया गया है तथा उसका अनादर किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) फिल्म "दि पार्टी" को प्रमाणित करने के लिये केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को अभी तक कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत और श्रीलंका के बीच जलप्रांगण (टेरिटोरियल वाटर्स) की सीमा

8393. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका सरकार ने जलप्रांगण टेरिटोरियल वाटर्स की सीमा को 12 मील तक बढ़ाने के भारत सरकार के दावे को स्वीकार नहीं किया है तथा दोनों देशों के बीच अभी तक विवाद चल रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच अनिर्णीत विवादों को हल करने के लिये कोई पहल की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं । श्रीलंका सरकार को भारत सरकार की उस अधिसूचना के बारे में जानकारी है जिसमें अपने प्रादेशिक समुद्र की सीमा 12 मील बढ़ाई गई है। इस बारे में दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है । भारत सरकार भविष्य में भी किसी समस्या को आपसी बातचीत से ही तय करना चाहेगी ।

टेलीविजन के कार्यक्रम

8394. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन कार्यक्रमों, विशेषतः छात्रों के लिये दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की कारगरता के बारे में कोई व्यवस्थित अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). जी, हां। फोर्ड फाउंडेशन के तत्वावधान में डा० पाल न्यूरेथ प्रोफेसर, समाज विज्ञान एवं सांख्यिकी, क्वीन्स कालेज, सिटी यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। उनकी राय और बातों के साथ-साथ ये हैं :

(1) टेलीविजन शिक्षण में एक उपयोगी सहायक के रूप में सिद्ध हो रहा है। विद्यार्थी अधिक और उत्तम प्रयोग देखते हैं ; टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले प्रयोगों में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो सर्वोत्तम स्कूलों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किए जाते।

(2) टेलीविजन वाले स्कूलों के विद्यार्थियों के परिणाम बिना टेलीविजन वाले स्कूलों के विद्यार्थियों के परिणामों से कुछ अच्छे होते हैं।

(3) सम्पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, यद्यपि अलग-अलग हर एक शिक्षक के शिक्षण कार्य में नहीं, बेहतरी के लिए कुछ परिवर्तन हो रहा है।

ट्राम्बे अणु केन्द्र के अनुभागों का स्थानान्तरण

8395. **श्री क० लकप्पा :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे अणु कन्द्रों के दो अनुभागों को महाराष्ट्र राज्य से बाहर किसी स्थान पर ले जाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अचानक ही इस स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थानान्तरण से कितने कर्मचारियों पर और किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). जी नहीं। केवल कम्प्यूटर यूनिट, जो अब ट्राम्बे में स्थित है तथा जिसे इलैक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाले अन्य यूनिटों के साथ सन् 1966 के अन्त तक हैदराबाद ले जाया जाना था, का स्थानांतरण अक्टूबर-नबम्बर, 1968 में इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद को किया जायेगा। इस यूनिट को पहले न हटाये जाने का कारण

यह था कि यह कुछ उपकरणों को बनाने और उन्हें चालू करने के काम में व्यस्त था। कम्प्यूटर यूनिट में लगभग 35 कर्मचारी हैं तथा इस यूनिट के हटाये जाने से उनके हितों पर कोई भी बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

कच्चाटीवू द्वीप में पेट्रोल के निक्षेप

8396. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय समाचारपत्रों में प्रकाशित कोलंबो के मिस्टर हरबर्ट के अभिषद् लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि कच्चाटीवू द्वीप के समुद्री तल में पेट्रोल के दुर्लभ निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दावे में कितनी सचाई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अखबारों की खबरें देखी हैं लेकिन इस बारे में किसी जांच-पड़ताल आधारित कोई सूचना नहीं हैं।

Licences for Manufacturing Television Sets

8397. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the names of the firms to whom licences for manufacturing Television sets have been issued and the dates of issue of the licences;

(b) the progress made so far by the firms in this regard; and

(c) the number of such firms in private and in public sector separately?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). Messrs. J. K. Electronics, Kanpur and Messrs. Telerad, Bombay have been given industrial licences for the manufacture of 10,000 TV sets each per annum. Both the firms have obtained licences for import of plant and machinery. One of the firms has also been given licence for import of necessary components. Indigenously manufactured sets are expected to be available in the next few months.

A capacity of 10,000 TV sets is also proposed to be set up in the small scale sector.

All these firms are in the private sector.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में ठेकेदार

8398. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में इस समय कितने ठेकेकार काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये हाल में एक ठेकेदार द्वारा बनाये गये मकानों में उसने घटिया किस्म का सामान प्रयोग किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और क्या सरकार का विचार इसके लिये उत्तरदायी उक्त ठेकेदार का नाम काली सूची में रखने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एच० ए० एल० (बंगलौर डिवीजन) में असैनिक निर्माण कार्य सम्पन्न कर रहे ठेकेदारों की कुल संख्या 33 है ।

(ख) एच० ए० एल० प्रबन्ध को विश्वास है, कि ऐसा नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना में असैनिक कर्मचारी

8399. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना तथा हिंडन हवाई अड्डे पर कार्य करने वाले तृतीय श्रेणी के असैनिक लोअर डिवीजन क्लर्कों को जो कि तीन वर्ष से कम अवधि से कार्य कर रहे हैं नौकरी से हटाने के लिये एक मास का नोटिस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा कितने असैनिक कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है ; और

(ग) क्या इन कर्मचारियों को कोई वैकल्पिक रोजगार देने की योजना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी हां ।

(ख) छटनी का कारण है प्रशिक्षित वैमानिकों की प्राप्यता । ठीक-ठीक अन्तर्ग्रस्त संख्या ज्ञात नहीं है । यह सम्बन्धित यूनिटों से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को यथासम्भव अखिल भारतीय आधार पर सभी रक्षा संस्थानों के लिये फालतू तथा कमियों के समंजन सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत समंजित किया जाएया ।

डा० मार्टिन लूथर किंग की अंत्येष्टि

8400. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत सरकार ने डा० मार्टिन लूथर किंग की अंत्येष्टि में भाग लिया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाधी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत-वर्मा सीमा वार्ता

8401. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-वर्मा सीमा के सम्बन्ध में वार्ता के लिये वर्मा का एक दल हाल में भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । सम्मिलित भारत-वर्मा सीमा आयोग में बर्मी प्रतिनिधिमंडल ने 6 से 10 अप्रैल, 1968 तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की थी ।

(ख) पहले नक्शे पर सीमांकन के बारे में प्रारम्भिक समझौता हो गया और फिर अंततः भारत-बर्मा सीमा का भौतिकरूप से सीमांकन कर दिया गया ।

श्री फीजो की इगलैंड में भारतीय उच्चायुक्त से वार्ता

8402. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में श्री फीजों ने लंदन स्थिति भारतीय उच्चायुक्त से बात की थी जिसमें उन्होंने सेफ कन्डक्ट वीसा के आधार पर भारत की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नागाओं के द्वारा भारत-बर्मा सीमा के आर-पार जाने के लिए परमिट व्यवस्था

8403. **श्री धीरेन्द्रनाथ देव** :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा के किसी ओर के नागाओं द्वारा सीमा के इधर-उधर जाने

के लिए सरकार का विचार परमिट व्यवस्था लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह परमिट व्यवस्था लागू करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस परमिट व्यवस्था से सैनिक प्रशिक्षण के लिये चीन जाने वाले विद्रोही नागाओं को रोकने में कितनी सहायता मिलेगी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

भारत-बर्मा सीमा

8404. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भारत तथा वर्मा के राष्ट्रजन सीमा के 25 मील आर-पार बिना किसी परमिट के आ-जा सकते हैं;

(ख) क्या विद्रोही नागा इस मौके का नाजायज फायदा उठा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारत-बर्मा सीमा चौकियों पर समुचित चौकसी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी नहीं । सिर्फ भारत-बर्मा सीमा से 25 मील के भीतर-भीतर रहने वाले लोगों को ही बिना परमिट के सीमा के आर-पार आने जाने दिया जाता है । 25 मील की पट्टी के बाहर रहने वाले भारतीय अथवा बर्मी राष्ट्रिकों पर यह लागू नहीं होता ।

(ख) और (ग). इस स्थिति पर अब विचार किया जा रहा है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर

8405. **श्री देवकीनन्दन पाटौदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए दो शक्तिशाली ट्रांसमीटर चालू हो जायेंगे ;

(ख) इन ट्रांसमीटरों से किन क्षेत्रों को लाभ होगा;

(ग) क्या इन ट्रांसमीटरों को अन्तर्देशीय प्रसारणों के लिए प्रयोग किया जायेगा; और

(घ) राजस्थान-गुजरात सीमा क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के बारे में क्या योजनाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) और (ख). सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा के लिए चालू वर्ष में तीन उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर चालू हो जाने की संभावना है। इनमें से एक पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों और तीसरा नेफा और आसाम के पूर्वी जिलों के लिए प्रसारण करेगा।

(ग) इन ट्रांसमीटरों का उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक प्रसारणों के लिए किया जाएगा, परन्तु ये सीमा के पार संलग्न क्षेत्रों में भी सुने जा सकेंगे।

(घ) राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जोधपुर के निकट एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है और गुजरात सीमा के निकट भुज के वर्तमान ट्रांसमीटर की भी शक्ति बढ़ाई जा रही है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण

8406. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण के लिए एक सप्ताह में कुल कितना समय नियत किया गया है;

(ख) राजस्थानी भाषा के लिए कितना समय नियत किया गया है;

(ग) राजस्थानी में विभिन्न किस्मों के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं; और

(घ) क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं की तुलना में यह समय पर्याप्त है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से एक सप्ताह में विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों को जो समय दिया जाता है वह इस प्रकार है—

उर्दू — समाचार-पत्रों के अतिरिक्त, जिनकी अवधि प्रतिदिन पन्द्रह-पन्द्रह मिनट के दो बुलेटिनों के आधार पर 3 घण्टे 30 मिनट है, 4 घण्टे।

पंजाबी — समाचारों के अतिरिक्त, जिनकी अवधि प्रतिदिन पन्द्रह-पन्द्रह मिनट के दो बुलेटिनों के आधार पर 3 घण्टे 30 मिनट है, 3 घन्टे और 30 मिनट।

ब्रज — सामान्यतः 6 घण्टे परन्तु एक सप्ताह छोड़कर हर दूसरे सप्ताह यह अवधि 6 घण्टे और 10 मिनट है।

हरयाणवी — 3 घण्टे और 50 मिनट (इन वार्ताओं, बाह्य प्रसारणों और इंटरव्यू जिसमें कृषि विज्ञान के विशेषज्ञ और किसान भाग लेते हैं, के अतिरिक्त 'कृषिजगत' नामक 30 मिनट का एक दैनिक कार्यक्रम

प्रसारित होता है । इन कार्यक्रमों की भाषा मिश्रित होती है क्योंकि विशेषज्ञ हिन्दी में बोलते हैं और किसान हरियाणवी बोली में ।

गोरखाली — एक घण्टा और 45 मिनट । इसमें 1 घन्टे और 17 मिनट, अर्थात् प्रतिदिन 11 मिनट के एक बुलेटिन की अवधि के समाचार भी शामिल हैं ।

गढ़वाली -- 20 मिनट प्रति सप्ताह ।

(ख) तथा (ग). कभी-कभी दिल्ली केन्द्र के 'प्रादेशिक संगीत' के संगीत कार्यक्रम में कुछ राजस्थानी लोक-गीत भी शामिल किये जाते हैं । रोज रात्रि के साढ़े आठ बजे से नौ बजे तक दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाला 'ब्रज माधुरी' का कार्यक्रम राजस्थान राज्य के भरतपुर क्षेत्र की आवश्यकता भी पूरी करता है ।

(घ) जी, हां ।

यूरोप के देशों के साथ राजनयिक संबन्ध

8407. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यूरोप के किन-किन देशों के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ, उनके सामने दिए गये कारणों से भारत का राजनयिक संबंध नहीं है :

(1) अल्बानिया : भारत के प्रति उसके अमैत्रीपूर्ण रुख के कारण उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध निलम्बित कर दिये गये हैं ।

(2) पुर्तगाल : उसकी दमनकारी औपनिवेशिक नीति के विरोध में राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिये गये ।

(3) आइसलैंड : आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभी तक राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये गये हैं ।

हैम्बर्ग की "डीएन्स्थ औस ड्यूट्रसलैंड" संस्था

8408. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या बान स्थित भारतीय दूतावास ने हैम्बर्ग की "डीएन्स्थ औस ड्यूट्रसलैंड" संस्था जो यूनिवर्सल सर्विस के माध्यम से भारत में कार्य करती है बारे में जांच की है ;

(ख) क्या सरकार इन जांचों की रिपोर्ट का सारांश सभा-पटल पर रखेगी ; और

(ग) क्या मद्रास की युनिवर्सल प्रेस सर्विस का हैम्बर्ग के एक बैंक में खाता है जहां उसे 'डीएन्स्थ और ड्यूट्रसलैंड' से प्राप्त होने वाली मुद्रा में पावतियां जमा की जाती हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदैशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जांच-पड़ताल की जायेगी और एकत्रित सूचना सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

त्रिवेन्द्रम में थुम्बा राकेट छोड़ने के केन्द्र के कर्मचारी

8409. **श्री मंगलाथमाडोम :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) थुम्बा राकेट छोड़ने वाले केन्द्र तथा त्रिवेन्द्रम स्थित अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र में कार्य करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) राजपत्रित तथा गैर-राजपत्रित पदों पर भर्त्ती करने का तरीका क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र तथा अन्तरिक्ष विज्ञान एवम् तकनीक केन्द्र के कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है :

	वैज्ञानिक तथा इन्जीनियर	**तकनीशियन तथा योग्यताप्राप्त आसिस्टेंट**	**सहायक स्टाफ जिसमें प्रशासनिक व्यक्ति भी सम्मिलित हैं**
(i) थुम्बा विषुवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र	24	142	91
(ii) अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीक केन्द्र	46	141	61

(ख) भर्त्ती अखिल भारतीय आधार पर प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन द्वारा, तथा विशिष्ट पदों के लिये चुनी हुई पत्रिकाओं में विज्ञापन देकर की जाती है । प्रत्याशियों से सीधे मिले प्रार्थना-पत्रों पर भी नियमित रूप से गौर किया जाता है । गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिये, खाली पद स्थानीय भर्ती के दफ्तर को ज्ञापित किये जाते हैं ।

उलान वटोर में भारतीय दूतावास खोलना

8410. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या जुलाई 1965 में घोषणा की गई थी कि मंगोलियाई लोक गणतन्त्र की राजधानी उलान वटोर में निकट भविष्य में भारत का स्वतन्त्र दूतावास खोला जायेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उलान वटोर में आवासी भारतीय दूतावास स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है किन्तु समय-समय पर इस तरह के वक्तव्य दिये गये हैं कि भारत सरकार उलान वटोर में आवासी मिशन स्थापित करने के पक्ष में है जबकि वित्त सुलभ हो ।

(ख) हमारी विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण अभी तक उलान वटोर में आवासी भारतीय राजनयिक मिशन खोलना सम्भव नहीं हुआ है ।

वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत

8411. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत को कुछ अन्य राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अमरीकी राष्ट्रपति को अपने प्रमाण-पत्र पेश करने को कहा गया था तथा उन्होंने ऐसा किया भी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले प्रत्येक अवसर पर अपने प्रमाण-पत्र पेश करते समय भारतीय राजदूत अमरीका के राष्ट्रपति के साथ निजीतौर पर बातचीत करते थे ;

(ग) इस प्रकार की कार्यप्रणाली तथा प्रथा को छोड़ने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सरकार की कोई प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) वाशिंगटन-स्थित भारतीय राजदूत ने 5 मार्च, 1968 को अपना विश्वास-पत्र अमरीकी राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये थे । उसी दिन चार दूसरे राजदूतों ने भी अलग-अलग एक-एक करके अमरीकी राष्ट्रपति को अपने-अपने विश्वास-पत्र प्रस्तुत किये थे ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

अन्तरिक्ष विज्ञान परीक्षण

8412. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में जर्मनी तथा अमरीकी सहयोग से थुम्बा में कुछ विशेष अन्तरिक्ष परीक्षण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

(ग) इन परीक्षणों पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) इन परीक्षणों पर होने वाले व्यय में से भारत सरकार कितना व्यय वहन करेगी ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका द्वारा दिये गये दो नाइके अपाची राकेट जापान से प्राप्त आयभार तथा भारत द्वारा राकेटों की उड़ानों के लिये दिये गए विशेष उपकरणों के साथ छोड़े जायेंगे। इन परीक्षणों का उद्देश्य है :

(i) एक्स किरणों के ऊर्जा वर्णक्रम तथा निरपेक्ष फ्लक्स तथा एक्स-रे फ्लक्सों के टाइम वेरियेशन का परिमापन करना।

(ii) ऐसे ऐक्स-रे स्रोतों, जिनका अब तक पता नहीं लग सका, का पता लगाने के लिये दक्षिणी आकाश का सर्वेक्षण करना।

(ग) और (घ). सहयोग के कार्यक्रम में धन का आदान-प्रदान अपेक्षित नहीं है। इन परीक्षणों को करने पर भारत द्वारा किया जाने वाला इंक्रिमेंटल खर्च लगभग पचास हजार रुपये होगा।

विदेश स्थित भारतीय दूतावास

8413. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री महन्त दिग्विजयनाथ : श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य महासभा में गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के एक सदस्य श्री द्वारका नाथ तिवारी, संसद् सदस्य ने प्रधान मन्त्री को एक नोट भेजा है जिसमें विदेश स्थित मिशनों और दूतावासों तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधियों के कार्य की आलोचना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। एक पत्र मिला है।

(ख) अपने उत्तर में माननीय सदस्य ने दूसरी बातों के अलावा लंदन, जेनेवा, वाशिंगटन और न्यूयार्क-स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा होने, दो मिशनों द्वारा स्वतन्त्रता दिवस तथा महात्मा गांधी का जन्म दिवस न मनाए जाने तथा महा सभा में भारत के घटते हुए रसूख की बात कही है।

(ग) सरकार ने इन मामलों पर पहले ही विचार करके आवश्यक कार्यवाही कर दी है। राष्ट्रीय महत्व के दिनों को मनाने के बारे में स्थायी हिदायतें हैं और यदि उनका पालन नहीं

किया गया है तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिष्ठा में कमी होने की जो बात कही गई है वह एक राय की अभिव्यक्ति है जिससे सरकार सहमत नहीं है।

Use of Hindi in AIR Headquarters

8414. **Dr. Govind Das:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that orders were issued by the Air Headquarters **vide** their letter No. Vayu Bhawan/19256/6/E. D., dated the 2nd March, 1965 that any Government employee can send his application and expect its reply in Hindi from a specified date;

(b) whether it is also a fact that from the same office a senior officer **vide** his letter No. Vayu Bhawan/15713/2/Apas (1), dated the 13th February, 1968 did not entertain an application written by one of his subordinates and returned the same to be submitted by him in English only; and

(c) if so, the reasons for such contradictory orders issued from the Air Headquarters?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) An English translation of a Hindi communication dated 27th January 1965 addressed to all Air Force Stations/Units situated in Hindi-speaking States summing up the contents of some important instructions issued on the use of Hindi in Official work, including replies to applications/representations received in Hindi from Government servants, was circulated by the Air Headquarters on 2nd March, 1965.

(b) and (c). Yes, The communication referred to in part (b) of the question was an internal section note, recorded by the officer, pending a classification which had been sought on the subject.

विश्व मामलों सम्बन्धी भारतीय परिषद् को अनुदान

8415. **श्री जुगल किशोर :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले दस वर्षों में उनके मंत्रालय द्वारा विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद् को दिये गये विभिन्न अनुदानों का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार 'भारत-सुरक्षा' नामक परियोजना के लिये सहायता दे रही है; और

(ग) लंदन इन्स्टीट्यूट आफ स्ट्रैटिजिक स्टडीज द्वारा हाल में हाउस तथा फेडरेशन हाउस में आयोजित किये गये एशियाई सुरक्षा सम्मेलन में उनके मंत्रालय के किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया था?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-1020/68]

(ख) जी नहीं।

(ग) विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित तीन अधिकारियों ने सम्मेलन में भाग लिया था;

(एक) श्री जे० एस० मेहता, संयुक्त सचिव

(दो) श्री के० आर० नारायणन, निदेशक (अब बेंगकाक में भारत के राजदूत)

(तीन) डा० एस० गोपाल, अवैतनिक, इतिहास सलाहकार।

इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स और इंस्टीट्यूट फार स्ट्रैटेजिक स्टडीज, लंदन के संयुक्त तत्वावधान में यह सम्मेलन/संगोष्ठी आयोजित की गई थी।

प्रसारण और सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष

8416. **श्री जुगल मण्डल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्रसारण और सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने पर कुल कितना धन व्यय हुआ है; और

(ख) क्या सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक की निःशुल्क सरकारी आवास की व्यवस्था के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के साथ-साथ निर्माण तथा आवास और विधि मंत्रालयों ने भी आपत्ति की थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) श्री ए० के० चंदा, जिन्हें प्रसारण और सूचना माध्यम समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ने अवैतनिक रूप से काम किया था ; उन्हें इस काम के लिये कोई वेतन, फीस या मानदेय नहीं दिया गया। उनकी यात्रा और अन्य खर्चों पर (ट्रंककालों पर 124 रुपये प्रचार की अदायगी सहित) कुल मिलाकर 12,074 रुपये व्यय हुए।

(ख) जी, नहीं। उन्हें किसी समय भी निःशुल्क आवास अलाट करने का विचार नहीं किया गया।

फिल्म उद्योग में काला धन

3417. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ इस उद्योग के सभी स्तरों पर विद्यमान काले धन के सौदों के बारे में विचार-विमर्श किया है;

(ख) क्या काले धन के इन सौदों को बन्द करने के लिये वह कोई कार्यवाही कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). फिल्म उद्योग के तीन भागों अर्थात् निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शन को चिपटे हुए रोग तथा वर्तमान संकट को दूर करने के उपायों के बारे में इस उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श हो रहा है। फिल्म अभिनेताओं तथा टेकनीशियन द्वारा घोषित की गई कमाई से अधिक कमाई पर कर देने से बचने के प्रश्न पर भी विचार हुआ, तो भी, समस्त मामला विचाराधीन है और अभी इतनी जल्दी विवरण नहीं बताया जा सकता।

12 बोर डबल बैरल ब्रीच लोडिंग स्पोर्टिंग गन

8418. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईशापुर राईफल कारखाने में निर्मित 12 बोर डबल बैरल ब्रीच लोडिंग स्पोर्टिंग गन बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या उक्त गन पूर्णतया स्वदेशी है अथवा किसी विदेश के सहयोग से बनाई गई है;

(ग) विदेश का नाम क्या है;

(घ) बाजार में यह किस मूल्य पर बिक रही है; और

(ङ) क्या उक्त गन के लिये लाइसेंस अपेक्षित है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) यह देशीय अभिकल्पन का है, और बिना किसी विदेशी सहयोग के।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बाजार में क्रय के लिये इस शाटगन के लिये नियत किये गये मूल्य इस प्रकार हैं :

12 बोर डी० बी० बी० एल० शाटगन

1. नान-इजेक्टर किस्म की, 2.3/4" चैम्बर (नान-एन्ग्रेव्ड) प्रत्येक 950 रुपये।
2. नान-इजेक्टर किस्म की, 2.3/4" चैम्बर (एन्ग्रेव्ड) प्रत्येक 1,150 रुपये।
3. इजेक्टर किस्म की 2.3/4" चैम्बर (नान-एन्ग्रेव्ड) प्रत्येक 1,150 रुपये।
4. इजेक्टर किस्म की 2.3/4" चैम्बर, (एन्ग्रेव्ड) प्रत्येक 1,350 रुपये।

(ङ) जी हां, सिवाए उन हालतों के कि जहां आर्म्ज एक्ट और नियमों के अन्तर्गत विमुक्ति दी जाती है।

नीदरलैंड में भारतीय दूतावास द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह

8419. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैंड में भारतीय दूतावास द्वारा गत वर्ष स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया था;

(ख) क्या सरकार ने नीदरलैंड स्थिति भारतीय राजदूत से स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने के कारण पूछे हैं;

(ग) क्या सरकार को राजदूत की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने के कारण राजदूत के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). जी हां, वास्तव में, पिछले साल नीदरलैंड में भारतीय दूतावासने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। भारतीय राजदूत ने उक्त अवसर पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था जिसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें भारतीय निवासी आमंत्रित किये गये थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों का विदेश भत्ता

8420. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों के विदेश भत्ते पर हाल में विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम बार कब बिचार विचार किया गया था ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा-गांधी) : (क) और (ख). प्रत्येक केन्द्र के लिये रहन-सहन के स्थानीय खर्च के आधार पर विदेश भत्ता निर्धारित किया जाता है। यदि इन खर्चों में कुछ कमी वेशी हो तो मिशनों द्वारा भेजे गये कीमत—मजदूरी के आंकड़ों के आधार पर अथवा विदेश सेवा निरीक्षक द्वारा स्वयं संबद्ध केन्द्र पर जाकर जांच किये जाने के बाद, विदेश भत्ते में संशोधन किया जाता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है, इस तरह के संशोधन किये जाते हैं।

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों का निरीक्षण

8421, **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थिति बहुत से भारतीय दूतावासों का पिछले तीन वर्ष से निरीक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन दूतावासों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कोई ऐसा दूतावास है जिसका तीन वर्ष से अधिक अवधि से निरीक्षण नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी 1964 से अब तक निम्नलिखित चालीस जगहों के मिशनों का निरीक्षण किया गया।

किन्शासा (कांगों) लागोस, अकरा, कोनाक्री, ख्वात, अल्जीरिया, तूनिस, रोम, बैंगकाक, जकार्ता, कुआला-लम्पुर, गंगतोक, लंदन, रियो-द-जनेरियो, बुआनोस आइरेए, सान्तियागो, बसरा, न्यूयार्क, ओस्लो, दमिश्क, बगदाद, कुवेत, वारसा, बेलग्रेड, वियना, प्राग, बूडापेस्ट, पेरिस, स्टाकहोम, हांगकांग, टोकियो, कोबे, रंगून, कैनबैरा, सिडनी, वेलिंगटन, सूवा, मनीला, सिंगापुर और नोम पेन्ह।

(ग) जी हां। उल्लिखित मिशनों के अलावा जो मिशन हैं उनका निरीक्षण नहीं किया गया है।

(घ) यह तो आप मानेंगे ही कि सारे मिशनों का एक साथ निरीक्षण नहीं किया जा सकता। बाकी मिशनों का यथासमय निरीक्षण करने के लिये तैयारी की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति के सभापति पद से प्रोफेसर थेकर का त्याग-पत्र

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडवी) : मैं औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री का ध्यान अवलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति सम्बन्धी जांच समिति के सभापति-पद से प्रोफेसर थेकर का त्याग-पत्र"

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): 2 अप्रैल, 1968 को जब यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या प्रोफेसर थैकर ने बैंक आफ इंडिया के निदेशक का पद स्वीकार किया है और क्या वह बैंक की बैठकों में भाग ले रहे हैं और यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है, तो मैंने 29 मार्च को स्वयं प्रोफेसर थैकर से प्राप्त हुई जानकारी तथा 30 मार्च को औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति के सचिव से प्राप्त

जानकारी के आधार पर कहा था कि 28 मार्च, 1968 को प्रोफेसर थैकर को अनौपचारिक रूप से बैंक आफ इंडिया के निदेशक बोर्ड की बैठक में बोर्ड के निदेशक के पद के प्रस्ताव के बारे में उनका (प्रो० थैकर का) निर्णय जानने के लिये बुलाया था। मैंने आगे कहा था कि प्रोफेसर थैकर बोर्ड को यह बताकर उस बोर्ड से वापिस चले आये थे कि उन्हें (प्रो० थैकर को) इसका निर्णय करने में तीन-चार सप्ताह का समय लगेगा। अगले दिन प्रोफेसर थैकर की ओर से जांच समिति के सचिव श्री के० एल० राठी ने मौखिक रूप में तथा लिखित रूप में औद्योगिक विकास मंत्रालय के सचिव को बताया था कि प्रोफेसर थैकर ने बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार न करने का निश्चय किया है।

प्रोफेसर थैकर द्वारा बैंक का प्रस्ताव स्वीकार न करने की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने उत्तर में यह भी बताया था कि इस मामले में आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है। किन्तु कुछ सदस्यों ने मांग की कि प्रोफेसर थैकर को उक्त समिति के सभापति के रूप में नहीं बना रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस समिति की बातें स्पष्ट की जानी चाहिए।

समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि बैंक के चेयरमैन ने इस बात का खण्डन किया है कि प्रोफेसर थैकर ने बैंक के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है और प्रोफेसर थैकर के नाम से इसी आशय के वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। किन्तु यह सब कुछ सरकार की जानकारी के प्रतिकूल बात है क्योंकि सरकार के पास इस समिति के सचिव का लिखित वक्तव्य है। प्रोफेसर थैकर को अपने निर्णय के बारे में सूचित कर देना चाहिए था।

दूसरी गलतफहमी यह है कि प्रोफेसर की बैंक के निदेशक बोर्ड के साथ हुई बैठक के बारे में सरकार को मालूम था। यह ठीक है कि सरकार जानती थी प्रोफेसर थैकर 28 मार्च को बम्बई जा रहे हैं, किन्तु सरकार को यह जानकारी नहीं थी कि प्रोफेसर थैकर बैंक आफ इन्डिया के निदेशक बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। बम्बई से लौटने पर प्रोफेसर थैकर ने जब 29 मार्च को मुझे बताया कि उन्होंने (श्री थैकर ने) उक्त बैठक में भाग लिया तो इस पर मैंने आश्चर्य और अप्रसन्नता प्रकट की।

उक्त वक्तव्य से स्पष्ट हो जायेगा कि मैंने 2 अप्रैल को जो कुछ कहा था वह सब तथ्यों के आधार पर कहा था। उसमें सभा को गुमराह करने की कोई बात नहीं थी।

21 अप्रैल, 1968 को मुझे प्रोफेसर थैकर से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने (प्रोफेसर थैकर ने) यह बताया था कि वर्तमान परिस्थितियों में वह (प्रोफेसर थैकर) औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति के सभापति पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं। मैंने दूसरे दिन ही उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया। यह खेद की बात है कि मेरे उत्तर देने से पहले ही प्रोफेसर थैकर के पत्र को प्रकाशित कर दिया गया।

प्रोफेसर थैकर को मेरे विचारों के बारे में कुछ गलतफहमी थी और यह बात 20 मार्च को उनके साथ हुई बातचीत से स्पष्ट हो गई थी। मैं यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ किन्तु ऐसी बात हो, तो भी यह गलतफहमी अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है।

आरंभ में ही मैंने प्रोफेसर थैकर से स्पष्ट कर दिया था कि औचित्य की दृष्टि से समिति का सभापति पद और बैंक का निदेशक पद एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि समिति के ढांचे और स्तर में किसी तरह की गिरावट नहीं आने दी जानी चाहिए। यदि प्रोफेसर थैकर को समिति का सभापति बने रहने के साथ-साथ बैंक का निर्देशक बनने की भी अनुमति मैंने दी होती तो इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से उनके या समिति के पास कोई न कोई पत्र अवश्य गया होता। किन्तु सरकार की ओर से इस आशय का कोई पत्र नहीं भेजा गया। इसके विपरीत यह तथ्य कि प्रोफेसर थैकर ने 30 मार्च, 1968 को बैंक का निदेशक बनने से अस्वीकार कर दिया था, इस बात का यह प्रमाण है कि उन्होंने 27 मार्च और 29 मार्च को मेरे साथ हुई बात-चीत के बाद ही उक्त निश्चय किया था जिसमें मैंने उनके (प्रोफेसर थैकर के) बैंक का निदेशक होने के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दी थी।

यह भी कहा गया है कि प्रोफेसर थैकर ने बैंक आफ इण्डिया के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति मांगी थी। किन्तु पूर्व अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रस्ताव पर कुछ व्यक्तिगत कारणों से विचार कर रहे थे। सरकार को अभी यह मालूम नहीं हो सका है कि बैंक आफ इण्डिया से वह कब से सम्पर्क स्थापित किये हुए थे। पिछले मार्च के मध्य में सरकार को उक्त प्रस्ताव की पहली बार जानकारी दी गई। अतः यह कहना निराधार है कि उक्त प्रस्ताव पर सरकार की पूर्व अनुमति से विचार किया गया था।

समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों में यह कहा गया है कि जांच समिति के सचिव श्री राठी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है और इस प्रकार दोनों के त्याग पत्रों में तालमेल बिठाने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु यह सच है कि श्री राठी ने 22 मार्च, 1968 को औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति को बता दिया था कि वह (श्री राठी) समिति से सेवा मुक्त होना चाहते हैं क्योंकि वह (श्री राठी) हरियाणा से राज्य सभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अतः श्री राठी की सेवामुक्ति का प्रोफेसर थैकर के त्याग-पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय यदि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य पर हम प्रश्न पूछने लगें, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या होगा ?

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Speaker, kindly admit our Privilege Motion.

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। माननीय सदस्य श्री एस० एम० कृष्ण प्रश्न पूछें।

श्री एस० एम० कृष्ण : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रोफेसर थेकर ने त्यागपत्र दिया और मंत्री महोदय ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। प्रोफेसर थैकर एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। यदि प्रोफेसर थैकर निदेशक पद स्वीकार करने के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले सरकार से अनुमति ले लेते तो आज स्थिति ही दूसरी होती। यदि मंत्री महोदय यह बात पहले ही सभा को बता देते तो उन पर यह आरोप नहीं लगाया जाता।

मंत्री महोदय द्वारा प्रोफेसर थैकर की बात से सहमत हो जाने पर उन्होंने (प्रोफेसर थैकर ने) अपने दो सहयोगियों से बात-चीत की थी। इसके अतिरिक्त समिति के सचिव ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद के विभाग के सचिव को एक पत्र भेजा था। मैं चाहता हूं कि वह पत्र सभा-पटल पर रखा जाये। इसके अतिरिक्त इस मामले की जांच करने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति बनाई जाये।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : मंत्री महोदय को प्रोफेसर थैकर के कथन का या तो खण्डन करना चाहिए या यह मान लेना चाहिए कि उनका (प्रोफेसर थैकर) कथन सच है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने उस दिन अपने उत्तर में बताया था कि न तो उन्होंने निदेशक का पद स्वीकार किया है और न ही उन्होंने इसके लिए सरकार की अनुमति ही ली है। मैंने उस दिन यह भी कहा था कि बैंक के निदेशक का पद स्वीकार कर लेने पर वह इस समिति के सभापति नहीं रह सकते हैं।

प्रोफेसर थैकर मुझसे 20 मार्च, 27 मार्च तथा 29 मार्च को मिले थे। यदि प्रोफेसर थैकर ने मुझसे अनुमति ले ली होती तो उन्हें बार-बार मेरे पास आने की क्या आवश्यकता थी। और वह सचिव से पत्र लिखने को क्यों कहते ? मैंने उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि वह इस समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुए बैंक के निदेशक नहीं बन सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : इस दौरान इस मामले के कारण प्रोफेसर थैकर के बारे में अनेक तथ्य सामने आये हैं। मैं चाहता हूं कि इन तथ्यों के पीछे मुख्य मामला ही न छिप जाये। इसलिए इस मामले के बारे में मैं भी कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस अवस्थान पर आप मंत्री महोदय से केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहता हूं कि निदेशक पद स्वीकार करने की बात श्री थैकर को सर्वप्रथम किसने कही थी। मैं समझता हूं कि जैसे-जैसे तथ्य सामने आते जायेंगे हमें यह ज्ञात होगा कि प्रोफेसर थैकर किसी एकाधिकारी के एजेन्ट हैं। क्या यह सच है कि 29 फरवरी को दिल्ली में, जब किसी मंत्री महोदय का जन्म दिन मनाया जा रहा था, प्रोफेसर थैकर को बैंक के निदेशक पद स्वीकार करने के लिए सबसे पहले कहा गया था ?

प्रोफेसर थैकर 16 और 17 मार्च को मंत्री महोदय से मिले थे। 19 मार्च को प्रोफेसर थैकर ने मंत्री महोदय को कुछ पत्र लिखे थे। 20 मार्च को श्री राठी ने भी एक पत्र लिखा। 21 मार्च को प्रोफेसर थैकर मंत्री महोदय से मिले थे। 22 मार्च को समिति की बैठक थी। 23 मार्च को समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रोफेसर थैकर बैंक के निदेशक रहते हुए इस समिति के सभापति नहीं रह सकते हैं। इसके बाद वह 25 मार्च को सचिव से और 27 मार्च को मंत्री महोदय से मिले। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन मुलाकातों के दौरान किन विषयों पर बातचीत हुई थी। अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि प्रोफेसर थैकर के पास बंगलौर में एक मकान के अतिरिक्त बम्बई में मफतलाल बिल्डिंग एक अच्छा फ्लैट भी है। क्या प्रोफेसर थैकर के पूंजीपतियों के साथ सम्बन्धों के देखते हुए सरकार प्रोफेसर थैकर के मामले की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त करेगी ?

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके सामने यह प्रस्ताव कब रखा गया था और किसके कहने पर यह प्रस्ताव किया गया था। मुझे उनका पहला पत्र लगभग मार्च के मध्य में मिला था और वह मुझे 20 मार्च को मिले थे। उससे पहले वह मेरे सचिव को मिले थे। तभी मुझे इस प्रस्ताव के बारे में पता लगा। मुझसे पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बारे बताया और यह कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास कोई साधन नहीं रह जायेगा। यही कारण उन्होंने इस प्रस्ताव पर विचार करने को बताया था। मैंने उन्हें बताया कि यह पूर्णतः उनका व्यक्तिगत मामला है और यह निर्णय करना मेरा काम है कि वह समिति के सभापति रह सकते हैं अथवा नहीं। उन्होंने यह भी बताया था कि वह इस मामले पर अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वह मुझे अपना निर्णय बता दें ताकि मैं आगे उसके बार में निर्णय कर सकूं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : क्या इस विशिष्ट वैज्ञानिक को मानवीय आधार पर रोजगार देने के लिए इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया था और यदि हां, तो क्या इस समिति के सचिव श्री राठी ने मंत्रालय के सचिव को टेलीफोन पर तथा लिखित रूप में बताया था कि प्रोफेसर थैकर आर्थिक संकट के कारण अपने कीमती कालीन बेच रहे हैं और वह किसी बैंक में नौकरी करने की बात सोच रहे हैं ?

श्री श्रीधरन (बडागरा) : मैं समझता हूं कि यह न केवल प्रोफेसर थैकर और मंत्री महोदय का मामला है अपितु यह एक षडयंत्र है जो कि बड़े व्यापार गृहों तथा ओद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी जांच समिति के सभापति की सांठगाठ के किया जा रहा है। फिर भी मंत्री महोदय इस मामले की जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रोफेसर थैकर का कहना है उन्होंने निदेशक बोर्ड में जाने से पहले मंत्री महोदय से अनुमति ले ली थी जब कि मंत्री महोदय ने इस तथ्य से इन्कार किया है। इस प्रकार मंत्री महोदय और प्रोसेसर थैकर, दोनों, के वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं। यह स्पष्टतः मान हानि का मामला

है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह प्रोफेसर थैकर के विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाएंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्रोफेसर थैकर ने निदेशक का पद स्वीकार करने से पहले मुझसे अनुमति नहीं ली थी। मैंने इस मामले में केवल यह कहा था कि निदेशक का पद स्वीकार करने अथवा न करने के बारे में आपको स्वयं निर्णय करना है। उनके निर्णय कर लेने के बाद इस बात का निर्णय करना मेरा काम था कि वह समिति के सभापति रह सकते हैं अथवा नहीं।

जहां तक निदेशक बोर्ड की बैठक में भाग लेने की अनुमति का सम्बन्ध है, मुझे यह पता नहीं था कि वह बैठक में भाग लेने के लिये जा रहे हैं।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं समझती हूं कि इस सभा में बार-बार यह कहा गया है कि जो अधिकारी अपनी आलोचना का उत्तर देने के लिये सभा में उपस्थित रहता है उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर थैकर एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिये। उनकी अनुपस्थिति में यहां पर उनकी आलोचना करना उचित नहीं है।

Shri Madhu Limaye : What is the point of order in it.

श्री कंवरलाल गुप्त : केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone) : The matter should be investigated.

Shri Madhu Limaye : What is the need of an inquiry ? The Hon. Minister should resign.

अध्यक्ष महोदय : यदि इतने सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगेंगे तो इस सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी ? यदि माननीय सदस्य बैठ जाएं तो मैं उन्हें एक-एक करके अवसर दे सकता हूं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : इस मामले से सम्पूर्ण सभा उत्तेजित है। अतः मंत्री महोदय इसकी जाँच कराने से क्यों इन्कार करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उस सभा में किसी और विषय को लेकर उत्तेजना थी और आज इस विषय को लेकर है।

यह कार्य मन्त्री महोदय का है कि वह इसकी जांच करायें या न करायें।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : हमने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव चर्चा के लिये लिये जाने का निर्णय इस प्रकार नहीं किया जाता है। मैंने उस दिन बताया था कि मंत्री महोदय का उत्तर सुन लेने के बाद ही विशेषाधिकार प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विचार किया जायेगा।

अब मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि हमारे एक सहयोगी श्री कामेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया है......

श्री रंगा : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें इस मामले से किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं हुई है। इस मामले से सम्बन्धित कई बातें सभा में उठाई गई हैं। अतः हम चाहते हैं कि इसके बारे में विशेषाधिकार प्रस्ताव विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाये ताकि सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्थगित किया गया है। बाद में इसके बारे में निर्णय किया जायेगा।

श्री रंगा : हम किसी अधिकारी अथवा मंत्री को नुकसान पहुचाना नहीं चाहते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि यह सभा इस मामले में निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय दे ताकि भविष्य में इस प्रकार के मामले ही न उठाये जा सकें। इसीलिये हम चाहते हैं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए।

सदस्य की गिरफ्तारी (श्री कामेश्वर सिंह)

ARREST OF MEMBER (SHRI KAMESHWAR SINGH)

अध्यक्ष महोदय : मुझे खवाड़ा-कच्छ में भुज के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनांक 22 अप्रैल, 1968 के एक तार की सूचना सभा को देनी है कि :

"लोक सभा के सदस्य श्री कामेश्वर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 143,145 और 188 के अन्तर्गत अपराध में 22 अप्रैल, 1968 को गिरफ्तार किया गया है और भुज जेल में निरुद्ध किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I have a submission to make. I gave notice of a Breach of Privilege motion. I had sent telegram to you on that day. The statement made by the Home Minister was contrary to the facts.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है अपितु रोका गया था।

Shri Madhu Limaye : Sir, the Minister of Home Affairs may be asked to give information. 'Detained' and 'Removed' words were used in the telegram sent to you. But the Hon. Home Minister used the words "restrained" and 'removed'in his statement. We were told by the Police officer there that we were under arrest. But the Home Minister has given a wrong information to the House. We have, therefore, brought this Breach of Privilege Motion.

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में मैंने को अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। यह मामला मेरे सामने है। हमें इस बात का पता लगाना है कि गृह कार्य मंत्री के वक्तव्य में क्या-क्या विरोधी बातें हैं।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

वर्ष 1966-67 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

सामज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूल रेणु गुह) : मैं संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

हरिजनों से सम्बन्धित घटनाओं के बारे में
RE: INCIDENTS RELATING TO HARIJANS

Shri Sheo Narain (Basti) : I have given a Call Attention Notice about the statement made by the Agriculture Minister of Andhra Pradesh. Yesterday he stated that the Harijans deserved to be cicked It is very shameful. He should be asked to resign and he should also be expelled from the Congress.

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : समाचार-पत्रों के समाचार पर निर्भर करना उचित नहीं है । इसका खण्डन कर दिया गया है ।

कई माननीय सदस्य खड़े हो गये ।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए । यह एक गंभीर मामला है जो सभा के सामने लाया गया है । यह सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार पर आधारित है । इस बात का निर्णय करना मेरा काम नहीं है कि यह समाचार सच है या झूठ । इसकी जानकारी गृह कार्य मन्त्री करेंगे । अत: मैंने उनसे इसके बारे में जानकारी देने की प्रार्थना की है । इसके लिये कम से कम 24 घन्टे का समय चाहिए । इसके बारे में कल चर्चा की जायेगी । अतः माननीय सदस्यों को कल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

उनतीसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनतीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

चौदहवां प्रतिवेदन

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I beg to present the Fourteenth Report of the Committee on Public undertaking on the Heavy Engineerings Corporation Limited.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

अठाहरवां प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से, जो 23 अप्रैल, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन से, जो 23 अप्रैल, 1968 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

सामान्य आयव्ययक, 1968-69—अनुदानों की मांगें—जारी
GENERAL BUDGET, 1968-69—DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय

समापति महोदय : अब सभा निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय की मांगों पर विचार करेगी। जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने कटौती प्रस्तावों की

क्रम-संख्या लिख कर 15 मिनट के अन्दर सभा-पटल पर भेज दें ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
84.	निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय	93,04,000
85.	लोक निर्माण कार्य	32,83,20,000
86.	लेखन-सामग्री और छपाई	11,22,17,000
87.	पूर्ति और निपटान	3,48,73,000
88.	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,59,33,000
131.	दिल्ली पूंजी परिव्यय	5,75,83,000
132.	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	6,20,83,000
133.	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	14,74,000

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Chairman, Under Rule 340 I beg to move that the debate on the motion be adjourned.

सभापति महोदय : इसके लिए यह उचित समय नहीं है और न ही यह कार्य सूची में है । आप इसे केवल प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं ।

Shri George Fernandes : Under Rule 340, it can be moved at any time.

Shri Chandra Jeet (Azamgarh) : Under Rule 340, it can be moved at any time. There is no motion before the House at this time.

सभापति महोदय : यदि आप इस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो इसके लिए उचित समय प्रश्न काल के बाद का समय है । स्थगन प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है ।

श्री मुहम्मद इमाम (चित्र दुर्ग) : इस मंत्रालय में सबसे अधिक कर्मचारी हैं । मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय में लगभग 60,000 कर्मचारी हैं किन्तु उनमें से केवल 13,000 कर्मचारी स्वीकृत संख्या में हैं और लगभग 30,000 कर्मचारी अस्थायी आधार पर नैमित्तिक श्रमिक के रूप में रखे जाते हैं । इन कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति प्रति वर्ष ली जाती है । यदि मंत्रालय समझता है कि इन कर्मचारियों की सेवाएं अत्यन्त आवश्यक हैं तो इन कर्मचारियों को स्थायी घोषित

किया जाना चाहिए। यदि उनकी सेवायें आवश्यक नहीं हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। मुझे पता लगा है बहुत से कर्मचारियों को, जिनमें लिफ्टमैन और चपरासी भी शामिल हैं, केवल ढाई रुपये रोज मिलते हैं। अन्य स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं इन कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय को उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

केवल दिल्ली के लिये एक केन्द्रीय चीफ इंजीनियर है तथा पांच अतिरिक्त चीफ इंजीनियर हैं। मुझे पता नहीं है कि उन सब के पास करने के लिये पर्याप्त कार्य भी है अथवा नहीं। वर्ष 1966-67 में कुल 61 करोड़ रु० की राशि व्यय के लिये रखी जबकि इस वर्ष यह केवल 31 करोड़ रु० है। इससे पता चलता है कि कार्य कम हो गया है। परन्तु कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

मंत्रालय का मुख्य संबंध मकानों का निर्माण, देख-भाल, तथा मरम्मत करना है। वह केवल सचिवालयों, अधिकारियों तथा कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाते हैं। फिर भी कहा जाता है कि कार्यालयों के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है तथा 59,000 वर्ग फीट और स्थान की आवश्यकता है।

हजारों की संख्या में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान नहीं दिये गये हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। जब वे अन्य स्थानों से दिल्ली में आते हैं तो उनको पटरी पर सोना पड़ता है तथा सरकार उनकी आवश्यकता पर ध्यान नहीं दे रही।

बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों की बुरी स्थिति है और उनकी ओर ध्यान देना चाहिये। वहां सफाई का अच्छा प्रबन्ध नहीं है। लाखों लोग झोपड़ियों में रहते हैं जिनमें से बहुतों में प्रति वर्ष आग लग जाती है। सरकार कहती है कि ग्रामीण मकानों के बारे में वह पूरा प्रयास कर रही है परन्तु प्रगति बहुत कम हुई है। पहली योजना में 10 करोड़ रु० इस कार्य के लिये रखे गये थे परन्तु उसमें से केवल 3 करोड़ रु० ही व्यय हुए। तीसरी योजना में कुल 20 करोड़ रु० की राशि रखी गई थी परन्तु उसमें से केवल 6 करोड़ रु० ही व्यय हुआ। इससे सरकार की उदासीनता का पता चलता है। राज्यों को जो भी राशि मकान बनाने के लिये दी उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। वह राशि मकानों के निर्माण पर व्यय न करके अन्य कार्यों पर व्यय की गई। इस बात की रोकथाम की जानी चाहिये। ग्रामों में मकान बनाना एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका मुकाबला सरकार अकेली नहीं कर सकती। निर्माण तथा आवास मंत्री ने गैर-सरकारी क्षेत्र से भी सहयोग मांगा है। यह एक अच्छा सुझाव है।

सम्भरण तथा निपटान निदेशालय को तो पहले से ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। यदि सूझ-बूझ से काम लिया जाता तो यह विभाग करोड़ों रु० की राशि बचा सकता था। अब बहुत सी अनियमितताओं का पता चल रहा है तथा सरकार इसमें खामोश नहीं बैठ सकती। उदाहरण के रूप में इस विभाग ने एक ऐसी कम्पनी के पास सड़क कूटने वाले 1200 रोलरों

की सप्लाई करने का आर्डर दिया जो पंजीकृत तक नहीं थीं, जिसके पास कोई पूंजी नहीं थी तथा कोई बैंक की गारंटी नहीं थी। फिर भी इन्होंने जांच करने से पूर्व कुल राशि का 90% भाग देने का समझौता किया। जो बाद में थोड़े बहुत रोलर प्राप्त हुए वे भी घटिया थे। ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशालय तथा उन लोगों के बीच कुछ दाल में काला दिखाई देता है।

सरकार ने अशोक होटल, जनपथ होटल, रणजीत होटल आदि बनाये हैं। अशोक होटल में ही नाममात्र का लाभ होता है परन्तु अन्य सारे होटल घाटे में चल रहे हैं। इन होटलों की कार्य कुशलता से गैर-सरकारी होटलों की कार्य कुशलता का मुकाबला नहीं हो सकता। सरकार ने जितने भी होटल बनाये हैं वे सब धनी लोगों के लिये बनाए हैं, साधारण लोगों के लिये नहीं। विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिये जो देश के अन्य भागों से यहां आते हैं। ऐसे लोगों के लिये जनता होटल खोलने चाहिये। इस प्रकार आप देश के पर्यटकों को आमन्त्रित करेंगे। आप केवल बाहर के पर्यटकों के बारे में चिन्ता करते हैं। इनके बारे में भी कोई प्रबन्ध आपको करना चाहिये।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति महोदय, श्री जगन्नाथ राव को एक ऐसा विभाग मिला है जिसमें बहुत गड़बड़ थी और मैं चाहता हूं कि वह इसे ठीक करेंगे। मंत्री महोदय को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी। परन्तु यह दुःख की बात है कि वहां कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था। उसके कार्य में कोई कार्यकुशलता नहीं थी।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से ही उसकी कार्यकुशलहीनता का पता चलता है। उसमें टालने वाली सूचना दी हुई है जिसके कारण सदस्यों को मंत्रालय की चर्चा करने में कोई सहायता नहीं मिल रही है।

सप्लाई मिशनों के लंदन तथा वाशिंगटन के कार्यालयों पर किये गये व्यय तो दिये हुए हैं परन्तु यह नहीं दिया हुआ कि वहां कितने कर्मचारी कार्य करते हैं तथा उन पर कितनी राशि व्यय होती है और क्या वह आवश्यकता से अधिक तो नहीं है।

मंदी के बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिन उद्योगों में मन्दी है उन्हें सहायता देने के लिये व्यादेश करने वाले विभागों से कहा गया है कि अपनी आवश्यकताओं को फिर से जल्दी से भेजें ताकि उद्योग की बेकार पड़ी क्षमता को प्रयोग में लाया जा सके। जो व्यादेश इस समय हाथ में हैं उन्हें शीघ्र पूरा करने तथा सप्लाई करने वालों के भुगतानों की शीघ्रता से अदायगी के बारे में भी कदम उठाये हैं। परन्तु यह पता नहीं कि वह कार्य हो गया है अथवा नहीं। कार्य को पूरा करने की सूचना दे दी है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की मंजूर की गई संख्या 496 थी परन्तु वास्तविक संख्या 556 थी। इसी प्रकार श्रेणी दो की मंजूर की गई संख्या 1023

थी परन्तु वास्तविक संख्या 1303 थी । लेकिन श्रेणी दो की मंजूर की हुई संख्या 10,264 थी और वास्तविक संख्या केवल 9700 । श्रेणी चार के कर्मचारियों की मंजूर की हुई संख्या 5452 थी तथा वास्तविक संख्या 5157 थी । इसका अर्थ यह हुआ कि उच्च अधिकारियों के पास कार्य कम हो गया तथा निचली श्रेणी के कर्मचारियों के पास अधिक कार्य हो गया । यह अच्छी बात नहीं है । लंदन तथा वाशिंगटन के सप्लाई मिशनों में कर्मचारियों की संख्या कार्य से 50%अधिक है । वहां कर्मचारियों की संख्या कम करके हमें विदेशी मुद्रा कमानी चाहिये ।

हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड ने वाशिंगटन स्थित सप्लाई मिशन के पास एक मशीनरी सप्लाई करने का क्रयादेश दिया परन्तु एक गलत वस्तु सप्लाई की गई । हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड ने उसे नामंजूर कर दिया और इस सम्बन्ध में झगड़ा चल रहा है कि इस घाटे के लिये कौन जिम्मेदार है । मंत्री महोदय को चाहिये कि विदेशों में स्थित सप्लाई मिशनों पर अधिक ध्यान दें क्योंकि उन पर हमारा बहुत धन नष्ट हो रहा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य अच्छा नहीं रहा । जब भवनों को कार्यालय स्थापित करने के लिये दिया जाता है तो उनमें दरार मिलती हैं । मरम्मत के कार्य की यह स्थिति है कि संसद्‌सदस्यों के मकानों तक की देख-भाल ठीक प्रकार नहीं की जाती है । बागान विभाग का कार्य तो बहुत असंतोषजनक रूप में चल रहा है । बागान की देखभाल ठीक रूप से नहीं होती हैं । प्रत्येक कोठी के लिये एक निश्चित मात्रा में खाद मंजूर की जाती है परन्तु वह वास्तव में दिया नहीं जाता है । इसी प्रकार कर्मचारी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं । इन सब बातों की जांच की जानी चाहिये । मैं उन बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं जिन पर मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने प्रकाश डाला है । मैं फिर कहूंगा कि मरम्मत के कार्यों, निर्माण के कार्यों, बागान विभाग तथा सप्लाई मिशनों के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिये ।

Shri R. S. Vidyarthi (Karol Bagh) : Mr. Chairman, my two previous speakers have already stated the state of affairs of this Ministry. But I would only say that the problem of housing in the country is deplorable. The Government framed a scheme but could not implement ir properly. There was a scheme to build 721,000 houses during the first three plans but they have actually constructed 395,000 houses only. In this way three plan periods have been spent but we have not been able to solve the housing problem.

According to Minister's own statement 171000 dwelling units were to be constructed for the Governments servants but they have been able to construct only 45000 units during the last twenty years.

About out-of-turn allotments I have personal knowledge that in 50% of the cases the allotment is on fictitious grounds. I would request you to stop it as was in the past. This right of allotment has been used for political motives. There is no criterion for allotment. You promised that a fixed percentage of shops would be allotted to people of backward classes but can you tell me how many shops have you allotted to them in R. K. Puram and other colonies.

Even Government quarters like Alexander House have been allotted to private individuals.

Some M. Ps. have not been allotted houses. Your department charges more money but does not provide the furniture worth that money.

Shri Tiwary has already stated about the Estate office. There are more officers than their sanctioned strength. Such questions have been raised in the past too but no action is taken on the points raised here.

No action seems to have been taken on the question of road rollers.

The corruption in CPWD is known to all. A study team was appointed under Shri M. Govinda Reddy which gave its report in 1964. The Minister informed that he would take action on recommendations of that in 1965. Can you state honestly whether you have taken action on all the recommendations of the team ? Can you tell us some alternative method by which you can remove corruption there.

There are bunglings in the CPWD. Your department has not been able to get payment for its bills pertaining to as back as 1962-63 from the inmates of Kota House. Sometimes the inmates left the hostel without payment of trunk call Bills.

Regarding the Supply Department I know cases where the officers have opened shops in the name of their relatives. There are so many such cases. There are hundreds of such firms which have not been registered even.

The work in the Printing Press is going on only upto 50% of the full capacity. In the Delhi Press the installed capacity in the year 1962-63 was 6·40 but the actual output was only 4.30. During the year 1964-65 the installed capacity was 8.69 but the actual output was 4.40 which comes to 50.62 per cent. Similarly in the Nasik Press you do not get more than 27 per cent work.

During the year 1963 it was decided by the Government that most of the offices would go out of Delhi but during the last five years very few offices have gone out of Delhi. The Hon. Minister should do something about it.

During the year 1960-61 the Ministry of Home Affairs took some decisions but in this Ministry there is no Hindi section or Hindi translators. The letters received in Hindi are not replied to in Hindi language. They should perform their duty to the Hindi language. They should have machinery for expansion of Hindi Press and appoint staff for it.

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Mr. Chairman we are discussing the Demands for Grants of the Ministry of works and Housing. It is only in one year when we discuss the demands that we get an opportunity to discuss the work of the Ministry. There is much inefficiency in the Ministry. When the M. Ps. write letters to the Minister and inform him about the irregularities in his Ministry, he does not reply to them quickly. I myself wrote a letter to him on 22nd July, 1967 and he replied to that only 14th March, 1968 i. e. after a lapse of nine months.

On page 5 clause 3, they have given the sanctional strength as 13,583 but if you total the figures it comes to 22,583. Even in totalling they committed a mistake of 9000.

On page 10 relating to CPWD they have given the figures of work load. Although in the report they have indicated that the work load has increased but I have proof that one-third of the money in this department is exchanged as bribe between the officials and the contractors.

The cement of the Government is sold in the black market at 25 per cent less price and if the Hon. Minister can accompany me I can purchase it from the Government godowns. Can the Hon. Minister say whether some physical verification of the contents of godowns is done.

On page 17 of the report they have indicated that they built an annexe to the Vigyan Bhawan at a cost of Rs. 44 lakh. The work was reported to have been given on a priority basis.

About the construction of houses in Delhi they have indicated that they built 1176 houses where as they received 59353 applications for houses. If work goes on in this manner it will take another 50 years to solve the housing problem in Delhi.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

They spent Rs. 25,32,000 on the administration of Housing Division and they built only 1072 houses in the year. Then there is allotment scandal. For example there is such scandal in the out-of-turn-allotment. There are cases of immorality too in this episode.

Even after the passage of 13 months certain M. Ps. have not been allotted accommodation. The attitude of the Hon. Minister with the M. Ps. is not as it should be.

The plot of No. 1 Man Singh road has been given at a very cheap rate under new agreement for the construction of a hotel. This is also a big scandal. The markets constructed in Srinivaspuri, Andrews Ganj, Fifth Avenue, Lodhi Road Market, R. K. Puram etc. have not been allotted even after 6 to 15 months of their construction. Some enquiry should be made about it whether the Director of Estates is responsible for it or some one else is responsible.

They have yet to recover Rs. 1 crore in the form of rent and premium but they have not done so. Some people have already embezzled this amount.

They acquired 22926 acres of land in Delhi and paid Rs. 25 crores and 90 lakh for it. But they could built houses only on 15 acres of land after developing it. The rest of the land is lying unused. I demand an enquiry into this whole scandal. They have even de-requisitioned the land of a big coloniser. It may be that they have got money from him. This too should be enquired into.

You will see that there is great bungling in the work of D.G.S. and D. if you go through the civil report, commercial report and then the P A C report about it.

I want an enquiry into these things by a committee or commission. This commission should go into the work of Ashoka Hotel, Jan Path Hotel, D. G. S. and D, Commercial Markets and C P W D and make enquiries about it.

Secondly I want some concrete steps to be taken to solve housing problem of Government servants especially of class III and class IV employees in Delhi, Simla, Bombay, Madras,

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के बारे में निम्न कटौती प्रस्ताव पेश किये समझे जायें :

कटौती प्रस्ताव संख्या 2, 19 से 26 तक,

32 से 79 तक, 114 से 128 तक ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
84	2	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारियों को निवास-स्थान देने में असफलता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	19	श्री रामावतार शास्त्री	क्वार्टरों का बड़ी संख्या में बिना बारी के अलाट किया जाना ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	20	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक ही स्थान पर होने वाले विभिन्न केन्द्रीय तथा उड्डयन विद्युत् निर्माण-कार्यों को एक ही अधीक्षक इंजीनियर (विद्युत्) के अन्तर्गत रखने में असफलता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	21	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में छोटे-छोटे मूल कार्य विभागीय आधार पर किये जाने में असफलता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	22	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक ही स्थान पर होने वाले विभिन्न केन्द्रीय तथा उड्डयन निर्माण कार्यों को एक ही अधीक्षक इंजीनियर के अन्तर्गत रखने में असफलता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	23	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक ही स्थान पर होने वाले विभिन्न केन्द्रीय तथा उड्डयन निर्माण-कार्यों को एक ही कार्यकारी इंजीनियर के अन्तर्गत रखने में असफलता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	24	श्री रामावतार शास्त्री	उन निर्माण-प्रभारित तथा नियमित कर्मचारियों की सूची निकालने में असफलता जो केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग में रिक्त हजारों स्थायी स्थानों पर स्थायी किये जाने के पात्र हैं ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	25	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक ही स्थान पर होने वाले विभिन्न केन्द्रीय तथा उड्डयन विद्युत् निर्माण-कार्यों को एक ही कार्यकारी इंजीनियर के अन्तर्गत रखने में असफलता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
85	26	श्री रामावतार शास्त्री	सरकार के सभी असैनिक निर्माण-कार्य तथा भवन-निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को दिये जाने की आवश्यकता ।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	32	श्री रामावतार शास्त्री	पासीघाट हवाई अड्डे के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि की बकाया राशि देने की आवश्यकता ।	100 रु० कम कर दिये जायें ।
85	33	श्री रामावतार शास्त्री	पासीघाट हवाई अड्डे के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भविष्य निधि का सही लेखा बताने की आवश्यकता ।	100 रु० कम कर दिये जायें ।
85	34	श्री रामावतार शास्त्री	पासीघाट हवाई अड्डे के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पूरे महीने के अनुसार मजदूरी देने की आवश्यकता ।	100 रु० कम कर दिये जायें ।
85	35	श्री रामावतार शास्त्री	क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली-क्षेत्रों के विभिन्न कार्यभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने में असफलता ।	100 रु० कम कर दिये जायें ।
85	36	श्री रामावतार शास्त्री	'ए' प्रभाग के माल रोड स्थित पूछताछ कार्यालय में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये मनोरंजन कक्ष प्रदान करने में असफलता ।	100 रु० कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	37	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्जन रोड स्थित पूछताछ कार्यालय को "एम" प्रभाग से निकाल कर "के" प्रभाग में लाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	38	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्वाधीन एम एण्ड टी उपप्रभाग को समाप्त कर कलकत्ता उड्डयन विद्युत प्रभाग में विलय करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	39	श्री रामावतार शास्त्री	शंकर मार्किट, नई दिल्ली के पास विद्युत भवन के खाली स्थान को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपयोग में लाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	40	श्री रामावतार शास्त्री	सुपरिंटेन्डिंग इंजीनियर, दिल्ली केन्द्रीय ब्लॉक, खण्ड III और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत निर्माण प्रभाग के अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालयों को शंकर मार्किट, नई दिल्ली के निकट विद्युत, भवन में लाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	41	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत प्रभाग VI और IX के अधिशासी अभियन्ताओं के कार्यालयों को इन्द्रप्रस्थ भवन, नई दिल्ली में लाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	42	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विट्ठलभाई पटेल हाउस में सरकारी जमीन का दुकानदारों को अवैधानिक आवंटन और अनधिकृत निर्माण ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	43	श्री रामावतार शास्त्री	क्वार्टर छोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्पदा निदेशालय द्वारा बबाकी पत्र जारी करने में अत्यधिक विलम्ब ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	44	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत प्रभाग IX के लिफ्ट कर्मचारियों को मार्च, 1967 में अन्त होने वाले वर्ष के लिए भविष्य निधि खाता संख्या देने की आवश्यकता और उनकी भविष्य निधि को विद्युत निर्माण प्रभाग से अन्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	45	श्री रामावतार शास्त्री	पूना केन्द्रीय प्रभाग के अधीन औरंगाबाद में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को पहली जुलाई, 1965 से मकान किराया भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	46	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना विद्युत प्रभाग द्वारा जिन लोगों की छंटनी के आदेश दिये गये हैं या जो अधिशेष घोषित कर दिये गये हैं उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	47	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता क्षेत्र के अधिशेष घोषित कार्य सहायकों को वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	48	श्री रामावतार शास्त्री	संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "एफ" प्रभाग के नियमित और कार्यभारित कर्मचारियों को मानदेय देने में भेदभाव ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	49	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र II से दिल्ली प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुछ वातानुकूलन संयंत्रों को अन्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	50	श्री रामावतार शास्त्री	निजाम पैलेस, कलकत्ता के केन्द्र सरकार के होस्टल के मैदानों और उद्यानों के रख-रखाव को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अन्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	51	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के "एफ" प्रभाग में पांच वर्ष से अधिक होने पर भी एक ही अवेक्षव का बने रहना।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	52	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत प्रभाग IX के स्थायी बनाने योग्य कर्मचारियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	53	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत प्रभाग IX के कर्मचारियों को बकाया रकम सहित वार्षिक वेतन वृद्धि देने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	54	श्री रामावतार शास्त्री	नेताजी नगर में दमकल सेवा के क्वार्टरों का दमकल सेवा विभाग के कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	55	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता उड्डयन विद्युत प्रभाग द्वारा नियुक्तियों, पदोन्नतियों और काम करने में अनियमितता और भ्रष्टाचार।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	56	श्री रामावतार शास्त्री	अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रपति सम्पदा विभाग के कर्मचारियों को वर्दी देने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	57	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय के उत्तर प्रभाग के अधीन 21 एन उप-प्रभागों को केन्द्रीय प्रभाग में अंतरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	58	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी निदेशालय के केन्द्रीय विभाग के कर्मचारी को उत्तर प्रभाग में अंतरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	59	श्री रामावतार शास्त्री	इन्दौर, जबलपुर, भोपाल और निकटवर्ती स्थानों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से एक ही क्षेत्र में रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	60	श्री रामावतार शास्त्री	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा I,II और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन क्षेत्रों के कार्यभारित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें संभालने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	61	श्री रामावतार शास्त्री	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा I, II और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन क्षेत्रों के कार्यभारित कर्मचारियों की 31 दिसम्बर, 1967 तक सेवा की जांच करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	62	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अजमेर सेन्ट्रल डिवीजन को फरीदाबाद सेन्ट्रल सर्किल से सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	63	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अलाहाबाद सैन्ट्रल डिवीजन को आगरा सैन्ट्रल सर्किल से सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	64	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आगरा सैन्ट्रल सर्किल का मुख्यालय लखनऊ ले जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	65	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली इलैक्ट्रिकल डिवीजन नं० VII का मुख्यालय बदल कर लखनऊ ले जाने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	66	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पृथक खाद्य क्षेत्र समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	67	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'सी' डिवीजन के फायर-मैन (नियमित) को स्थायी करने की आवश्यकता जिसे स्थायी बनाने के लिए पात्र घोषित किया गया है ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	68	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूरिस्डिक्शन—VII के लेबर आफिसर का मुख्यालय गोहाटी से बदलने और उसे आसाम सैन्ट्रल सर्किल से सम्बद्ध करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	69	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रिकल सर्किलों में से एक सर्किल को कलकत्ता से गोहाटी ले जाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	70	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना एवियेशन और धनबाद सैन्ट्रल डिवीजनों को एक ही सर्किल में रखने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	71	श्री रामावतार शास्त्री	आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के आसाम के बिजली के सभी कार्यों की गोहाटी इलैक्ट्रिकल डिवीजन में रखने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	72	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन सर्किल्स नं० I और II के बागवानी कार्य और बागवानी निदेशालय के 4/एन सब-डिवीजन को एक ही डिवीजन में रखने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	73	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिये कारीगरी भत्ता बन्द करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	74	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'के', 'जी', 'एम' और 'डी' डिवीजन में कुछ कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतनक्रम प्रदान करते समय की गई गलत कटौतियों की राशि लौटाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	75	श्री रामावतार शास्त्री	राजपत्रित कर्मचारियों के बंगलों के रख-रखाव के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'बी' डिवीजन द्वारा निरन्तर आकस्मिक श्रमिक भर्ती करना।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	76	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एयर कंडीशनिंग डिवीजनों में सहायक चालक (डी० एंड एम०) के पद को विभक्त करके सहायक चालक (रेफ्रीजरेशन) और सहायक चालक (इवेपोरेशन) के अस्वीकृत पद बनाना।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	77	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली सैन्ट्रल सर्किल के विभिन्न खण्डों में बहुत बड़ी संख्या में सीवर मैनों की आकस्मिक आधार पर भर्ती।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	78	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रपति सम्पदा खण्ड में इलैक्ट्रीशियनों को ऊंचा वेतनक्रम प्रदान किये जाने पर उनका वेतन निश्चित करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	79	श्री रामावतार शास्त्री	संसद् सदस्यों के निवास-स्थानों के रख-रखाव के के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आकस्मिक श्रमिकों की भर्ती।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	114	श्री रामावतार शास्त्री	सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल से दिल्ली में डाक और तार कर्मचारियों को क्वार्टर अलाट करने के बारे में एक समान नीति अपनाने में असमर्थता।	घटा कर 1 रु० कर दी जाये।
85	115	श्री रामावतार शास्त्री	कुछ सरकारी विभागों के कर्मचारियों को जिनके अपने मकान हैं और जो अपना निर्माण कार्य स्वयं करते हैं, सम्पदा निदेशालय	घटा कर 1 रु० कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			के सामान्य पूल से क्वार्टर देकर उनके साथ पक्षपात दिखाया जाना।	
85	116	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली से बाहर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	117	श्री रामावतार शास्त्री	विज्ञान भवन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये साइकिल शैड की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	118	श्री रामावतार शास्त्री	सरोजिनी नगर में पूछताछ कार्यालय में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये साइकिल शैड की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	119	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन के डिवीजन के I,II, III,IV,V और दिल्ली प्रशासन इलैक्ट्रिक्ल डिवीजन संख्या I के कार्यालयों को विकास भवन में ले जाने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।
85	120	श्री रामावतार शास्त्री	रेल भवन के रख-रखाव तथा वार्षिक मरम्मत के कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता।	100 रुपये कम कर दिये जायें।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	121	श्री रामावतार शास्त्री	पार्लियामेंट स्ट्रीट में डाक-तार भवनों के रख-रखाव और वार्षिक मरम्मत के काम को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	122	श्री रामावतार शास्त्री	पटना सैंट्रल इलैक्ट्रिक्ल सर्कल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	123	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कलकत्ता इलैक्ट्रिकल डिवीजन के मणिपुर तथा अगरतला सब डिवीजनों को गौहाटी इलैक्ट्रिकल डिवीजन के साथ सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	124	श्री रामावतार शास्त्री	मद्रास सैन्ट्रल सर्कल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	125	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नागपुर सैन्ट्रल सर्कल को एक यूनिट के रूप में मानने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	126	श्री रामावतार शास्त्री	नागपुर सैन्ट्रल सर्कल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	127	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बम्बई सैन्ट्रल सर्कल को एक यूनिट के रूप में मानने की आवश्यकता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।
85	128	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मेकेनिकल और वर्कशाप डिवीजन के श्रमिकों के लिये कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत अधिक समय तक कार्य करने के लिये मजूरियों का गलत हिसाब लगाना ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	129	श्री रामावतार शास्त्री	एफ० डिवीजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों की, जो अजमेर सैन्ट्रल डिवीजन से स्थानान्तरित किये गये थे, 16-7-58 से आरम्भ होने वाली अवधि के लिये सेवा में भंग को माफ करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	130	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मेकेनिकल एण्ड वर्कशाप डिवीजन के परिवहन अनुभाग को मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	131	श्री रामावतार शास्त्री	नई दिल्ली में नेताजी नगर, मोती बाग, नानकपुर, किदवई नगर आदि कालोनियों में केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के पूछताछ कार्यालयों के द्वितीय चरण के निर्माण की आवश्यकता।	100 रुपये
85	132	श्री रामावतार शास्त्री	उन डिवीजनों को जो खाद्यान्न स्टोर करने सम्बन्धी निर्माण कार्यों से सम्बद्ध नहीं हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के खाद्यान्न जोन से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	133	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के सिक्किम के वर्क असिस्टैन्टों (इलेक्ट्रीकल) को जिन्हें एल० डी० सी० के रूप में छंटनी के नोटिस दिये गये हैं समाविष्ट करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	134	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान निदेशालय के सैन्ट्रल डिवीजन में सैक्शन आफिसर के बारे में स्थानान्तरण नियम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	135	श्री रामावतार शास्त्री	संसद्-सदस्य पूल के सभी बंगलों के उद्यानों के रख-रखाव का काम नार्थ डिवीजन के 5/एन० सब-डिवीजन उद्यान निदेशालय सी० पी० डब्लू० डी० को हस्तांतरित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	136	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल डिवीजन 4 के सब-डिविजन 3 और 4 के सभी श्रमिकों को वार्षिक वेतन-वृद्धियां देने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	137	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक निदेशकों को वेतन वितरण-कर्ता अधिकारी घोषित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	138	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के सभी सहायक इंजीनियरों को सेक्शनल आफिसरों और केयर टेकरों के अधीन काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के वेतन वितरणकर्ता अधिकारी घोषित करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	139	श्री रामावतार शास्त्री	1—4—65, 1—4—66 और 1—4—67 से केन्द्रीय लोक निर्माण में विभाग मालियों के स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	140	श्री रामावतार शास्त्री	1—4—64, 1—4—65, 1-4-66 और 1-4-67 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लाइनमैनों (इलेक्ट्रिकल से अतिरिक्त) के स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	
85	141	श्री रामावतार शास्त्री	1-4-65, 1-4-66 और 1-4-67 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिशियनों के और स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	142	श्री रामावतार शास्त्री	1–4–65, 1–4–66 और 1–4–67 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सहायक पलम्बरों के और स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	143	श्री रामावतार शास्त्री	1-4-65, 1-4-66 और 1-4-67 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मैकेनिकों (के० सी० एण्ड आर०) के स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	144	श्री रामावतार शास्त्री	1-4-65, 1-4-66 और 1-4-67 से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वरिष्ठ मैकेनिकों (ए० सी० एण्ड आर०) के स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	145	श्री रामावतार शास्त्री	1-4-65, 1-4-66 और 1-4-67 से केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग में वर्क असिस्टेंटों (कार्य प्रभारित) के स्थायी पद बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	146	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के उद्यान निदेशालय के मालियों और चौकीदारों (कार्य प्रभावित कर्मचारी) का जो फारेस्ट गार्ड थे, उचित वर्गीकरण की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	147	श्री रामावतार शास्त्री	1958 से पहले काम करने वाले उद्यान निदेशालय के चौकीदारों (कार्य प्रभारित कर्मचारी) को स्थायी स्थापनाओं में स्थानान्तरण के लिए इच्छा व्यक्त करने का अवसर देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	148	श्री रामावतार शास्त्री	वर्क असिस्टेंट्स, जो इस समय डाक तार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को स्थायी स्थापनाओं में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	149	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन के डिवीजन 1, 2 और 4 के एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मान्यता-प्राप्त संघों के साथ नियमित रूप से मासिक बैठक करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	150	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दिल्ली प्रशासन इलेक्ट्रिकल डिवीजन संख्या 2 के चौकीदारों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	151	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के राजकोट सेंट्रल डिवीजन को एक यूनिट के रूप में मानने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	152	श्री रामावतार शास्त्री	नागपुर सेंट्रल इलेक्ट्रिकल सर्किल के केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियों को तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	153	श्री रामावतार शास्त्री	कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वातानुकूलन डिवीजन संख्या 2 के सैक्शनों को विशेष यूनिट मानने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	154	श्री रामावतार शास्त्री	ए० जी० सी० आर० और ए० जी० सी० डब्ल्यू० एंड एम० से स्थानान्तरित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की मार्च, 1963 तक की भविष्य निधि के लेखे प्राप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	155	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे डिवीजनों में, जहां सब डिविजनल कार्यालय डिविजनल कार्यालय से भिन्न नगरों में स्थित हैं, सहायक इंजीनियरों को चैकों का रुपया प्राप्त करने के अधिकार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	156	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मेहतरों (नियमित) अथवा सिवरमैनों (नियमित) को, जो पिछले दस वर्षों के दौरान स्थायी घोषित होने के पात्र हैं, स्थायी घोषित करने में असफलता ।	100 रुपये
85	157	श्री रामावतार शास्त्री	आसाम सेंट्रल सर्कल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	158	श्री रामावतार शास्त्री	कलकत्ता सेंट्रल सर्कल संख्या 1 के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	159	श्री रामावतार शास्त्री	कलकत्ता सेंट्रल सर्कल संख्या III के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	160	श्री रामावतार शास्त्री	कलकत्ता सेंट्रल इलेक्ट्रिकल सर्कल के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	161	श्री रामावतार शास्त्री	कलकत्ता सेंट्रल सर्कल संख्या II के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के विभिन्न यूनिटों की वरीयता सूचियां तैयार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
85	162	श्री रामावतार शास्त्री	कार्यप्रभारित कर्मचारियों की छंटनी और वरीयता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पटना सेंट्रल इलेक्ट्रिकल सर्कल को एक यूनिट मानने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	163	श्री रामावतार शास्त्री	पन्त नगर हवाई अड्डे पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलाहाबाद सेंट्रल डिवीजन के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के क्वार्टरों से निष्कासन के गैर-कानूनी आदेश ।	100 रुपये
85	164	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अजमेर सेंट्रल डिवीजन के फिटरों की बेलदारों के पद पर अनियमित पदावनति ।	100 रुपये
85	167	श्री रामावतार शास्त्री	जनपथ होटल में कपड़ों का ठेका समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
85	168	श्री रामावतार शास्त्री	जनपथ होटल में कपड़े धोने सम्बन्धी प्रबन्ध अपने नियंत्रणाधीन लेने में असफलता ।	100 रुपये
85	178	श्री रामावतार शास्त्री	भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्रियों और संसद् सदस्यों से मकान किराया की भारी बकाया राशि वसूल करने में असफलता ।	100 रुपये
85	179	श्री रामावतार शास्त्री	बंगलों के अनधिकारियों को बंगले आवंटित करना ।	100 रुपये
85	180	श्री रामावतार शास्त्री	संसद् सदस्यों को स्वीकृत स्केल फर्नीचर मुहैया करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	181	श्री रामावतार शास्त्री	संसद् सदस्यों को आवंटित होने पर भी नया फर्नीचर मुहैया करने में असफलता।	100 रुपये
85	182	श्री ना० स्व० शर्मा	टाइप I से IV क्वार्टरों में फर्नीचर देने की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
85	183	श्री ना० स्व० शर्मा	टाइप I के क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने में असफलता।	100 रुपये
85	184	श्री ना० स्व० शर्मा	टाइप II, III के क्वार्टरों में दूसरा पंखा लगाने में असफलता।	100 रुपये
85	185	श्री ना० स्व० शर्मा	टाइप I से IV तक के क्वार्टरों के सामने मैदानों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में मालियों का प्रबन्ध करने में असफलता।	100 रुपये
85	186	श्री ना० स्व० शर्मा	बंगलों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में मालियों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
85	187	श्री ना० स्व० शर्मा	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों में पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	188	श्री ना० स्व० शर्मा	केवल बारी के ही आधार पर सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित करने में असफलता।	100 रुपये
84	189	श्री क० लकप्पा	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शीघ्र मकान अलाट किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	190	श्री क० लकप्पा	किसी भी कारण से बारी के बिना क्वार्टर अलाट किया जाना समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	191	श्री क० लकप्पा	दिल्ली/नई दिल्ली में आसपास 10 मील के क्षेत्र में जिन कर्मचारियों के अपने मकान हैं, उन्हें सरकारी मकान अलाट किये जाने सम्बन्धी नियमों को समाप्त किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	192	श्री क० लकप्पा	सरकारी कर्मचारियों के सुरक्षित तथा आरामदायक जीवन के लिये सरकारी कालोनियों में उचित तथा पर्याप्त सुख-सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	193	श्री क० लकप्पा	देव नगर तथा राजा बाजार के एक मंजिले सरकारी क्वार्टरों के पास की दीवारों को ऊंचा करने	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			तथा उन पर शीशे के टुकड़े लगाने की आवश्यकता ताकि इन क्वार्टरों को सुरक्षित किया जा सके और वहां बार-बार होने वाली चोरियां समाप्त की जा सकें।	
84	194	श्री क० लकप्पा	जवाहर-ज्योति बनाये रखने पर फिजूल-खर्ची।	100 रुपये
84	195	श्री रामावतार शास्त्री	स्वर्गीय प्रधान मंत्रियों के समाधि भवनों पर खर्चीली तथा ठाठ-बाट वाली योजनाओं पर हो रहे अधिक व्यय को कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	196	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी कालोनियों में बारातों के ठहराने के लिये तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिये बड़े-बड़े समाज सदन हालों की व्यवस्था करने तथा बिना किराये तथा नाम-मात्र किराये पर कमरे देने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	197	श्री रामावतार शास्त्री	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपिटल रिजन) योजना को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	198	श्री रामावतार शास्त्री	निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को विकसित भूमि देने की आवश्यकता ताकि वे अपने निजी मकान बना सकें।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
84	199	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्वार्टर अलाट किये जाने के लिये प्राथमिकता तिथि निर्धारित करने सम्बन्धी नियमों को इस प्रकार संशोधित किये जाने की आवश्यकता जिससे कि किसी विशेष स्थान पर अलाटमेंट के लिये उसी स्थान पर किसी कर्मचारी की सेवा को आधार माना जाये न कि केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश होने की तिथि को।	100 रुपये
84	200	श्री रामावतार शास्त्री	बचत तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालयों का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	201	श्री रामावतार शास्त्री	टाइप II तथा III में दो पंखों की व्यवस्था तथा पावर प्वाइंट दिये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	202	श्री रामावतार शास्त्री	कार्यालय के लिये आवास, बिजली तथा वातानुकूलन, तथा शीतन सुविधाओं सम्बन्धी आवश्यकतायें निर्धारित करने के लिये युक्तियुक्त सिद्धान्त बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
84	203	श्री रामावतार शास्त्री	नये भवनों के निर्माण में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता ताकि ठेकेदारों को स्तर से नीचे के भवनों की मजूरी न दी जा सके।	100 रुपये
84	204	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों को कार्यालय के कमरों तथा निवास-स्थानों में दी जाने वाली सुविधाओं में कमी किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	205	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी भवनों की सजावट योजनाओं पर अपव्यय रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	206	श्री रामावतार शास्त्री	कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सरकारी कालोनियों में घास के मैदानों की रखवाली करने तथा "किचन गार्डन" बनाने में सहायता देने के लिये बागबानी कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	207	श्री रामावतार शास्त्री	नेताजी नगर तथा मोतीबाग में वर्तमान दोषपूर्ण जल निस्सारण प्रणाली को बदलने की आवश्यकता।	100 रुपये
84	208	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास स्थान	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			देने सम्बन्धी नियमों को इस प्रकार संशोधित करने की आवश्यकता कि (1) निम्न वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को उनके कार्यालयों के पांच मील के दायरे के भीतर मकान मिलें; और (2) जो कर्मचारी जो निम्न श्रेणी के क्वार्टरों को प्राथमिकता देकर अपनी श्रेणी के क्वार्टर लेने से इनकार करते हैं, उनसे उस क्वार्टर का बाजार भाव से चार गुना किराया लिया जाना चाहिये ।	
84	209	श्री रामावतार शास्त्री	निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये मंत्रियों/उच्च अधिकारियों के निवास-स्थानों से संलग्न भूमि के उपयोग की आवश्यकता ।	100 रुपये
84	210	श्री रामावतार शास्त्री	क्वार्टरों के अलाटमेंट संबंधी नियमों को इस प्रकार संशोधित करने की आवश्यकता जिससे कि किसी विशेष टाइप के लिये कर्मचारी की पात्रता परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित की जाये न कि वेतन पर ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
84	211	श्री श्रीधरन	देव नगर, किदवई नगर, नौरोजी नगर, तथा मोतीबाग एक तथा दो में सभी II तथा III टाइप क्वार्टरों में दूसरा पंखा लगाये जाने के लिये शीघ्रता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
84	212	श्री श्रीधरन	संसद् भवन में स्वचालित मतदान प्रणाली की देख-रेख तथा रख-रखाव के लिये डाक तथा तार विभाग से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को मानदेय तथा विशेष वेतन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
84	232	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपये कर दिया जाये ।
84	233	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों की मनमानी, भाई-भतीजावाद और पक्षपात को रोकने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।
84	234	श्री रामावतार शास्त्री	निम्न वर्ग के कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत करने में असफलता ।	100 रुपये
85	235	श्री रामावतार शास्त्री	सभी कर्मचारियों के लिये मकान की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
85	236	श्री रामावतार शास्त्री	अधिकारियों को मकान देने में अग्रता प्रदान करने की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	237	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्वार्टरों में पंखे और बिजली के प्वाइंटों की बेहतर व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।	100 रुपये
85	238	श्री रामावतार शास्त्री	अस्थायी कामगरों को स्थायी बनाने में असफलता।	100 रुपये
85	239	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बरबादी और धन का दुरुपयोग रोकने में असफलता।	100 रुपये
85	240	श्री रामावतार शास्त्री	मंत्रियों और अधिकारियों के बंगलों पर होने वाले खर्च को कम करने में असफलता।	100 रुपये
86	241	श्री रामावतार शास्त्री	लेखन सामग्री की छपाई में धन की बर्बादी रोकने में असफलता।	100 रुपये
86	242	श्री रामावतार शास्त्री	मुद्रणालय में कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।	100 रुपये
87	243	श्री रामावतार शास्त्री	विदेशों में स्थित सप्लाई मिशनों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	100 रुपये
87	244	श्री रामावतार शास्त्री	सामान की सप्लाई और निपटान में चोरी और बरबादी को रोकने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
131	245	श्री रामावतार शास्त्री	संसद् सदस्यों के निवास-स्थानों में भोजन-कक्ष में बेसिन लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
131	246	श्री रामावतार शास्त्री	सभी अस्पताल कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
132	247	श्री रामावतार शास्त्री	अशोका होटल के कार्या-चालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
132	248	श्री रामावतार शास्त्री	अशोका होटल में कमरों का दुरुपयोग रोकने में असफलता ।	100 रुपये
132	249	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी निवास-स्थानों तथा कार्यालयों के किराये की वसूली के लिये योजना बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
132	250	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली में कार्य कर रही लड़कियों के लिये आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
132	251	श्री रामावतार शास्त्री	ग्रामीण आवास योजनाओं की असफलता ।	100 रुपये
132	252	श्री रामावतार शास्त्री	मध्यम आय-वर्ग आवास योजनाओं की असफलता ।	100 रुपये
132	253	श्री रामावतार शास्त्री	पिछड़े वर्गों के लिये मकान बनाने में असफलता ।	100 रुपये

श्री कमलनाथन् (कृष्णगिरि) : वास्तव में निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय को रखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसे समाप्त करना बेहतर है क्योंकि यह मंत्रालय उन वस्तुओं से सम्बन्ध रखता है तथा कार्यवाही करता है जो पूर्णतः राज्य-विषय है। जब हर राज्य के पास अपना लोक निर्माण विभाग है तो फिर केन्द्रीय सरकार को निर्माण-कार्यों के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाने की जरूरत ही क्या है ? जो काम राज्यों में होता है, वही काम फिर इस मंत्रालय द्वारा भी किया जाता है और उनके कार्य स्वरूप में भी कोई अन्तर नहीं है। उदाहरणार्थ राज्यों ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने अतिथि-गृह बनाये हुए हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने शायद उनसे सन्तुष्ट न होकर, अपने अलग विश्राम-गृह बनाये हुए हैं जिन्हें "सर्किट हाउस" कहा जाता है , क्या यह धन की बर्बादी नहीं है ? क्या एक ही काम दुबारा नहीं किया जा रहा है ? इस मंत्रालय को बनाये रखने में क्या औचित्य है ? जहां तक राष्ट्रीय महत्व की कुछ परियोजना का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार उनकी क्रियान्विति तथा निष्पादन के लिये राज्यों को अपेक्षित राशि दे सकती है।

मंत्रालय के काम तथा उसकी अदक्षता को देखकर बड़ी निराशा होती है। दूसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में 5000 गांवों में ग्रामीण आवास परियोजना योजना क्रियान्वित की जानी थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी यह योजना लगभग उतने ही गावों में क्रियान्वित की जानी थी। दूसरी योजना में इस योजना पर केवल 37.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई और तीसरी योजना के दौरान 34.7 प्रतिशत, इससे जाहिर होता है कि इस मंत्रालय में कार्यकुशलता का ही नहीं अपितु चतुरता का भी अभाव है। जबकि अन्य मंत्रालय आंकड़े देने की कला में तो होशियार हैं, यह मंत्रालय वैसा भी नहीं है। गांवों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मकानों के लिये जगह देने का एक कार्यक्रम है। यद्यपि इस कार्यक्रम को चालू किये पांच वर्ष बीत चुके हैं, पर इस दिशा में अब तक किंचितमात्र भी प्रगति नहीं हुई है, यह वास्तव में हैरानी की बात है। इस सम्बन्ध में केन्द्र राज्यों को दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि संघ राज्य-क्षेत्रों ने इस योजना को गंभीरता-पूर्वक आरम्भ नहीं किया है। हरएक को पता है कि हमारे देश में 83 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। इसके अलावा कृषि तथा खाद्य उत्पादन के मामलों में भूमिहीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इस सरकार ने उन्हें मकानों के लिये भूमि देने तथा उनके लिये आवास बस्तियों की व्यवस्था करने के लिये कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की है।

अब मैं एक और दुःखद बात का उल्लेख करना चाहता हूं। फोर्ड फाउन्डेशन ने ग्रामीण आवास योजना के लिये 200,000 डालर का अनुदान दिया है लेकिन सरकार ने इस राशि में से केवल 80,000 डालर खर्च किये हैं। चार वर्ष का समय गुजर जाने पर भी सरकार ने केवल 56 प्रदर्शन-गृह बनाये हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस राशि को खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं।

गन्दी बस्तियों को हटाने की एक विकट समस्या है जिसका हल नहीं ढूढ़ा जा रहा है। भारत के बड़े नगर गन्दी बस्तियां बनते जा रहे हैं। लोग गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों

में आते हैं और फिर वहां बसने लगते हैं और जहां खाली जगह देखी अपना अड्डा बना लेते हैं और इस प्रकार गन्दी बस्तियां बनती हैं। मद्रास सरकार गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये अग्नि-सह (फायर-प्रूफ) मकान बना रही है। लेकिन उसके पास सीमित संसाधन हैं। केन्द्रीय सरकार को इस सराहनीय परियोजना के निष्पादन में राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि मंत्रालय सरकार की बकाया रकम को वसूल करने में असफल रहा है। 1 दिसम्बर 1967 को वसूल की जाने वाली बाकी राशि 133.73 लाख रुपये थी। वसूली करते समय यदि कुछ सख्ती से भी काम लेना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। सरकार केवल बकाया राशि वसूल करने में ही असफल नहीं रही है, अपितु उसने मद्रास निगम को भी उस राशि का भुगतान नहीं किया जो कि उसे दी जानी थी।

मैं एक और विषमता की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, संसद् भवन में स्वचालित मतदान प्रणाली में काम करने वाले वायर मैन का वेतन-क्रम 110-155 रुपये है जबकि ऐसा ही काम करने वाले वायरमैन का वेतन-क्रम आकाशवाणी में 130-280 रुपये है, यह विषमता दूर की जानी चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): The staff working in the Automatic Voting System in the Parliament House have got the pay-scale of Rs. 110-155. Whereas their counterparts in the All India Radio get Rs. 130-280 scale. Why such a glaring disparity in the same Ministry? This anomaly should be removed.

There is wide spread corruption in this Ministry. Some high officials of this Ministry indulge in corrupt practices; they are making use of public funds for their personal benefit. Huge amount is spent on decoration of the bungalows of Ministers which is not accounted for. All this is done through contractors who are always in league with them.

The Public undertaking committee in their report on the Ashoka Hotel Ltd. have called for an inquiry into the award of the contract for the construction of the annexe to the Ashoka Hotel building to M/s. Tirath Ram Ahuja by the Ministry.

During the discussion on the demands for grants in respect of his Ministry, the Minister of Civil Aviation and Tourism regretted that they had not adequate accommodation to make available for use by tourists. In this context, I would like to bring it to the notice of the House that there are as many as 30 airconditioned rooms in the Ashoka Hotel which are being used by the officers and offices. If these rooms are made available for use by tourists, the Government can earn foreign exchange of Rs. 500 per day. This is an instance of mismanagement and corruption in the Ashoka Hotel.

The Assistant Manager, purchases, in the Ashoka Hotel purchased goods worth Rs. 5 lakhs without prior approval. Now after the purchase he seeks approval. What is this procedure? This is a case of misappropriation of funds.

There is a recognised union of employeees in the Ashoka Hotel. If this union raises their voice against corruption in the Hotel, attempts are made by the management to disrupt it. Communal feelings are being encouraged among the employees to create disunity in the union.

Coming to the housing problem of the Government employees, it is responsibility of the Government to provide accommodation to their employees. But the Ministry has not been able to do so. Larger number of employees are waiting for allotment of quarters even after putting in several years of service. The matter requires more attention to be paid. Increased housing facilities should be provided to women employees.

Employees working in Parliament House have to come early and work till late hours. They should be provided accommodation near Parliament House. Late duty allowance should also be paid to them.

There is no mention in the Report about providing houses to agricultural labourers. In the Report for 1966-67 it was said that the village housing projects scheme would be introduced in 5000 villages. But there is no mention in the Report about the progress they have made in the implementation of the scheme. Information in regard to the progress made in this work should be given to the House.

Shri Shashi Bhushan Bajpai (Khargone) : After independence, the country has made a considerable progress in architecture. Our architects are in no way inferior to those of any other country. The credit for all this goes to the N. B. O. and the Ministry of Works, Housing and Supply.

The question of construction of houses for Government employees needs to be reviewed with a socialistic angle. At the moment the practice is that the officer who has a car is given house within one mile of his office whereas the employees who come on foot to office are given quarters at a distance of 10 to 15 miles. It is a very wrong practice.

There is another striking feature. There are certain cities like Jabalpur, Indore etc. the population of which has already reached a point which entitles them to be upgraded. But the Government will not regard them as a grade cities till they become over populated and turn into slum areas. This is a wrong policy. Cities should be classified as A Grade as soon as their population touched a particular point.

References have been made to mismanagement and corruption in the Ashoka Hotel. This Hotel is no ideal for us. In fact big hotels are not for men of ordinary means. We should construct adequate number of hotels in the country for ordinary people. There are youth hostels, Y. W. C. As. and Y.M.C.As. in the country and all of these get money from the Government. Instead of this why should we not have hostels and accommodation for students, teachers and journalists at national level? Today Private Sector is cracking and it can never work in the interest of the people at large. More attention should be paid towards the Public Sector.

The condition of schools and hospitals is very bad. There is a shortage of buildings for them. Thousands of schools have been housed in tents, which is unhygienic both for students and teachers. Steps should be taken to see that accommodation is provided to them. The question of construction of school buildings and hospitals should be viewed with a socialistic angle. Their construction and expansion should benefit the poor to the maximum extent. We

should now take up construction in the rural side. Steps should be taken to implement the village housing projects schemes. We have not so far made any progress in this regard.

The farmer has to suffer in absence of warehousing facilities in the villages. A lot of his produce goes waste due to lack of storing facilities. There is, therefore, a great need of warehouses in the villages. They should be put up there so that people could make use of them for storing their food-stocks.

The contract system which encourages corruption should be abolished. The Government should take steps to form an association of labourers at national level which could take up all construction works in the country.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut): Eighty per cent of our population live in villages. The big factories as a result of their technical development have made the village craftsman a mere agricultural labourer. The village housing projects scheme is nothing except a political bribery. There are a number of landless agricultural labourers among our rural population. The land left out after consolidation of holdings has been sold by the Pradhans. The Government can now acquire the land around the villages and allot the same to the landless agricultural labourers after dividing it into small plots.

Big and grand houses and fine colonies are constructed for the big people in urban areas. But there is no provision of accommodation there for the working class who plays dominant role in the construction and maintenance of these cities. These people seeking employment come to cities from rural areas and settle down here. They seek shelter and soon they create their own slums wherever a vacant site is available and thus turn these cities into bigger slums. The Government have not paid any attention to the requirement of the poor man. It is necessary that even in big cities provision of accommodation should be made for the working class also. Today a fairly large number of people are living in slums. Living in slums is not only unhealthy and unhygienic but it also demoralises the human being. Government's wrong policy is responsible for creating this sorry state affairs. If it continues, it may create an explosive situation with grave consequences.

Previously there was a rule that a Government employee who owned a House was not entitled to Government accommodation. But the rule was subsequently amended most probably at the instance of some vested interests. As a result, the number of such allottees as own their own houses is much more than other allottees. Besides, at the moment the practice is that the officer who has a car is given the house near his office whereas the employees who come to their office on foot or by cycle are given houses in far off colonies. It is a wrong practice.

The population of Delhi is fast increasing. It is possible that Delhi might need more land for its population in near future and might have to ask the neighbouring states for the same. If that is to be done, it should be done without any delay.

I would like to conclude by saying that the Government should revise their policy so as to rehabilitate the working class in rural and urban areas who constitute eighty percent of the country's population.

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : जब कुछ माननीय सदस्य मंत्री बन जाते हैं तो वे फूले नहीं समाते । ऐसी भावना वर्तमान मंत्री श्री जगन्नाथ राव में भी आ गई है । उन्हें एक बहुत बड़े विभाग का काम सौंपा गया है और मैं नहीं जानता कि वह अपेक्षित सीमा तक अपने कर्तव्यों का पालन कर भी सकेंगे । इस मंत्रालय में छोटे दिल से काम नहीं चलेगा क्योंकि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है और उसके उन्मूलन के लिये भारी दिल की जरूरत है ।

यह मंत्रालय भ्रष्टाचार के लिये कुख्यात है । सभी जानते हैं कि वहां धन का निम्नतम लोगों से उच्चतम लोगों तक प्रतिशतता के हिसाब से बटवारा होता है । क्या मंत्री महोदय ने इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये कोई योजना बनाई है और संसद् के समक्ष रखी है ?

मंत्रियों तथा संसद सदस्यों के मकान तथा फ्लैट बिलकुल पास में हैं । पिछले मंत्री वहां जाते थे और शिकायतों की छानबीन करते थे, लेकिन वर्तमान मंत्री इसकी पर्वाह नहीं करते । उपरि टंकियां पिछले 20 वर्षों से हैं लेकिन उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया । उनमें सुराखें पड़ गई हैं और पानी बहता रहता है और इसके लिये संसद् सदस्यों को बेकार में 30 से लेकर 50 रुपये तक भरने पड़ते हैं । हम शिकायतें करते रहते हैं लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं ।

संसद्-सदस्यों के फ्लैट 16 अथवा 17 वर्ष पहले बनाये गये थे । सभी पूंजी व्यय वसूल हो गया है तथा फिर भी हम से किराये फर्नीचर आदि के रूप में भारी रकम वसूल की जा रही है । यह मुनाफाखोरी है । हमने बार-बार यह अनुरोध किया है कि इस राशि को कम किया जाये, परन्तु हमारे उन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है ।

उन मकानों के कुछ मालिकों ने जिनके मकानों का अधिग्रहण किया गया था, प्रार्थना की है कि उनके मकानों को वापस दिया जाये । मालिकों का यह कानूनी अधिकार है कि जो मकान अधिग्रहित किये गये हैं, वे कुछ समय बाद वापस दिये जायें । प्रार्थनायें की जा रही हैं, परन्तु उन उचित प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय तथा मंत्रालय का यह रवैया है कि यदि मालिक मकानों की मांग कानूनी है, तो वे न्यायालय में जायें, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि मुकदमेबाजी पर जो खर्च होगा, वह सरकार का धन खर्च होगा । इस लिये उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है । यह रवैया ठीक नहीं है । इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जाने चाहिये और यदि नैतिक तथा कानूनीतौर पर मकान मालिक अपने मकान को वापस लेने का हकदार है, तो उसका मकान उसे वापस दिया जाना चाहिये ।

श्री नायनार (पालघाट) : निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की हर परियोजना भारी बर्बादी का एक उदाहरण है । लोक निर्माण कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं और यह मंत्रालय भ्रष्ट अधिकारियों की एक आदर्श शिकारगाह बन गई है । दिल्ली में लोग कहते हैं कि यदि आप सम्पदा के स्वामी बनना चाहते हैं, तो सम्पदा निदेशालय में नौकरी कीजिये और पांच साल के अन्दर-अन्दर आप सम्पदा के स्वामी बन जायेंगे ।

इस मंत्रालय के अधीन दो कम्पनियां हैं — हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम। इन दोनों कम्पनियों का काम खराब होता जा रहा है। यद्यपि इन कम्पनियों के अधिकारियों ने आंकड़ों का हेरफेर करके यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि इन कम्पनियों द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, परन्तु सचाई को बनावटी बातों से नहीं छुपाया जा सकता। हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी की 49 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी में से 8 लाख रुपये संदिग्ध दिखाये गये हैं। मैं समझता हूं कि इस भारी राशि के जमा होने की जिम्मेदारी मंत्रालय पर है।

यह मंत्रालय अशोक होटल के स्नानघरों में टेलीफोन लगाने और पाइप संगीत चालू करने में गर्व समझता है, परन्तु दिल्ली में बच्चों के लिए स्कूल बनाने के लिये उसके पास पर्याप्त धन नहीं है। इस लिये हजारों बच्चों को तम्बुओं में पढ़ने को बाध्य किया जाता है, जहां उन्हें गर्मी में गर्मी के कारण, वर्षाऋतु में वर्षा के कारण और शीतऋतु में जाड़े के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं। सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक मजदूरों के रहने की पर्याप्त आवास व्यवस्था नहीं की जाती है, तथापि कार्यालयों के पुराने भवनों को गिराने और नये भवन बनाने पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के अधीन झुग्गियों और झोपड़ियों को गिरा कर हजारों निर्धन परिवारों को बेघर कर दिया गया है और उन्हें कोई दूसरी जगह नहीं दी गई है। ये लोग अधिकतर दैनिक मजूरी करने वाले हैं तथा इनके पास इतना धन भी नहीं है कि अपने लिये अस्थायी झोपड़ियां ही बना लें। अतः उन्हें गलियों में रह कर दिन काटने को मजबूर किया गया है। दिल्ली में गरीब आदमियों के साथ इतना दुर्व्यवहार तो औरंगजेब के शासनकाल में भी नहीं किया गया था।

इस सभा में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कई बार उल्लेख किया गया है। यह विभाग भ्रष्टाचार, धोखादेही, बर्बादी और अपव्यय का प्रतीक है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ठीक ही ठेकेदारों का स्वर्ग कहा गया है। इस विभाग में ठेकेदार लूट मचा रहे हैं। राजधानी में भी, जहां मंत्री महोदय स्वयं उपस्थित हैं, ठेकेदार खुलेआम लूट मचा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये ठेकेदार लोग ऊंचे अधिकारियों के साथ मिले हुए हैं और उनको भी इस लूट का हिस्सा दिया जाता है। वर्ष 1967 के दौरान मंत्रालय द्वारा 514 मामलों की छानबीन की गई और उनमें से 96 मामलों की जांच जरूरी नहीं समझी गयी और 344 मामलों को जांच का दिखावा करने के बाद खत्म कर दिया गया। इससे पता चलता है कि सतर्कता तंत्र द्वारा किस प्रकार भ्रष्टाचार को सहन किया जा रहा है।

लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग के बारे में जो कुछ कहा जा सके थोड़ा है। इस विभाग के पुनर्गठन के नाम पर केन्द्रीकृत खरीदें बन्द कर दी गई हैं और स्थानीय अधिकारियों को सीधे माल खरीदने की शक्तियां दे दी गई हैं। इससे प्रादेशिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार का एक नया साधन मिल गया है।

संसद सदस्यों द्वारा अधिकारियों की गम्भीर भूलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाये जाने के बाद भी सरकार द्वारा कोई फौरी कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। कोयम्बटूर मुद्रणालय का प्रबन्धक एक गम्भीर घोटाले में फंसा हुआ है। वह प्रबन्धक एक ऐसे गम्भीर घोटाले में फंसा है कि जिसके कारण प्रेस के सब कर्मचारी नाराज हो गये हैं। उक्त प्रबन्धक अपने विभाग की दो सुन्दर महिला कर्मचारियों के साथ जीप में सवार होकर कोराटी मुद्रणालय की ओर जा रहा था कि उसकी जीप केरल राज्य परिवहन की एक बस से टकरा गई। अन्त में प्रबन्धक तो मुद्रणालय में आ गया, परन्तु उन महिलाओं का अभी तक कोई पता नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है और इसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, परन्तु सरकार कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती। इस घटना से उस क्षेत्र के सब लोगों की भावना को ठेस लगी है, परन्तु मंत्रालय को इसकी कोई चिन्ता नहीं है। सरकार कुख्यात और पतित अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस मंत्रालय के कार्यसंचालन की अविलम्ब जांच कराई जाये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : महोदय, मैं सभा के समक्ष कुछ उदारहण पेश करना चाहता हूं, जिससे यह ज्ञात होगा, कि इस मंत्रालय के विभिन्न विभाग किस प्रकार काम कर रहे हैं। लोक लेखा समिति के 21वें प्रतिवेदन के पृष्ठ 41 पर लिखा है कि टेंडर की जांच में माल का गलत विवरण देने के कारण नौ-इंजनों (मैरीन-इंजनों) और फालतू पुर्जों की बिक्री में सरकार को दो लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। फिर प्रतिवेदन के पृष्ठ 50 पर एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें कहा गया है कि दोषी फर्म द्वारा वास्कटों की सप्लाई देर से किए जाने के कारण 2.08 लाख रुपए का अधिक खर्च करना पड़ा। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 80 पर एक और उदाहरण दिया गया है जिससे ज्ञात होता है कि सम्भरण तथा निपटान महानिदेशक ने एक फर्म को दी गई 99,294 रुपए की अग्रिम धनराशि को उस पर देय भुगतान की राशि में से कम कर दिया था, क्योंकि उस फर्म ने ठेके की शर्तें पूरी नहीं की थीं, परन्तु बाद में न्यायालय के आदेशानुसार सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय को उस फर्म को वह राशि देनी पड़ी।

मैं सभा के समक्ष एक और बात रखना चाहता हूं। मंत्रालय की टिप्पणी से समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि डुसेलडोरम में स्थित इण्डियन सप्लाई मिशन का निरीक्षण केन्द्र पश्चिम यूरोपीय देशों में आर्डर के साजसामान के निरीक्षण का काम सुगम बनाने और पहले लन्दन में किये जाने वाले निरीक्षण के खर्च को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा है। इस असफलता के कारण प्रति वर्ष 11,000 पौंड की हानि हो रही है।

अब मैं निर्माण-कार्य प्रभाग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस प्रभाग का पुनर्गठन अक्तूबर, 1965 में अधिकारी प्रधान प्रणाली के आधार पर किया गया था। परन्तु बाद में मालूम हुआ कि काम में काफी नुकसान हो रहा है और यह निर्णय किया गया कि इस अधिकारी-प्रधान प्रणाली को खत्म किया जाए। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

सभा के समक्ष जो अनेक कटौती प्रस्ताव किये गये हैं, उनमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विभिन्न विफलताओं का उल्लेख किया गया है । अतः मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की विभिन्न विफलताओं का ब्योरेवार उल्लेख करूं, तथापि मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कुछ असफलताओं के कारण देश के विभिन्न भागों में निर्माण कार्य तेजी से नहीं किये जा रहे हैं और उनमें गतिरोध पैदा हो गया है । वर्ष 1964 में श्री एन० गोविन्द रेड्डी, सदस्य राज्यसभा, की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया गया था तथा इस अध्ययन दल ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया की जांच की थी तथा इस बात की भी जांच की थी कि विलम्ब होने और गतिरोध पैदा होने के क्या कारण हैं । उक्त अध्ययन दल ने बहुत जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी कि सर्वेयर आफ वर्क्स आर्गनाइजेशन को दोनों ही, प्रादेशिक स्तर और खण्ड स्तर पर, दो एककों में बांट दिया जाए, एक मात्रा के सर्वेक्षण के लिए और दूसरा ढांचे के डिजाइन के लिए । इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

मैं मंत्रालय का ध्यान उस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन कर्मचारियों को जो कि वातानुकूलन इत्यादि का काम काम करते हैं, समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता, जो कि लोकसभा से सम्बद्ध अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है । इस भेद-भाव को दूर किया जाना चाहिए ।

आवास के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि गन्दी बस्तियों में रहने वालों की दयनीय स्थिति इस मंत्रालय के लिए शर्म की बात है । हम आवास कार्यों के लिए गैर-सरकारी पहल पर अधिकाधिक निर्भर करते हैं । जिन लोगों ने मकान बना रखे हैं, उन्होंने अपने मकानों को बहुत ज्यादा किराये पर दिया हुआ है । इसलिए इस बात के लिए प्रयास किये जायें कि मध्य वर्ग के लोग अपने मकान बना सकें ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । राज्य सरकारों को आवास सम्बन्धी कार्यों के लिए जो धन दिया जाता है वे उसे अन्य कार्यों पर खर्च कर देती हैं । इसलिए मंत्री महोदय को चाहिए कि आवास कार्यों के लिए आवंटित निधियों के वितरण की समस्या के बारे में अधिक कड़ा नियंत्रण रखें ।

श्रमजीवी महिलाओं के आवास के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या 5000 है, लेकिन श्रमजीवी महिला होस्टल में केवल 300 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है । अतः केन्द्रीय सरकार के अधीन काम करने वाली श्रमजीवी महिलाओं के आवास का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

अनियमित पदोन्नतियों के सम्बन्ध में मैं एक अनियमित पदोन्नति का उल्लेख करना चाहता हूं, जिससे यह ज्ञात हो जाये कि पदोन्नतियां किस प्रकार की जा रही हैं ।

श्री जाडून घोष नामक एक फोरमैन, तृतीय श्रेणी को, अन्य लोगों के दावों को अस्वीकार करके फोरमैन प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडवी) : निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय भ्रष्टाचार, भाई भतीजा तथा अन्य सम्बद्ध बुराइयों की जड़ है। इस मंत्रालय की बार-बार कटु आलोचना की गई है। एक बहुत वरिष्ठ सदस्य श्री तिवारी ने संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों में स्थित इण्डिया सप्लाई मिशनों पर विभिन्न आरोप लगाये हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि विदेशों में हमारे सप्लाई मिशन ठीक काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग विदेशों में इण्डिया सप्लाई मिशनों में काम करते हैं, वे समझते हैं कि उनका भारत से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे इस तरह काम करते हैं जैसे कि वे उस सरकार के गोद लिये हुए बच्चे हों, जहां वे काम कर रहे हैं। इस मनोवृत्ति को खत्म करना होगा तथा सभी देशों में अपने सभी सप्लाई मिशनों को नया रूप देना होगा।

यह उचित समय है जबकि मंत्री महोदय को न्यूयार्क, वाशिंगटन तथा अन्य बहुत से स्थानों पर स्थित इण्डिया सप्लाई मिशनों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विश्लेषण करना चाहिए। उनकी संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है। मैं मांग करता हूं कि सभी देशों में स्थित इण्डिया सप्लाई मिशनों की पूरी जांच की जाये।

मकान बनाने के मामले में शहरी तथा देहाती दोनों क्षेत्रों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बुरी तरह विफल रहा है। सरकार को केन्द्रीय सरकार के तथा राज्य सरकारों के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की मकान सम्बन्धी मांग पर उचित ध्यान देना चाहिये। ये सरकारी कर्मचारी बड़ी कठिनाई में हैं और विशेषतया दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों को गर्मी में सख्त गर्मी और सर्दी में सख्त सर्दी का मुकाबला करना पड़ता है। यह सरकार का पहला कर्त्तव्य है कि उनके लिये मकानों का प्रबन्ध किया जाये।

हाल ही में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि अशोक होटल के सम्बन्ध में ठेकों का सौदा किस प्रकार किया गया। समिति ने इसकी कटु आलोचना की है। होटल के अधिकारियों ने न्यूनतम टेंडर की उपेक्षा की है और अधिकारियों द्वारा दरें बढ़ाई गई हैं। जब संसद् की समितियों द्वारा ऐसे आरोप लगाये जायें, तो मंत्री महोदय को उस मामले में उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिये और संसद सदस्यों को उसकी सच्चाई के सम्बन्ध में सन्तुष्ट किया जाना चाहिए।

बागवानी विभाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग द्वारा बहुत कम काम किया गया है। यद्यपि दिल्ली में कुछ बहुत सुन्दर बाग हैं, परन्तु उनकी देख भाल अच्छी तरह से नहीं की जाती है। इन बागों की देख भाल के लिये यदि केन्द्र सरकार के पास उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं, तो उसको चाहिए कि इनकी उचित देख भाल के लिए राज्यों से विशेषज्ञ बुलाये।

अन्त में मैं संसद् सदस्यों को दिये गये फ्लैटों और बंगलों के बारे में कहना चाहता हूं कि संसद् सदस्यों के फ्लैटों और बंगलों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ संसद सदस्यों के फ्लैटों की उचित देख भाल नहीं की जाती है। इन फ्लैटों को अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए। अनेक संसद् सदस्यों को अभी तक फ्लैट नहीं दिये गये हैं। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Mr. Deputy Speaker, I want to know from the Hon. Minister the reasons for the appointment of Shri Sahay, son of Shri Bhagwan Sahay Governor of Jammu and Kashmir, as Director of India Supply Mission, London, ignoring the seniority of others. I think it is a clear case of favouritism.

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : Mr. Deputy Speaker. The debate on the Demands of this Ministry has proved very useful. Some Hon. Members have given some suggestions, which are really very good suggestions.

First of all I would like to make a reference to the Housing problem of the country. The Housing problem is the third problem the first two being the problem of food and clothing. We are aware of the importance of the magnitude of this problem in our country. It is only through a National Policy that this problem can be solved. The Hon. Members are well aware of the achievement that has been made during the first two five year plans in regard to housing. But even then during the last few years sufficient progress could not be made in house building programme. Housing is a state subject and the state have not paid so much attention to this problem as it required. The state have not made any further provisions in their budgets, except the loans granted by Centre. Moreover the states had not spent so much money over housing, as they were required to spend.

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए
Shri Balraj Madhok in the Chair]

So far on the allocation of funds for Housing in the Third Five Year Plan is concerned formerly an amount of Rs. 37 crores was made and now that amount has been reduced to Rs. 22 crores only. This is the reason why sufficient progress has not been made in the House building programme during the Third Plan.

House building problem is one of the greatest problem of the country. In terms of new houses to be built and old ones to be repaired, the country is short of 7 crore houses. The total amount that will have to be invested for the purpose will come to Rs 1600 crores. So it is evident that this problem can be solved by a phased programme and at the same time we will have to represent to the Planning Commission for allocation of more funds, because the present allocation is not sufficient.

So far as the Jhuggi and Jhonpri problem is concerned, I consider it a human problem. The dwellers of these Jhuggies and Jhonphries have occupied such land over which they have no right and that land is got to be vacated from them. Even then we consider it as a human problem and we do not want to do them undue hardship and that problem is to be handled from the point of view that it is a human problem. Last year a committee was constituted by the Home Minister to go into the matter. The Committee held a number of meetings and afterwards certain unanimous recommendations were made by that Committee. We have taken certain decisions in the matter on the basis of these recommendations. A second Committee is now being constituted and this matter will be reviewed in order to remove certain short coming.

The Hon. Member Shri Shashi Bhushan Bajpai has raised the question of those Indians, who are living in foreign countries. In this connection I want to say that a scheme has been

prepared under which the Indians living abroad will be given land in India for constructing housing colonies. This will solve the housing problem to some extent and also provide an opportunity to Indian living abroad for a good investment at home. First of all this scheme will be implemented in Delhi and then in Chandigarh, Bombay and Calcutta.

Some Hon. Members have raised certain questions regarding Presses. We have passed the language bill during the last session and it is now natural that more matter will be required to be printed in Hindi. We are trying to augment the Hindi printing capacity and we are also thinking in terms of installing some new presses. We are trying to see that all matter required to be printed in Hindi is printed in time, without any delay. I hope that we will be able to print Hindi documents in Government Presses in time and in case it is not possible for us then resort will also be taken to printing in private presses to make up the gap between English and Hindi.

My Hon. Friend Shri Nayanar has raised a question regarding Coimbatore Press. In this connection I want to say that just on the same day, I received that complaint. I had sent a man from here and we are holding an enquiry against that man. But one thing in this aspect is there. The trade union person who has made the allegation was also posing as labour officer, which he was not. The allegations were from both sides and we are holding an enquiry from both sides.

Some Hon. Members have suggested that in case we are able to sent our stores of disposal to foreign countries, it will be of much benefit to us. In this connection I may say that we are trying to see whether our stores of disposal can be sold in foreign countries, particularly in Middle East, so that we may earn some foreign exchange.

My Hon. Friend Shri Tiwary has said that Indian Supply Missions are over crowded. In this connection I want to say that some pruning of staff has already been done in regard to India Supply Missions abroad. After evaluation of work, further steps will be taken.

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने यद्यपि कटु आलोचना की है एवं व्यक्तिगत आक्षेप भी किये हैं, तथापि मैं सब माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

इस मंत्रालय के दो विभाग हैं—निर्माण और पूर्ति–जहां भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। वास्तव में इन दोनों विभागों का प्रभारी मंत्री चाहे—वह कोई भी हो—भ्रष्टाचार के बारे में चिन्तित रहता है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या है। कुछ अधिकारी अच्छे होते हैं तथा कुछ अधिकारी भ्रष्ट भी हैं। परन्तु हमें यह देखना है कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार का मूल कारण यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो अधिकारियों को भ्रष्ट करना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो कोई भी अधिकारी भ्रष्ट नहीं हो सकता था। अतः भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हमें यह देखना होगा कि भ्रष्टाचार किन क्षेत्रों से पैदा होता है तथा उन क्षेत्रों को रोकना होगा, जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, ताकि भ्रष्टाचार न हो सके। लोक निर्माण विभाग में ठेके देने, ठेकों को क्रियान्वित कराने, निरीक्षण करने, सामग्री की सप्लाई करने, निर्धारित

समय की अवधि बढ़ाने, बिलों का भुगतान करने तथा विभागीय कार्यों की क्रियान्विति इत्यादि में भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भ्रष्टाचार की सम्भावना है। हम इन क्षेत्रों को रोकने का प्रयत्न करते रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार न हो। इस सम्बन्ध में गोविन्द रेड्डी समिति द्वारा बहुत सी सिफारिशें की गई थीं। उस समिति की 188 सिफारिशों में से 175 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है।

पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में विद्यालंकार समिति द्वारा कुछ सिफारिशें की गई थीं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। उन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद वर्ष 1967-68 में भ्रष्टाचार के मामलों में काफी कमी आई है। भ्रष्टाचार की समस्या एक मानवीय समस्या है और इस समस्या का एक दम उन्मूलन करना सम्भव नहीं है। परन्तु यह कहना भी सही नहीं है कि देश में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, प्रत्येक सरकारी अधिकारी भ्रष्ट है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का विशिष्ट आरोप लगाते हैं, तो उसकी अवश्य जांच की जायेगी और सम्बन्धित अधिकारी को अवश्य दण्ड दिया जायेगा।

श्री तिवारी ने मंत्रालय के प्रतिवेदन की आलोचना की है। मैं उनके इस कथन से सहमत हूं कि मंत्रालय का प्रतिवेदन अधिक विस्तृत हो सकता था तथा उसमें कुछ और तथ्य दिये जा सकते थे। माननीय सदस्यों की मांग के अनुसार हम मंत्रालय के प्रतिवेदन को अधिक विस्तृत बनायेंगे। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि यदि प्रतिवेदन में अधिक जानकारी दी गई होती, तो सभा में इस बात की आलोचना नहीं की गई होती कि हमारे सप्लाई मिशनों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रतिवेदन में यह तो दिया गया है कि लंदन स्थित इंडिया सप्लाई मिशन तथा वाशिंगटन स्थित इण्डिया सप्लाई मिशन में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, परन्तु यह नहीं दिया गया कि उन पर कितना धन खर्च किया जाता है तथा कितनी आय होती है। उदाहरण के तौर पर वाशिंगटन में इण्डिया सप्लाई मिशन करोड़ों डालर के खाद्यान्न, उर्वरक तथा अन्य चीजें खरीद रहा है। इसलिये एक खरीद मिशन में 243 कर्मचारी बहुत ज्यादा नहीं है। हम समय-समय पर इस प्रश्न की जांच करते रहते हैं और कर्मचारियों की संख्या पर विचार करते रहते हैं तथा जब कभी हम देखते हैं कि कर्मचारी फालतू हैं तो हम उनकी छंटनी कर देते हैं। इस महीने की 30 तारीख को हम इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करेंगे कि क्या लंदन में इण्डिया सप्लाई मिशन को जारी रखा जाये? उस सप्लाई मिशन में कर्मचारियों की संख्या 112 है, जिनमें से 43 व्यक्तियों की पहले ही छटनी कर दी गई है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज ने जम्मू तथा काश्मीर के राज्यपाल श्री भगवान सहाय के पुत्र श्री सहाय की नियुक्ति का उल्लेख किया है। श्री सहाय उच्च अर्हता प्राप्त व्यक्ति हैं तथा उन्हें उनके अनुभव के आधार पर नियुक्त किया गया है और इस नियुक्ति की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुष्टि की गई है। इस मामले में कोई भाई-भतीजावाद नहीं बरता गया है।

यह बात कही गई है कि बकाया राशि की बहुत भारी रकम वसूल की जानी बाकी है। मैं कहना चाहता हूं कि बकाया राशियों की वसूली की स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1967 में

164 लाख रुपये वसूल करने बाकी थे, जिनमें से 80 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। वर्ष 1967-68 के लिये मांग 270 लाख रुपये तक बढ़ गई है और 230 लाख रुपये वसूल किये गये हैं। इसलिये इस समय प्रत्येक वर्ष के लिये बकाया राशि क्रमशः 80 लाख तथा 40 लाख रुपये है। हमने यह देखने के लिए मार्गोपाय ढूढे हैं कि बकाया रकमें शीघ्र वसूल की जायें और एक विभाग से दूसरे विभाग में समायोजन किये जायें। इन बकाया राशियों का मुख्य कारण यह है कि समायोजन समय पर नहीं किये जाते हैं।

कई माननीय सदस्यों ने श्रमजीवी महिलाओं के आवास की समस्या का प्रश्न उठाया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी करने वाली लड़कियों को, जिनका वेतन 400 रुपये और उससे अधिक है, कर्जन रोड होस्टल में आवास दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्किंग गर्ल्स होस्टल है, जिसमें 183 कमरे हैं। इनमें 77 कमरे ऐसी लड़कियों के कब्जे में हैं जो गैर-सरकारी संगठनों में काम करती हैं। सरकार गैर-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाली सभी लड़कियों के लिये आवास की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकती। कुछ सामाजिक संस्थायें हैं जो होस्टल बना रही हैं। हमने उनको इस प्रयोजन के लिये भूमि दी है। सरकारी कर्मचारियों के आवास के सम्बन्ध में मैं इस बात से सहमत हूं कि केवल 40 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान दिए जा सके हैं। मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को 15 अथवा 20 वर्ष की नौकरी के बाद भी मकान नहीं दिये गये हैं। इस वर्ष हम सरकारी कर्मचारियों के लिये 2,800 मकान बनायेंगे। मेरी यह नीति है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये अर्थात् टाइप एक, दो, तीन और चार के लिये मकान उनके काम की जगह के नजदीक बनाये जायें। डी० आई० जेड० क्षेत्र, मिन्टो रोड और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में पुरानी इमारतों को गिराया जा रहा है और वहां पर बहुमंजिली इमारतें बनाई जायेंगी। कुछ समय बाद बृहद योजना के अधीन बड़े-बड़े बगीचों वाले सभी बड़े बंगले खत्म हो जायेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को बहुमंजिले फ्लैटों में रहने की आदत डालनी होगी। हमने इस दशा में काम भी आरम्भ कर दिया है। मैं समझता हूं 7 नम्बर तथा शायद 6 नम्बर मोती लाल नेहरू मार्ग के बंगलों को गिरा दिया गया है। उनके स्थान पर बहुमंजिली इमारतें बनाई जायेंगी।

एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि उन सरकारी अधिकारियों को जिनके अपने मकान हैं, सरकारी मकान दिये जाते हैं। मंत्रिमंडल ने इस प्रश्न का समूचे रूप से विवेचन किया था। पहले उन व्यक्तियों को सरकारी मकान नहीं दिये जाते थे जिनके अपने मकान हैं, परन्तु बाद में मंत्रिमंडल ने इस मामले का पुनरीक्षण किया और सोचा कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। यदि सरकारी अधिकारी ने मकान बनाया है तो उसका मकान किसी व्यक्ति ने किराये पर लिया है। इसलिये उस हद तक आवास की कमी पूरी हो गई है। इसलिये उसे मकान से वंचित क्यों रखा जाये? उसने मकान के लिये ऋण लिया है। वह नगरपालिका कर, अन्य प्रभार तथा मकान पर मिले किराये पर आयकर दे रहा है। वह सरकार से लिये गये ऋण

पर ब्याज भी दे रही है। अतः वर्ष 1965-66 में मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि आवास के बारे में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। मेरा विचार इस प्रश्न की पुनः जांच कराने का है।

मेरे माननीय मित्र श्री सोनावने ने सरकार के अधिग्रहण में लिये गये मकानों को उन मकानों के मालिकों को वापस करने के बारे में कुछ शब्द कहे थे। सरकार की नीति धीरे-धीरे अधिग्रहण समाप्त करने की है। अब तक हमने दिल्ली में लगभग 31, बम्बई में 19 और कलकत्ता में 6 मकानों का अधिग्रहण समाप्त कर दिया है। जब कभी कोई मकान, जो किसी सरकारी अधिकारी के कब्जे में होता है, तबादले या सेवा निवृत्ति के कारण खाली किया जाता है, तो हम उसका अधिग्रहण समाप्त कर देते हैं।

अब मैं संसद् सदस्यों के आवास के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि संसद् सदस्यों के फ्लैटों में स्थान पर्याप्त स्थान नहीं हैं। ये फ्लैट 20 वर्ष पूर्व बनाये गये थे और उस समय संसद् के सत्र इतने लम्बे नहीं होते थे। अब जबकि संसद् के सत्र वर्ष में 9 महीने चलते हैं, तो स्वाभाविक है कि संसद् सदस्य दिल्ली में सपरिवार रहना पसन्द करेंगे। परन्तु फ्लैटों में आवास की कमी है। अधिकांश संसद् सदस्यों ने बंगलों के लिये लिखा है। दुर्भाग्यवश संसद् सदस्यों के पूल में बंगलों की कमी है। हम टाइप "ए" और "बी" फ्लैटों में एक कमरा और बनाने का विचार कर रहे हैं। पहले हम दो नमूने बनायेंगे और देखेंगे कि स्थान कहां तक उपयुक्त है। यदि दोनों सदनों की आवास समिति इसका अनुमोदन कर देती है, तो हम आगे काम करेंगे। "ए" और "बी" टाइप के 222 फ्लैट हैं। हम इस काम को आवास समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही आरम्भ करेंगे, अन्यथा 30 लाख रुपये की जो राशि इस पर खर्च होगी वह बेकार जायेगी।

देश की आवास नीति से मैं सम्बन्धित हूं। देश में मकान बनाने का काम धीमी गति से चल रहा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने 140 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के यद्यपि तीन वर्ष बीत चुके हैं, तथापि कम धन का नियतन किया गया है। मैं इस प्रश्न पर योजना आयोग से अनुरोध करूंगा कि कम से कम तीसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को जारी रखा जाये। जब तक कुल पूंजी की कम से कम 6 प्रतिशत राशि मकान बनाने के लिये नियोजित नहीं की जाती, तब तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकती। मैं तो केवल एक अभिकरण हूं तथा केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों पर कोई नियंत्रण नहीं है। योजना के नियतन में राज्य सरकारों द्वारा निम्न प्राथमिकता दी जाती है। स्वाभाविक है कि अर्थ व्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के लिये, जो राज्यों के लिये अधिक लाभदायक है, जैसे कृषि, उद्योग तथा सिंचाई आदि, अधिक धन का नियत किया जाना है। राज्य सरकारें चाहती हैं कि उन्हें योजना के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम से धन दिया जाये। जीवन बीमा निगम का धन बहुत सीमित है, जो कि केवल 11 करोड़ रुपये है। मैंने 11 करोड़ रुपये की यह धनराशि राज्यों को बांट दी है। मैंने सभी राज्यों के आवास मंत्रियों को लिखा है कि उन्हें केन्द्रीय

सरकार अथवा जीवन बीमा निगम से आवास कार्यों के लिये जो सहायता या ऋण मिलता है उसमें से एक रुपया भी अन्य कार्यों पर न लगाया जाये। मैंने गत वर्ष नवम्बर में मद्रास में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में यह भी सुझाव दिया था कि राज्यों में आवास बोर्डों द्वारा अधिक काम किया जाना चाहिये। मैसूर आवास बोर्ड ने दो करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी किये हैं। उड़ीसा भी ऐसी ही नीति अपनाने पर विचार कर रहा है। हमें इस प्रयोजन के लिये जनता से साधन जुटाने पड़ते हैं। सरकार देश में आवास की मांग को पूरा नहीं कर सकती। इसे केवल जनता के सहयोग से ही हल किया जा सकता है। जनता अपनी फालतू पूंजी इसमें लगा सकती है।

अशोक होटल के सम्बन्ध में इस सभा को विस्तारपूर्वक चर्चा करने का अवसर मिला है। मैंने विस्तारपूर्वक इस बात का उल्लेख किया था कि अशोक होटल के विस्तार के लिये किसी विशिष्ट ठेकेदार को ठेका देने में कोई सन्देह की बात नहीं है। न्यूनतम टेन्डर को इसलिये नहीं चुना गया, क्योंकि पीछे उसका काम संतोषजनक नहीं समझा गया था। अशोक होटल एक स्वायत्तशासी निकाय है। उन्हें अपने ठेकेदार को चुनने का अधिकार है। फिर भी चूंकि बड़ी रकम का मामला था इसलिये मैंने ठेकेदार से कहा कि इसमें से 2,20,000 रुपये कम कर दिये जायें और उसने ऐसा ही किया। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने फिर भी सिफारिश की है, कि सरकार इस मामले की आगे जांच करे। इसलिये हम अवश्य इस मामले की आगे जांच करेंगे।

मैंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कई कदम उठाये हैं और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे यह न कहें कि देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ऐसा चित्र पेश करना सही नहीं है।

श्री सोनावने : हमने यह तो नहीं कहा है कि सब अधिकारी भ्रष्ट हैं। हमने विशिष्ट उदाहरण दिये हैं।

Shri Prem Chand Verma : We have already said that his attitude towards the Hon. Members is not correct. I am repeating the same.

श्री ना० स्व० शर्मा : मैं आपके एक उच्च अधिकारी की शिकायत कर रहा था। उसने मेरी बात नहीं सुनी और झट टेलीफोन का चोंगा रख दिया। इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : आप मुझे लिखिये। मैं और आप एक जगह बैठ कर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। आप मुझसे संसद् भवन में ही मिल सकते हैं।

बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने सब बातों का उत्तर नहीं दिया है। 30 एयरकन्डीशन्ड कमरों के बारे में जवाब दिलवाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : सब शिकायतों को सुन लिया गया है तथा उनका उत्तर दिया जायेगा। माननीय सदस्यों को भाषण के बीच इस प्रकार टोका-टाकी नहीं करनी चाहिये। यह उचित नहीं है।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि जहां कहीं कोई शिकायत होगी मंत्री महोदय उस पर ध्यान देंगे, तथा माननीय सदस्यों को उत्तर दिये जायेंगे।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Deputy Speaker, Sir, are you replying from his behalf?

श्री जगन्नाथ राव : मैंने अपना भाषण अभी समाप्त नहीं किया है।

Shri Ramavatar Shastri : He has not spoken about the thirty rooms. He has not spoken about the Housing scheme for Journalists. He has not spoken about the Housing scheme of the staff of the Parliament House.

श्री एस० एम० कृष्ण तथा श्री रामावतार शास्त्री खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। यह ठीक नहीं है।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Deputy Speaker, he has not spoken about the Housing problem of the staff of our Parliament House.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

श्री रामावतार शास्त्री **

उपाध्यक्ष महोदय : चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप बैठ जायं।

श्री रामावतार शास्त्री **

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सी शिकायतें की गई हैं। मंत्री महोदय सबका उत्तर देने तथा माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु इस समय सब शिकायतों का उत्तर देना संभव नहीं है।

Shrimati Laxmi Bai : There is a great nuisance of monkeys in South Avenues. We have written about it to the Hon. Minister, but nothing has been done.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं एक बहुत संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। संसद् सदस्यों को जो फर्नीचर दिया गया है, वह बिल्कुल बेकार है।

श्री जगन्नाथ राव : हमने नया फर्नीचर खरीदा है और जिन संसद् सदस्यों द्वारा मांग की गई है, उन्हें नया फर्नीचर दिया गया है। संसद् सदस्यों के लिये फर्नीचर खरीदने के लिये

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

** Not recorded.

मैंने वित्त मंत्रालय से 4 लाख रुपये की मांग की है। जो संसद् सदस्य मांग करेंगे, उन्हें नया फर्नीचर दिया जाये। मैंने माननीय सदस्यों के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दिया है, परन्तु जिन माननीय सदस्यों के विशिष्ट प्रश्नों का मैंने उत्तर नहीं दिया है, मैं उन्हें पत्र द्वारा सूचित करूंगा।

Shri Prem Chand Verma : Mr. Deputy Speaker, he has not answered my point.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह माननीय सदस्यों के विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक को पत्र लिख कर देंगे। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं।

The following Demands for the year 1968-69 in respect of the Ministry of Works, Housing and Supply were put and adopted.

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	राशि
1	2	3
84	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय	93,04,000
85	लोक निर्माण कार्य	32,83,20,000
86	लेखा सामग्री और छपाई	11,22,17,000
87	पूर्ति और निपटान	3,48,73,000
88	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,59,33,000
131	दिल्ली पूंजी परिव्यय	5,75,83,000
132	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	6,20,83,000
133	निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	14,74,000

अणु शक्ति विभाग

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये अणु शक्ति विभाग की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं।

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	राशि
89	अणु शक्ति विभाग	25,19,000
90	अणु शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	14,02,54,000
134	अणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	39,79,17,000

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर): परमाणु शस्त्रों का फैलाव रोकने की संधि दो बड़ी शक्तियों की ओर से इन शस्त्रों को न रखने वाले देशों पर दबाव डालने की बहुत बड़ी चाल है। वास्तव में बड़ी शक्तियां इस संधि के पक्ष में नहीं हैं। वे तो चाहती हैं कि उनके अलावा और किसी देश के पास ये शस्त्र न हों ताकि उनका प्रभुत्व बना रहे।

मैं बल देकर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को इस संधि पर हस्ताक्षर करने का कोई हक नहीं है। यदि सरकार को यह भय दिखाया जाये कि हस्ताक्षर न करने पर वित्तीय अथवा आर्थिक सहायता कम कर दी जायेगी अथवा बन्द कर दी जायेगी तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें आत्म-निर्भर बनाने का यह अच्छा अवसर मिलेगा।

चीन के मुकाबले में हम सैनिक शक्ति के क्षेत्र में भी पीछे पड़ते जा रहे हैं। उसमें संदेह नहीं है कि हमें अणु बम बनाना ही चाहिये चाहे इसकी लागत कितनी ही अधिक क्यों न हो।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

इलैक्ट्रानिक उद्योग के बारे में हमारा देश शेष संसार से बहुत पिछड़ा हुआ है। फिर भी यदि हम एकदम आधुनिक तरीके अपना लें तो इस उद्योग में हम आश्चर्यजनक प्रगति कर सकते हैं। इस संबंध में भाभा समिति ने बताया था कि इस प्रकार हम 1967 में ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं किन्तु न केवल हम आत्मनिर्भर ही हुए अपितु नए अणु संयंत्र लगने के बावजूद हमारी आवश्यकताओं और हमारे उत्पादन में खाई काफी बढ़ गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि अणु बम की वाहक व्यवस्था का कार्य हमें आरंभ कर देना चाहिये क्योंकि यदि बाद में कभी अणु बम बनाने का निर्णय किया गया तो इसे विकसित करने में 4-5 वर्ष लगेंगे और वाहक व्यवस्था करने में 4-5 वर्ष और लग जायेंगे। इसलिये यह कार्य तो पूरा हो जाना चाहिये। फिर आणविक सिरे वाले शस्त्रों के विकास की ओर भी सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिये।

सरकार को यूरेनियम के अंधाधुंध निर्यात की ओर भी ध्यान देना चाहिये। ऐसा न हो कि जब हमें इसकी आवश्यकता हो तो यह धातु हमें प्राप्त ही न हो।

1954 में चीन नाभीकीय तकनीक में हमसे दस वर्ष पीछे था परन्तु खेद है कि आज वह शायद 10-20 वर्ष हमसे आगे है। यदि इस समय हमने इस ओर समुचित ध्यान न दिया तो इसके परिणाम हमारे लिये घातक हो सकते हैं।

मुझे पता चला है कि हमारा प्रमुख अणु वैज्ञानिक अहिंसा का पुजारी है और चाहता है कि अणु शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये ही सीमित रहे। किन्तु यदि वह जनता और देश की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसे अपनी धारणाओं को बदलना होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिये हमें एक घंटा मिला है, इसलिये सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह संक्षिप्तरूप में अपने विचार प्रकट करें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : स्वर्गीय श्री नेहरू की दूरदर्शिता के कारण हम अणु युग में प्रवेश कर रहे हैं जबकि अक्तूबर, 1968 में तारापुर से हमें आणविक विद्युत शक्ति मिलने लगेगी। अनुमान लगाया गया है कि यह बिजली पैदा करने की लागत केवल 4.5 पैसे प्रति किलोवाट आएगी। यदि हम 1000 मेगावाट के बिजलीघर बनाएं तो यह लागत और भी कम हो सकती है। यदि इन क्षेत्रों में कृषि प्रधान उद्योग लगाए जायें तो हमारा कृषि उत्पादन 50-70 लाख टन बढ़ जायेगा। मुझे हर्ष है कि सरकार ने इसका सर्वेक्षण करने के लिये एक 'सैल' बनाया है। मैं जानना चाहूंगा कि उसने कौन-कौन से क्षेत्र सर्वेक्षण के लिये चने हैं।

दूसरे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आवश्यक सामग्री और व्यावसायिक ज्ञान के संबंध में हम कहां तक आत्मनिर्भर हुए हैं ताकि 1973-75 तक विदेशों पर निर्भरता को 60-75 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जा सके। इसके लिये एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। आंध्र प्रदेश, मैसूर और गुजरात आदि ने नये अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किये जाने की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रदेशों में तकनीकी सर्वेक्षण किया गया है और स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ?

आणविक खनिजों के लिये उड़ीसा में सर्वेक्षण किया गया था और वहां बहुमूल्य खनिजों का पता चला है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्हें प्राप्त करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है। जहां हम प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं वहां मैं जानना चाहूंगा कि हमारे यहां प्राकृतिक प्लुटोनियम का प्रयोग कहां तक हो रहा है ?

जहां तक अणु शक्ति के प्रसार को रोकने की संधि का संबंध है, सरकार मेरे विचार में ठीक नीति अपना रही है जो जनता की भावनाओं के अनुकूल है।

Shri George Fernandes (Bombay-South): It is regrettable that Government has not provided adequate facilities in the field of atomic research for our atomic scientists who rank amongst the greatest in the world. They are also not being paid adequately.

Tarapore Atomic Reactor would have gone into production 3-4 months earlier had a strike not taken place there due to the anti-labour policy adopted by the management resulting in death of ten persons. India has large reserves of Thorium which is needed to produce atomic power without water, coal etc. and this involves no foreign exchange at all. As Thorium is available in the North-Eastern belt, Atomic power stations can be located in Eastern U. P. and Bihar easily. What is needed is a definite policy by the Central Government.

After the recent Koyna Earthquake, a doubt has arisen as to the stability of Koyna Dam and it is feared that if such a tragedy recurs, it might endanger the lives of lakhs of people there. Apart from this, if power supply to Bombay and the rest of Maharashtra is interrupted, it would result in loss of production worth 2—2½ crores of rupees every day. Therefore, a sepa-

rate power-station for Bombay is the need of the hour. In this contest an atomic powerstation might be installed at any of the small islands near Bombay. Alongwith this, the desalination project may also be connected.

Shri Manubhai Patel (Dabhoi): Our Government has adopted a correct nuclear policy regarding use of nuclear energy for peaceful purposes. The country has taken big strides in this sphere in term of harnessing nuclear energy for the generation of power and fighting disease and poverty.

Electronic equipment is now being manufactured in the country on a commercial scale and Electronic Corporation of India has played a major role in this behalf.

Indian Rare Earths Ltd. has also achieved tremendous success in the production, marketing and export of rare earths and has been instrumental in earning foreign exchange worth crores of rupees for the country.

There is sufficient scope of selling up Agro-industrial complex near nuclear power plants established in our country. Government should pay adequate attention towards this. Generation of nuclear power at low cost would go a long way in raising the production of fertilisers as sulphur based fertilisers would cost the country a great deal.

There should be no delay in according sanction to Tata Fertiliser Project in Gujarat. I would request The Prime Minister to get the matter expedited.

In the end, I want to congratulate those who have added their might to the furtherance of the work of Atomic Energy Commission and I bow before the Late Dr. Bhaba in gratitude for initiating this work. Dr. Sarabhai and other youngmen who are now carrying on this work are all worthy of praise for this.

श्री चक्रपाणि (पोन्नानि) : हम हर साल करोड़ों रुपये अणु शक्ति पर व्यय करते हैं और इस वर्ष के बजट में भी इस माह 65 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है किन्तु खेद है कि हम अपने देश में आवश्यक तकनीकी ज्ञान का समुचित विकास नहीं कर पाये हैं।

बड़ी शक्तियां हमें अणु शक्ति का प्रसार रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये हम पर दबाव डाल रही हैं। हमें इसका विरोध करना चाहिये और एक स्वतंत्र नीति बनानी और अपनानी चाहिये। यह ठीक है कि एक दो दिन में अणु शक्ति सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता और आरम्भिक चरणों में विदेशी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी लेकिन जब तक हम अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन न देंगे हम आत्म सम्मान बनाए नहीं रख सकते।

औद्योगिक क्षेत्र में जो 'टर्न-की' परियोजनाएं चालू की गई हैं वही नीति अणु शक्ति के क्षेत्र में भी लागू होती है। क्योंकि इससे हमारे इन्जीनियर ऐसी ही अन्य योजनाएं चालू नहीं कर पा रहे हैं—जैसे तारापुर का अणुशक्ति संयंत्र जिसका काम अमरीका की जी० ई० सी० को दिया गया है।

अणु शक्ति कार्यक्रमों में आयातित यन्त्रों का अनुपात बहुत अधिक है, इससे हमारे आणविक वैज्ञानिक हतोत्साहित होकर विदेशों में जाकर बस गए हैं।

चीन की चाहे हम कितनी भी आलोचना करें किन्तु सच यही है कि चीन ने गत कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की है और अब वह हमसे आगे निकल गया है । इसलिये आवश्यकता है हमें अपनी एक स्वतंत्र नीति अपनाने की । खेद है कि हमारे अणु शक्ति विभाग में ठोस वैज्ञानिक अनुसन्धान की अपेक्षा नौकरशाही अधिक चल रही है और वास्तविक अनुसंधान पीछे पड़ता जा रहा है क्योंकि हम उधार ली हुई जानकारी पर निर्भर हैं । अतः प्रतिभा होने पर भी हम अपने निजी विज्ञान का विकास नहीं कर पा रहे हैं ।

दूसरे, हम आणविक विकास को गुप्त भी नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हम विदेशों द्वारा लगाए गए संयंत्रों पर काम करते हैं यद्यपि उन पर भारत में निर्मित होने की छाप लगी है ।

यदि अणु शक्ति के सम्बन्ध में भारत को स्वाभिमानी राष्ट्र बनना है तो हमें आणविक ज्ञान के विकास में दासता वाला रवैया छोड़ना होगा ।

उपमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है जब अणु शक्ति विभाग के अनुदानों की मांगों पर सभा में चर्चा हो रही है ।

आशा है कि अणु शक्ति विभाग जिसने पंडित नेहरू तथा डा० भाभा की प्रेरणा से थोड़े समय में ही शानदार काम किया है, के कामों की प्रशंसा की जायेगी । हमने अणु शक्ति के विकास और इसके शान्तिपूर्ण कार्य में उपयोग की दिशा में काफी प्रगति कर ली है ।

मैं यहां नीतियों की बात न करके विभाग द्वारा किये गये कामों का ही उल्लेख करूंगी । तीन संयंत्र लगाये गये हैं । पहला तारापुर में अमरीकन कंपनी 'जी० ई० सी०' के सहयोग से 'टर्न-की' ठेके के आधार पर, दूसरा राणा प्रताप सागर पर कनाडा सरकार के सहयोग से और तीसरा मद्रास में शुद्ध रूप से विभागीय आधार पर—इस प्रकार प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है । पहले संयन्त्र के लिये विदेशों से 60 प्रतिशत सामान मंगाया गया, दूसरे के लिये 40 प्रतिशत और तीसरे के लिए केवल 20 प्रतिशत ही मंगाया गया ।

आणविक और परम्परागत—इन दो प्रकार के सामान में से केवल दूसरी प्रकार का सामान ही आयात किया जाता है और आशा है कि कुछ समय में ही हम इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे ।

बिजली की लागत कुछ विकसित देशों के मुकाबले हमारे देश में अधिक है । यदि 1000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन करने वाले सन्यन्त्र लगाये जा सकें तो कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की बात सोची जा सकती है—इस सम्भावना पर अणु शक्ति आयोग विचार कर रहा है । यदि बिजली सस्ते दामों पर उपलब्ध हो तो उर्वरक उत्पादन की बात भी सोची जा सकती है ।

जब तीनों बिजलीघर चालू हो जायेंगे तो उद्योग-समूह भी स्थापित किये जा सकेंगे । ईंधन जो इन सब कामों के लिये आवश्यक वस्तु है उसमें भी काफी सुधार हो गया है ।

अणु शक्ति का प्रयोग कई अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त खाद्य उत्पादन बढ़ाने में भी किया जा रहा है। इस प्रकार मूंगफली से 30 प्रतिशत अधिक तेल मिल सकेगा। कृषि उद्योग-समूह खड़े हो जाने पर 70-80 लाख टन अनाज का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

अणु शक्ति आयोग ने कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी चालू किये हैं, जैसे यूरेनियम निगम, इलैक्ट्रानिक्स निगम और केरल में रेयर अर्थ्स लिमिटेड। थोरियम एक बहुमूल्य खनिज है और केरल के अलावा इसके बिहार और बंगाल में भी मिलने के प्रमाण मिले हैं।

इसके अतिरिक्त अणु शक्ति आयोग भूकम्पों, तूफानों और ऋतु सम्बन्धी जानकारी और अनुसन्धान में भी लगा हुआ है। यदि ये प्रयोग सफल हुए तो लाखों प्राणों को बचाया जा सकेगा।

आयोग अन्तरिक्ष अनुसन्धान भी कर रहा है जिसमें बहुत से अन्य देश भी सहयोग दे रहे हैं। इनसे प्राप्त जानकारी से अन्य देश भी काफी लाभ उठा रहे हैं। थुम्बा स्टेशन से कई रोहिनी राकेट छोड़े गये हैं। सेंटारे राकेट बन रहे हैं जो 1968 में छोड़े जायेंगे।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : सरकार को आणविक संधि के सम्बन्ध में अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये। राजाजी और श्री विक्रम साराभाई के वक्तव्यों के साथ-साथ सरकार को रूस के इस अनुरोध पर भी ध्यान देना चाहिए कि भारत को अन्य राष्ट्रों के साथ इस सन्धि को स्वीकार करके भविष्य में इस सम्बन्ध में किये जाने वाले निर्णयों पर अपना प्रभाव डालना चाहिये।

यदि हमें देश में तकनीकी विकास करना है तो हमें इलैक्ट्रानिक, अणु शक्ति तथा विज्ञान के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश से योग्यतम वैज्ञानिक और प्रतिभावान् व्यक्ति विदेशों में बस कर जीवन यापन कर रहे हैं।

अणु शक्ति के उपयोग के मामले में हमारे देश में सैद्धन्तिक और व्यवहारिक अनुसन्धान की दिशा में बहुत थोड़ा काम हुआ है। अतः इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

भाभा आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू करने के मामले में काफी प्रगति नहीं हो पाई है। प्रतिरक्षा, उद्योग, तकनीकी विकास सम्बन्धी जरूरतों की दृष्टि से यह रिपोर्ट पूरी तरह लागू की जानी चाहिये ताकि देश 1975 तक पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर हो सके।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : अणु शक्ति विभाग के लिये बहुत थोड़ी राशि का अनुदान रखा गया है। चीन और फ्रांस में इससे कई गुना धन इस विकास में खर्च किया जाता है। अतः हमें भी अधिक व्यय करके भारत को आधुनिक बनाना चाहिये। इसके बिना प्रगति असम्भव है। खेद है कि पंडित नेहरू के निधन के बाद इस कार्य में वह तेजी नहीं रही जो उनके जीवन काल में आई थी। हमें अपने अणु शक्ति संस्थानों को शीघ्र पूरा करना होगा। इस

क्षेत्र में जो निगम बने हैं उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें सुचारुरूप से चलाना और आगे बढ़ाना होगा।

मैं चाहता हूं कि थुम्बा स्टेशन केवल नुमायशी चीज ही न बना रहे। हमें स्वयं सभी प्रकार के राकेट बना कर यहां से छोड़ने चाहिए।

एशियाई बैंक की तरह हमें इस क्षेत्र में भी एक एशियायी आयोग स्थापित करना चाहिये जिसमें जापान को अवश्य शामिल करना चाहिए।

आज संसार में तीन प्रकार के देश हैं—अणु शक्ति सम्पन्न, अणु शक्ति विहीन और अणु शक्ति रखने अथवा प्राप्त कर सकने योग्य—इस श्रेणी में भारत भी आता है और यह तभी संभव होगा जब उक्त आयोग बन जायेगा।

जब तक डा० भाभा जीवित थे, विश्वविद्यालयों का आणविक अनुसन्धान तथा आणविक भौतिक विज्ञान से गहरा सम्बन्ध था किन्तु आज इनकी उपेक्षा की जा रही है। उन्हें फिर से ये अवसर तथा सुविधा दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, हमारी सभ्यता एक नये युग में प्रवेश कर रही है वह युग है अणुयुग। दो शताब्दियां पूर्व जब जेम्स वॉट ने वाष्प से चलने वाले इन्जिन का अविष्कार किया तब हमारी सभ्यता कुछ ऊंची उठी, किन्तु अब.........

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट लें।

श्री समर गुह : केवल पांच मिनट ? तब मैं बोलूंगा ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप पांच मिनट और ले लें किन्तु आध घंटा नहीं, क्योंकि आधे घंटे की चर्चा भी होनी है। अन्य सदस्यों को पांच-पांच मिनट ही दिये गये हैं। मैं आपको दस मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री समर गुह : तब मैं विरोधस्वरूप बाहर चला जाता हूं। आपने आधे घंटे का समय देने का वचन दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री समर गुह : मुझे नहीं चाहिये। मैं विरोध स्वरूप चला जाता हूं।

इसके पश्चात् श्री समर गुह सभा छोड़ कर चले गए।
Shri Samar Guha then left the House

अध्यक्ष महोदय : माननीया प्रधान मंत्री।

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : क्योंकि हमारे अच्छे वैज्ञानिकों को वह अवसर यहां प्राप्त नहीं है इसलिये उनका विदेशों

में जाकर बस जाना स्वाभाविक ही है और यह समस्या अन्य देशों जैसे ब्रिटेन आदि के भी सम्मुख है। फिर भी हम अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि इस प्रतिभा का पूरा-पूरा प्रयोग अपने यहां ही हो।

एक माननीय सदस्य ने अणु-शक्ति के प्रयोग संबंधी सरकारी नीति बदलने की बात कही है। यद्यपि इस संबंध में कई बार व्याख्या की जा चुकी है फिर भी एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार समय-समय पर इस नीति पर निरन्तर पुनर्विचार करती रहती है। मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि देश की सुरक्षा हमारे लिये सर्वोपरि है किन्तु हम यह भी अनुभव करते हैं कि आणुविक हथियारों से गत बीस वर्षों में किसी देश को कोई सैनिक लाभ नहीं पहुंचा है।

हमारे विचार में आणविक शस्त्र सैनिक तैयारी का विकल्प नहीं हो सकते। बात कुछेक अणु बम बनाकर ही समाप्त नहीं हो जाती किन्तु इसके साथ ही अन्य आणविक शस्त्र तथा बम-वाहक व्यवस्था भी विकसित करनी होती है। इसकी ओर यदि बहुत अधिक आर्थिक कठिनाई झेल कर ऐसा किया गया तो देश में आन्तरिक असुरक्षा उत्पन्न होने का भय है। हमारे शत्रुओं को सबसे बड़ा लाभ हमारी प्रगति रुक जाने और हमारे पथभ्रष्ट होने से होगा। हमारा विश्वास है कि सैनिक तौर पर बलवान होने के साथ-साथ आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बलशाली होना भी उतना ही जरूरी है। अणु-शक्ति का शान्तिपूर्ण ढंग से प्रयोग इस दिशा में सही कदम जो हमारे प्रखर बुद्धि वैज्ञानिक काफी अच्छी तरह कर रहे हैं, और हमारा ध्येय शीघ्र ही आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है।

अणु-शक्ति से सस्ती बिजली प्राप्त करना एक बहुत महत्वपूर्ण खोज है। आणविक विद्युत संयंत्रों के आस-पास कृषि उद्योग समूह स्थापित होंगे और फिर कृषि उत्पादन में जो वृद्धि होगी उससे हमारे देश में अभूतपूर्व प्रगति और विकास होगा।

सदस्यों को यह जान कर हर्ष होगा कि विभिन्न कामों के लिये हम कई प्रकार के आइसोटोप्स बना रहे हैं और इससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा रहे हैं।

अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हैं और रोहिनी राकेटों से तो हमने और कई विकसित राकेटों का निर्माण करने के लिये श्रीगणेश ही किया है। इस विभाग ने समुद्रपार संचार व्यवस्था के लिये एक नया व्यापारिक अपग्रह संचार केन्द्र निर्मित करने का काम अपने जिम्मे लिया है और एक पूरा चालकयंत्रयुक्त प्लेटनुमा 'एनटेन्ना' भी भारत में ही तैयार किया जायेगा। हम कलकत्ता में एक वेरिमेवल ऊर्जा साइक्लोट्राप भी तैयार करेंगे जो अनुसंधान कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे, में तीन प्रायोगिक रीएक्टर हैं जिनमें से दो पूर्णतया भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा बनाये गये हैं।

कटौती प्रस्तावों में हमारे थोरियम के निर्यात की भी आलोचना और विरोध किया गया है। वास्तव में केवल थोरियम नाइट्रेट ही निर्यात किया जाता है। भारत में थोरियम के भण्डार इतनी प्रचुर मात्रा में हैं कि आगामी एक शताब्दी के लिये पर्याप्त होंगे। इस स्थिति में अगर दुर्लभ विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके तो यह सराहनीय बात है न कि आलोच्य।

यह कहना ठीक नहीं है कि विश्वविद्यालयों को इस कार्य में प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यह विभाग वहां अनुसंधान कार्यों में सहायता देता है और योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

यह ठीक है कि इस कार्यक्रम के लिये प्रस्तावित अनुदान पर्याप्त नहीं है, परन्तु यह कठिनाई तो सभी कार्यों के संबंध में हमारे समक्ष है। हम पूरी लगन और मेहनत से इस कार्य को आगे ले जाने के लिये कटिबद्ध हैं क्योंकि देश को आत्म-निर्भरता और सम्पन्नता की ओर ले जाने में हम अणुशक्ति के विकास के स्थान को भलीभांति जानते हैं।

श्री नन्द कुमार सोमानी : श्रीमान्, कई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि इलैक्ट्रानिक्स संबंधी भाभा समिति के प्रतिवेदन से उनके विभाग का कोई संबंध नहीं हैं। मैं पूछता हूं फिर किसका संबंध है। आखिर वह प्रधान मंत्री भी तो हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : दूसरे जब राजस्थान में आणविक विद्युत उत्पन्न होने लगेगी क्या तब उसके ग्राहकों की तलाश आरंभ होगी और इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास का क्या होगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस संबंध में हम पूरी योजना की बात कर रहे हैं।

श्री मनुभाई पटेल : मैंने आणविक, सूर्य की और जल की शक्ति का प्रयोग करके एक कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की बात कही थी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसका संबंध इस विभाग से नहीं है।

श्री रंगा : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान ट्राम्बे तथा अन्य अनुसंधानशालाओं में वैज्ञानिकों में व्याप्त असंतोष की ओर दिलाना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या किसी विशेषज्ञ अथवा समिति द्वारा इनकी जांच कराई गई है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां, यह तो स्वाभाविक ही है। शिकायतें होने पर उनकी जांच की जाती है। हां यदि सदस्य महोदय की जानकारी में कोई विशेष मामला हो तो मुझे जांच के लिये कृपया भेज दें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अणुशक्ति विभाग संबंधी वर्ष 1968-69 के लिये निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands for the year 1968-69 in respect of Atomic Energy Department were put and adopted.

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
89	परमाणु-शक्ति विभाग	25,19,000
90	परमाणु-शक्ति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	14,02,54,000
134	परमाणु शक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय	39,79,17,000

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

तेल का मूल्य निर्धारण करना**
PRICING OF OIL**

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : 25 मार्च, 1968 को भारत में तेल के मूल्य निश्चित करने के बारे में एक तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया था। मेरा प्रश्न था कि ये मूल्य फारस की खाड़ी समकरण सिद्धान्त (पेरिटी थ्योरी) के आधार पर निश्चित की जाती है अथवा नहीं ? हमारी सरकार इसे गीता मानकर स्वीकार कर चुकी है किन्तु यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निशानी है और सरकार ने इसे सहज ही मान लिया है।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

तेल का मूल्य निर्धारण करने के बारे में सरकार की अपनी कोई नीति नहीं है। अब भी तेल का मूल्य पुराने ढंग से फारस की खाड़ी में जिस तरह मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी प्रकार भारत में भी तेल का मूल्य निर्धारित किया जाता है। आसाम में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख टन अशोधित तेल का उत्पादन होता है। यह तेल दिगबोई और गोहाटी में साफ किया जाता है। किन्तु आसाम पेट्रोल का मूल्य सबसे अधिक 95 पैसे प्रति लिटर है। बिहार में भी पेट्रोल और मिट्टी का तेल निकलता है और बिहार में उनके मूल्य अधिक हैं जबकि कलकत्ता में पेट्रोलियम आदि का उत्पादन नहीं होता है और वहां पर पेट्रोल का मूल्य 90 पैसे प्रति लिटर है। आसाम सरकार वर्ष 1957 से इस आशय के ज्ञापन पत्र भेज रही कि आसाम में अशोधित

**आधे घंटे की चर्चा

** Half-an-hour Discussion.

तेल निकाला जाता है और वहां पर अशोधित तेल को साफ करने के कारखाने हैं किन्तु आसाम को इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है। गुजरात राज्य को भी इसी प्रकार की शिकायत है। वहां अलंकेश्वर में अशोधित तेल निकाला जाता है किन्तु उसे इसका कोई लाभ नहीं होता है। यही दशा भविष्य में उन राज्यों की भी होगी जहां भविष्य में तेल मिल सकता है। सरकार की सम्पूर्ण नीति आरम्भ से ही ऐसी रही है। सरकार को इस नीति में संशोधन करना चाहिए, यह नीति अंग्रेजों ने तब निर्धारित की थी जब देश में केवल एक तेल शोधन कारखाना था। अब सरकार को देश का हित सामने रखते हुए इस नीति का परित्याग कर देना चाहिए। मैं इस नीति के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता, इसके लिए हमारी व्यवस्था ही उत्तरदायी है।

गोहाटी में भट्टी के तेल का उत्पादन होता है और इस तेल की खपत केवल एक ही उद्योग में हो जाती है। यह उद्योग बम्बई के एक उद्योगपति द्वारा स्थापित किया गया है। किन्तु इस उद्योगपति को इस तेल का बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता था गोहाटी में, जहां भट्टी के तेल का उत्पादन किया जाता है, उसका मूल्य 252 रुपए प्रति मीट्रिक टन है जब बम्बई और कलकत्ता में, जहां इसका उत्पादन नहीं होता है, उसका मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति मीट्रिक टन और 202 रुपए प्रति मीट्रिक टन है। अब वह उद्योग भी बन्द कर दिया गया है क्योंकि वह प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकता। इसके परिणामस्वरूप 500 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। जब ऐसी स्थित है—आसाम में, जो एक पिछड़ा राज्य है, उद्योगों का विकास कैसे हो सकता है। केवल भट्टी के तेल के मामले में ही नहीं मोटर के पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मामले में भी आसाम को सदैव घाटा ही उठाना पड़ता है। इस मामले में भी आसाम सरकार वर्ष 1957 से केन्द्रीय सरकार को बराबर ज्ञापन-पत्र भेजती आ रही है। किन्तु केन्द्रीय सरकार उन पर कोई कार्यवाही करती ही नहीं है। इसलिए आज मैं इस मामले को सभा में उठा रहा हूं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि मूल्य निर्धारित करने से सम्बन्धित नीति की जांच की जाए और उसके बारे में कोई कार्यवाही की जाये।

सरकार सदा यह कहती है कि हमें अशोधित तेल का आयात करना पड़ता है इसलिए हमारी मूल्य सम्बन्धी नीति इस प्रकार की है और हमें विदेशी तेल कम्पनियों की शर्तों को मानना पड़ता है। किन्तु इस तर्क को नहीं माना जा सकता है। हम विदेशों से भी तेल मंगाते हैं और देश में भी तेल का उत्पादन करते हैं। इसलिए तेल के मूल्य निर्धारण के लिए तेल के आयात को आधार नहीं माना जा सकता है। सरकार को इस मामले की जांच करा कर कोई उचित नीति निर्धारित करनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का यह कहना सही नहीं है कि आसाम स्थित तेल शोधन कारखाने के कारण घाटा हो रहा है। गोहाटी तेल शोधन कारखाना मुनाफे पर चल रहा है।

अब हमें यह देखना है कि मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या होना चाहिए। खपत को मूल्य निर्धारित करने का आधार बनाने का सुझाव दिया गया है। किन्तु मैं समझता हूं

खपत को आधार नहीं माना जा सकता है। इस मामले की विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता है। जब तक मूल्य निर्धारण नीति के सम्बन्ध में पूरी तरह जांच नहीं कर ली जाती तब तक कुछ तदर्थ व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों को उसका लाभ पहुंच सके।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Our country is one of the poorest countries. The prices of oil and petroleum products are very high in our country. I do not agree to the argument advanced by the Government that the agreements with the countries from which we import oil are responsible for the high prices of oil. I think the main reason for the high price is the taxation policy of the Government. Is the Hon. Minister prepared to accept that the sale price of oil should not exceed one and half times the cost of the imported crude oil including the charges of refining and transportation ? What is the difference between the cost price and the sale price of the Indian Oil Company's cooking gas and what is the basis for determining its sale price ?

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : सभापति महोदय, आसाम को उन वस्तुओं के लिए तो भाड़ा देना ही पड़ता है किन्तु उसे तेल के लिए भी, जो आसाम में निकाला जाता है, भाड़ा देना पड़ता है। गोहाटी को तेल का मूल्य निर्धारण करने वाला बन्दरगाह घोषित करने के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जिस तेलशोधक कारखाने का वार्षिक उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का एक अल्प अंश है, उसके उत्पादों के लिए आयात के आधार से भिन्न आधार पर मूल्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है। किन्तु वास्तविकता यह है कि तेल के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन आसाम द्वारा किया जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध कि यह प्रश्न समानता और न्याय के आधार पर हल किया जाना चाहिए। न केवल भट्टी के तेल के लिए, अपितु सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अखिल भारतीय पूल-मूल्य निर्धारित करने में क्या कठिनाई है। क्या आसाम में उत्पादित अशोधित तेल पर विक्री-कर लगाना सम्भव है ?

Shri Rabi Ray (Puri) : Mr. Chairman, I would like to congratulate Shri Kalita for raising this disscussion.

I want to know from the Hon. Minister the difference between the cost price and the sale price of one bottle of kerosene oil. People are not getting kerosene oil at reasonable price at present. They should be given kerosene oil at cheap price. The agreements signed with the foreign companies should be abrogated.

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): सभापति महोदय, मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार वास्तव में इस बात पर विचार कर रही है कि वर्तमान नीतियों में जो असमानताएं हैं उनकी पूरी तरह छानबीन की जाये।

तेल के मूल्य को आयात-समानता के आधार पर निर्धारित करने के पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हम न तो किसी को प्रश्रय देना चाहते हैं और न किसी को मुनाफा कमाने की छूट

देना चाहते हैं। विदेशी तेल कम्पनियों के साथ किये गये अनेक समझौतों का एक ऐसा खण्ड है जिसके अनुसार वे अपने उत्पादों को अन्य आयातित उत्पादों के मूल्यों पर बेच सकते हैं। यही सम्पूर्ण आयात नीति का आधार है।

दामलो समिति तथा तालुकदार समिति ने इस मामले पर क्रमशः वर्ष 1961 और वर्ष 1965 में विस्तारपूर्वक विचार किया था। तालुकदार समिति ने कहा है कि इस समय आयात-समानता पर आधारित मूल्य निर्धारण नीति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसने यह तर्क दिया है कि लगभग डेढ़ करोड़ टन के उत्पादन में अनेक विदेशी तेल शोधक कारखानों की क्षमता लगभग 47 प्रतिशत है, जो इस उत्पादन के आधे के बराबर है। यदि हम वास्तव में अपने तेलशोधक कारखानों के उत्पादों के बारे में आयात-समानता की नीति का अनुसरण करते हैं, तो अन्य 50 प्रतिशत उत्पादों के बारे में हम इससे भिन्न नीति कैसे अपना सकते हैं ? सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है। हम इसका हल निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए हम इन असमानताओं को दूर करेंगे।

सरकार इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि क्या मूल नीति आयात-समानता या उत्पादन लागत अथवा अन्य किसी उचित आधार पर निर्धारित किये जायें, एक समिति की नियुक्ति के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में सरकार अपने वचनों को ध्यान में रखेगी और आशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र घोषणा की जायेगी।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 अप्रैल, 1968/5 वैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 25, 1968/ Vaisakha 5, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 18-11-68—600.